



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर प्रतिवेदन



झारखण्ड सरकार
वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 4
(निष्पादन लेखापरीक्षा)

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन
पर प्रतिवेदन**

**झारखण्ड सरकार
वर्ष 2025 की प्रतिवेदन संख्या 4
(निष्पादन लेखापरीक्षा)**

विषय सूची

शीर्षक	कंडिका	पृष्ठ
प्रस्तावना		iii
कार्यकारी सारांश		1-10
अध्याय-1: परिचय		
पृष्ठभूमि	1.1	11
इस विषय का चयन क्यों किया?	1.2	11
संगठनात्मक संरचना	1.3	12
लेखापरीक्षा का उद्देश्य	1.4	14
लेखापरीक्षा मानदंड	1.5	14
लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली	1.6	14
नमूना एवं नमूना चयन की प्रक्रिया	1.7	15
अंतर्गमन एवं बहिर्गमन सम्मलेन	1.8	16
प्रतिवेदन की संरचना	1.9	16
आभारोक्ति	1.10	17
अध्याय-2: खनन पट्टों का आवंटन		
लघु खनिज पट्टों की स्वीकृति (गैर-नीलामी मामले)	2.1	19
खनन पट्टों का प्रबंधन	2.2	30
अपरिचालित पट्टों का गैर-व्यपगत/निरस्तीकरण	2.3	33
नीलामी के माध्यम से खनन पट्टों की स्वीकृति	2.4	34
अनुशंसाएँ	2.5	38
अध्याय-3: राजस्व संग्रहण एवं बालू घाटों का प्रबंधन		
राजस्व की प्रवृत्ति	3.1	39
स्वामिस्व का निर्धारण, आरोपण एवं संग्रहण	3.2	40
खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति/संचालन की सहमति की सीमा से अधिक उत्पादन	3.3	44
जेएसएमडीसी द्वारा बालू घाटों का प्रबंधन	3.4	45
अनुशंसाएँ	3.5	55
अध्याय-4: सतत और वैज्ञानिक खनन		
खनन योजना	4.1	58
पर्यावरणीय स्वीकृति	4.2	98
खनिजों का परिवहन	4.3	104
अनुशंसाएँ	4.4	110
अध्याय-5: निष्कर्ष		
निष्कर्ष		113

परिशिष्ट			
परिशिष्ट संख्या	विवरण	संदर्भ में	
		कंडिका	पृष्ठ
2.1	अपर्याप्त दस्तावेजों के आधार पर पट्टा प्रदान किया गया	2.1.3	119
2.2	खनन पट्टा अवधि का अनियमित विस्तारीकरण	2.2.3	123
4.1	पट्टेधारी द्वारा पत्थर का आधिक्य उत्थनन (पट्टा क्षेत्र के अंदर: पट्टा क्षेत्र के साथ मेल खाता केएमएल)	4.1.4.1	132
4.2	पत्थर का आधिक्य उत्थनन (पट्टा क्षेत्र के बाहर: पट्टा क्षेत्र के साथ मेल खाता केएमएल)	4.1.4.1	142
4.3	पट्टेधारी द्वारा पत्थर का आधिक्य उत्थनन (पट्टा क्षेत्र से मेल नहीं खाता केएमएल)	4.1.4.1	151

प्रस्तावना

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत राज्य विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु झारखण्ड के राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा, वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान राजस्व, विकास एवं खनन प्रभावित क्षेत्रों तथा जनसमुदाय पर खनन गतिविधियों से पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव को ध्यान में रखते हुए नवम्बर 2022 से अक्टूबर 2023 की अवधि में की गई।

यह प्रतिवेदन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप तैयार किया गया है।

कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

झारखण्ड खनिज संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन खनिज क्षेत्र से राज्य को मिलने वाले राजस्व में गिरावट की प्रवृत्ति रही है। खनन पट्टा प्रदान करने में अनियमितताएं, पट्टाधारकों द्वारा अवैज्ञानिक और असतत खनन पद्धतियाँ आदि से संबंधित मुद्दे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में प्रमुखता से प्रकाशित होते रहे हैं।

अतः इन कमियों से निपटने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा लागू अधिनियमों एवं उसके तहत बनाये गए नियमावलियों के प्रावधानों के प्रवर्तन में राज्य सरकार की प्रभावशीलता का आकलन किया जाना आवश्यक था। पुनः, खनन गतिविधियों का राज्य के राजस्व और विकास पर पड़ने वाले महत्वपूर्ण प्रभाव का विचार करते हुए, झारखण्ड राज्य में लघु खनिजों के प्रबंधन (2017-2022) पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा नवम्बर 2022 से अक्टूबर 2023 की अवधि में की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या राज्य में सतत एवं वैज्ञानिक खनन की सुविधा प्रदान करने के लिए उपयुक्त प्रणाली अपनाई गई थी, खनिज पट्टों/अनुजप्तियों का आवंटन नवीकरण या निरस्तीकरण लागू प्रावधानों के अनुरूप किया गया था; राज्य में खदानों एवं लघु खनिजों का प्रबंधन पर्याप्त एवं प्रभावी था इत्यादि।

निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत चयनित छह जिला खनन कार्यालयों के विस्तृत जाँच के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) का लेखापरीक्षा किया गया था। इस निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य राज्य में लघु खनिजों के प्रबंधन में सुधार और सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना था।

मुख्य लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लघु खनिजों के प्रबंधन से संबंधित सामने आई महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नलिखित हैं:

पट्टों की स्वीकृति और प्रबंधन

- विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए जाँच और नियंत्रण तंत्र स्थापित नहीं कर सका कि उपायुक्त अपने प्राधिकार से अधिक क्षेत्र पर खनन पट्टा स्वीकृत न करें। तीन हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र के खनन पट्टे को ई-नीलामी के लिए रखा जाना आवश्यक था। हालाँकि, एक मामले में, उपायुक्त, साहिबगंज ने अपने प्राधिकार से अधिक क्षेत्र (4.74 हेक्टेयर रेयती भूमि पर) पर खनन पट्टा स्वीकृत किया था। एक अन्य मामले में, जि.ख.प., साहिबगंज ने न केवल 3.136 हेक्टेयर क्षेत्र में खनन पट्टे के लिए आवेदन स्वीकार किया, बल्कि पट्टा

क्षेत्र को कम करने हेतु आवेदक द्वारा कोई अनुरोध किए बिना, मनमाने ढंग से क्षेत्र को 2.833 हेक्टेयर तक कम करके आशय का पत्र जारी कर दिया।

- जिला खनन कार्यालयों, चतरा और पलामू में, अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर पत्थर के आठ पट्टे प्रदान गए थे जिसमें भूमि की प्रकृति गैर-मजरुआ परती कटीम, पत्थर पहाड़, टांड-॥, पुरानी परती और धनहर-॥ के रूप में वर्णित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि ये पट्टे उस भूमि पर दिए गए थे जो राजस्व अभिलेखों के अनुसार जंगल झाड़ थी और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के तहत वन भूमि की श्रेणी में आती थी।
- विभाग के पास नए खनन पट्टों के आवंटन के दौरान बकायादारों की पहचान करने और भूमि उपयोग की प्रकृति का पता लगाने की कोई प्रणाली नहीं थी परिणामस्वरूप वन भूमि पर खनन पट्टों का आवंटन हुआ। इनके परिणामस्वरूप, अंततः राज्य में खनन पट्टों का अनियमित रूप से आवंटन, नवीकरण या विस्तार हुआ।
- पुनः, नमूना जाँचित दो जिलों में पट्टेधारियों ने 2017-23 के दौरान, निरंतर एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 276.99 एकड़ के खनिज क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया था, इन पट्टों को न तो समाप्त घोषित किया गया या न ही निरस्त किया गया। परिणामस्वरूप, ये अपरिचालित पट्टे निष्क्रिय रहे, जिससे राज्य के राजस्व में रुकावट आई और खनिज विकास प्रभावित हुआ।

(कंडिका 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.3 तथा 2.3)

नीलामी प्रक्रिया में विलंब

- खनिज ब्लॉकों की नीलामी की प्रगति बहुत धीमी रही और 2018-23 के दौरान केवल 3.77 प्रतिशत (292 ब्लॉकों में से 11) की नीलामी पूरी हुई। यह विभाग की अनुश्रवण और योजना में कमियों के कारण था, जो चरणबद्ध और काल-बद्ध तरीके से नीलामी के प्रभावी संचालन को बाधित किया। परिणामस्वरूप, पर्याप्त संसाधनों के बावजूद लघु खनिज ब्लॉक निष्क्रिय पड़े रहे, जिससे राजस्व का अवरोधन हुआ।

(कंडिका 2.4.1)

राजस्व की प्रवृत्ति

- लघु खनिजों से राजस्व प्राप्तियाँ काफी कम हो गई, जो 2017-18 में ₹ 1,082.44 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 697.73 करोड़ हो गई। साथ ही, राज्य के कुल राजस्व में लघु खनिज प्राप्तियों की हिस्सेदारी में भी उल्लेखनीय

गिरावट आई, 2017-18 में 5.36 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 2.23 प्रतिशत हो गई।

(कंडिका 3.1)

स्वचालन में कमियाँ

- जटिल खनन प्रक्रियाओं को सरल बनाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) आधारित एक खनिज प्रशासन प्रणाली, झारखण्ड इंटीग्रेटेड माइन्स एवं मिनरल्स मैनेजमेंट सिस्टम (जिम्स) की शुरुआत (मई 2015) की गई। सात वर्षों से अधिक समय बीत जाने के बावजूद, लेखापरीक्षा के दौरान महत्वपूर्ण अभिलेखों की अनुपलब्धता के कारण अभिलेखों का स्वचालन अपूर्ण पाया गया परिणामस्वरूप, सभी महत्वपूर्ण डेटा/सूचना को एक मंच पर समाहित करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। उदाहरण के लिए, जिम्स में भू-निर्देशांकों का उपयोग करके गूगल एप्लिकेशन पर खनन पट्टा का नक्शा बनाने का प्रावधान है, जो विभाग को उत्पन्न नक्शों के माध्यम से खनन कार्यों की अनुश्रवण में सहायता कर सकती है। हालाँकि, 47 मामलों में आवश्यक भू-निर्देशांक नहीं भरे गए थे, जबकि 15 मामलों में भरे गए भू-निर्देशांक अपर्याप्त थे, जिससे उपग्रह चित्र बनाने और खनन गतिविधियों के अनुश्रवण में बाधा उत्पन्न हुई।
- पत्थर-बोल्डरों पर देय स्वामिस्व का निर्धारण उनके संभावित उपयोग के आधार पर किया जाना था। हालांकि, प्रणाली के माइयूल्स में इन विशिष्ट उपयोगों की पहचान की क्षमता नहीं थी। नियमावली के अनुसार पट्टेधारियों द्वारा देय स्वामिस्व का वार्षिक मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है, परंतु जिम्स में इस उद्देश्य के लिए आवश्यक सुविधा (टूल्स) का अभाव था। इन खामियों के कारण, विभाग द्वारा राजस्व के निर्धारण और संग्रहण के लिए व्यापक रूप से जिम्स का उपयोग नहीं किया जा सका।

(कंडिका 3.2.1)

राजस्व का रिसाव

- अक्टूबर 2019 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान 30 मामलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) की राशि सहित कुल ₹ 7.53 करोड़ स्वामिस्व का कम आरोपण और मार्च 2016 से मार्च 2022 के बीच 15 मामलों में ₹ 2.23 करोड़ नियत लगान की वसूली नहीं होने के कारण राजस्व का रिसाव हुआ था। पुनः, अप्रैल 2014 से जुलाई 2023 के बीच चार जिलों के 26 पट्टेधारियों ने अनुमेय सीमा से 33.21 लाख घन मीटर अधिक लघु खनिजों का खनन किया। हालाँकि, इन पट्टेधारियों को खनिजों के अनधिकृत खनन के

लिए ₹ 205.21 करोड़ अर्थदंड का भुगतान करना था, परन्तु संबंधित जिलों के जिला खनन कार्यालयों ने अर्थदंड आरोपित नहीं किया और न ही संग्रह किया।

(कंडिका 3.2.2, 3.2.3 और 3.3)

बालू घाटों का प्रबंधन

- राज्य सरकार ने राज्य में पर्यावरणीय दृष्टि से सतत और सामाजिक रूप से उत्तरदायी तरीके से बालू खनन के प्रभावी मार्गदर्शन और प्रबंधन हेतु झारखण्ड राज्य बालू खनन नीति, 2017 अधिसूचित (अगस्त 2017) किया। नीति के अनुसार, राज्य में श्रेणी-2 के बालू घाटों का प्रबंधन 16 अगस्त 2017 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए जेएसएमडीसी को सौंपा गया था, जिसे बाद में अगस्त 2022 से तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
- खान निदेशालय ने (नवंबर 2017) जेएसएमडीसी को 19 जिलों में श्रेणी-2 के कुल 177 बालू घाटों की एक सूची उपलब्ध कराई, जिसे बाद में (मार्च 2022) 23 जिलों में 608 घाटों तक अद्यतन किया गया। जेएसएमडीसी ने 389 बालू घाटों को परिचालित करने की प्रक्रिया प्रारम्भ किया, लेकिन केवल 21 घाटों का ही परिचालन कर सका। इसका प्रमुख कारण खनन योजनाओं को समय पर बनाना सुनिश्चित न करना और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सीआ) को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में विलंब था। 368 घाटों, जो ₹ 9,782.55 एकड़ क्षेत्र में फैले थे, के अपरिचालित रहने के कारण, राज्य सरकार को ₹ 70.92 करोड़ का संभावित नुकसान हुआ।
- चूंकि राज्य में श्रेणी-2 के सभी बालू घाट अक्टूबर 2018 से सिर्फ जेएसएमडीसी द्वारा परिचालित किए जा रहे थे, इसलिए विभाग द्वारा प्रतिवेदित बालू से प्राप्त स्वामिस्व जेएसएमडीसी द्वारा प्रतिवेदित आंकड़ों से मेल खानी चाहिए थी। तथापि, 2019-2022 की अवधि के लिए स्वामिस्व राशि में महत्वपूर्ण विसंगतियाँ देखी गईं जो ₹ 82.55 लाख से ₹ 7.61 करोड़ के बीच था, जिसके लिए लेखापरीक्षा को कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया।

(कंडिका 3.4.1, 3.4.3 और 3.4.4.1)

खनन योजना/प्रगामी खान समापन योजना का अनुमोदन एवं कार्यान्वयन

- खनन योजना, वैज्ञानिक एवं सतत खनन पद्धतियों के आधार के रूप में कार्य करती है। फरवरी 2009 से मार्च 2022 के दौरान स्वीकृत किए गए नए पट्टों के नमूना जाँचित 74 मामलों में से 64 में, स्थल निरीक्षण या आवेदकों द्वारा खनन योजना जमा करने की तिथियों को समर्थित दस्तावेज़ के बिना ही केवल स्वीकृत खनन योजना और सशर्त अनुमोदन पत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए थे। दस्तावेजीकरण की यह अनुपलब्धता से समीक्षा एवं अनुमोदन प्रक्रिया की पूर्णता और पारदर्शिता पर प्रश्न उत्पन्न करता है।

- नमूना जाँचित 74 पत्थर पट्टों के कुल 138 खनन योजना में से 120 योजनाएँ लेखापरीक्षा के समक्ष प्रस्तुत की गई। लेखापरीक्षा ने पाया कि जाँच की गई खनन योजना में से 54 प्रतिशत (120 में से 65) गैर-नामित प्राधिकारियों द्वारा अनुमोदित किए गए थे। झा.ल.ख.स. नियमावली के अनुसार, खनन योजना का अनुमोदन पूरी जाँच के बाद ही किया जाना चाहिए, लेकिन नौ मामलों में इसे या तो उसी दिन या प्रस्तुत करने के अगले दिन ही अनुमोदित कर दिया गया था, जो गहन जाँच के अभाव को दर्शाता है। पुनः, अनुमोदित खनन योजना में अविश्वसनीय जानकारी शामिल थी जैसे, गलत सतही योजनाएँ, सीमा स्तंभों के गलत भू-निर्देशांक, अतिच्छादित पट्टा क्षेत्र, खनन योग्य और गैर-खनन योग्य भंडारों का गलत अनुमान, भूजल तर्लों का गलत आकलन।
- पट्टा क्षेत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है: खनन पिट क्षेत्र, जिसमें उत्खनन के लिए खनन योग्य भंडार और बैंचों के रूप में तथा पिट क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सुरक्षा अवरोधों में अवरुद्ध गैर-खनन योग्य संसाधन, जो खनन के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। लेखापरीक्षा ने गणना किया कि 25 मामलों में से 14 मामलों में कुल 83.87 लाख टन गैर-खनन योग्य संसाधनों को सुरक्षा अवरोधों के भीतर अवरुद्ध किया जाना चाहिए था, जबकि खनन योजना में केवल 53.21 लाख टन ही निर्धारित किए गए थे, जिससे खनन योग्य संसाधनों की मात्रा 30.66 लाख टन तक अधिक आकलित की गई। परिणामस्वरूप, खनन पिट क्षेत्र के भीतर ₹ 34.96 करोड़ के खनन योग्य भंडार का अनियमित लेखांकन हुआ।

(कंडिका 4.1.1, 4.1.2 और 4.1.3)

- पट्टे के गैर-खनन योग्य क्षेत्र में खनन करना एक अनियमित प्रचलन है। लेखापरीक्षा ने पाया कि 63 पट्टों में से 55 (87 प्रतिशत) की पार्श्व दीवारें अनुशंसित सौम्य ढलान के बजाय तीक्ष्ण ढलान वाली थीं। परिणामस्वरूप बैंच और सुरक्षा अवरोध बनाए बिना, गैर-खनन योग्य संसाधनों का अनियमित उत्खनन हुआ। पट्टेधारियों ने अनुमेय गहराई से भी अधिक उत्खनन किया, गड्ढों की गहराई अनुमेय सीमा से 2.5 से 50 मीटर अधिक (अर्थात् 11 से 494 प्रतिशत) के साथ, गैर-खनन योग्य संसाधनों का ऊर्ध्वाधर उत्खनन किया।
- इसके अतिरिक्त, 22 में से 14 मामलों में पट्टाधारियों ने पट्टा क्षेत्र से बाहर, 15.14 हेक्टेयर क्षेत्र से खनिज उत्खनन किया था। पट्टा क्षेत्र से बाहर उत्खनन की निगरानी जिम्स पोर्टल पर प्रत्येक सीमा स्तंभ के भू-निर्देशांकों को अद्यतन करके केएमएल फाइलों के माध्यम से प्राप्त पट्टा क्षेत्र के उपग्रह चित्रों से की जा सकती थी। नमूना जाँचित 63 पत्थर पट्टों में यह सुनिश्चित नहीं किया गया था।
- लेखापरीक्षा ने खनिज उत्खनन की मात्रा का अनुमान गूगल-अर्थ में खुदाई वाले क्षेत्रों को मापकर तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई गहराई के

साथ गुणा करके, ढलानों और टुलाई सड़कों में फंसे हुए मात्राओं को समायोजित करके लगाया। यह पाया गया कि पट्टाधारियों ने जाँच किये गए 63 पट्टों में से 13 पट्टों में पत्थर उत्खनन की वास्तविक मात्रा को 93.53 लाख घ.मी. तक कम प्रतिवेदित किया था। इसकी पुष्टि बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी) सिंदरी द्वारा की गई, जिसे इन 13 खदानों के लिए पत्थर खदानों में उत्खनित खनिजों की मात्रा की गणना के लिए लेखापरीक्षा द्वारा नियुक्त किया गया था। बीआईटी, सिंदरी ने कुल उत्खनन की गणना के लिए ऑटोकैड सिविल 3डी सॉफ्टवेयर का उपयोग किया और 95.51 लाख घ.मी. अधिक उत्खनन (अवधि के दौरान उत्पादन मात्रा घटाने के बाद) प्रतिवेदित किया, जो लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित मात्रा से 2.12 प्रतिशत अधिक है। खनिज उत्खनन (93.53 लाख घ.मी.) की कम रिपोर्टिंग के कारण अनुमानित वित्तीय प्रभाव ₹ 292.75 करोड़ का आकलन किया गया था।

- झारखण्ड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने वार्षिक 20 प्रतिशत अनुभागीय माप की आवश्यकता के लागू प्रावधानों के विपरीत, वर्ष 2017-22 के दौरान जाँच किए गए छह जिलों में मौजूद लघु खनिज पट्टों का मात्र 0.68 से 3.17 प्रतिशत ही वार्षिक अनुभागीय माप किया था।
- 63 में से 46 मामलों में, या तो सीमा स्तंभ पूरी तरह से (30 मामले) अनुपस्थित थे या केवल आंशिक रूप से (16 मामले) मौजूद थे। पुनः, चयनित जिलों में 63 में से 62 पट्टों में, अनिवार्य 7.5 मीटर सुरक्षा अवरोध को कम कर दिया गया था, जिसकी वास्तविक चौड़ाई 0 से 7 मीटर तक थी।

(कंडिका 4.1.4.1)

- पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, खनन पट्टों के सुरक्षा अवरोधों पर वृक्षारोपण किया जाना था। तदनुसार, पट्टेधारियों को ग्रिड पैटर्न में सुरक्षा अवरोधों पर अनुशंसित मात्रा में वृक्षारोपण करना आवश्यक था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित जिलों में जाँच किए गए 63 पट्टों में से 61 में, प्रस्तावित 74,676 वृक्षों के विरुद्ध केवल 2,225 वृक्षारोपण किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप 20 से 100 प्रतिशत तक कम वृक्षारोपण हुआ। इसके अलावा, प्रदूषण के स्तर की निगरानी के लिए पट्टा क्षेत्र में वायु, जल और ध्वनि निगरानी केंद्र स्थापित नहीं पाई गई।

(कंडिका 4.1.4.2)

- प्रत्येक खदान के लिए एक खान समापन योजना की आवश्यक है, जो दो प्रकार की होती है: प्रगामी खान समापन योजना, जिसका उद्देश्य खान या उसके किसी भाग में सुरक्षात्मक, पुनर्ग्रहण और पुनर्वास उपाय प्रदान करना है; और अंतिम खान समापन योजना, जिसका उद्देश्य खनन और खनिज प्रसंस्करण कार्यों की समाप्ति के बाद खान या उसके किसी भाग को बंद, पुनर्ग्रहण और पुनर्वास करना है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जाँच किये गए 63 में से 61 पत्थर

पट्टों में (दो मामलों में खनन योजना प्रस्तुत नहीं किए गए), हालाँकि प्रगामी खान समापन योजनाएँ खनन योजना के साथ प्रस्तुत की गई थीं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया गया था। पुनः, 63 नमूना जाँचित मामलों में से 12 में अंतिम खान समापन योजनाएँ प्रस्तुत नहीं की गई थी, जहाँ पट्टे की अवधि मई 2019 से जुलाई 2023 तक की अवधि के दौरान समाप्त हो गई थी।

(कंडिका 4.1.5)

पर्यावरणीय स्वीकृति

- परिवेश पोर्टल पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के तिर्यक जाँच हेतु प्रणाली के अभाव के कारण, आवेदक जाली सन्निहित क्षेत्र प्रमाण-पत्र के आधार पर श्रेणी बी-2 (5 से 25 हेक्टेयर) के बदले श्रेणी बी-2 (0-5 हेक्टेयर) में सीआ से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम हो गए। इन गलत प्रमाण-पत्रों के आधार पर पट्टे प्राप्त करने के उपरांत, पट्टाधारियों ने वर्ष 2022-23 से 2023-24 के दौरान 6.35 लाख घ.मी. पत्थर मूल्य ₹ 19.88 करोड़ (मार्च 2024 तक) का अनधिकृत उत्खनन किया था।

(कंडिका 4.2.1)

- नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा किए गए लाभार्थियों के सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 29 प्रतिशत (171) प्रतिभागियों ने बताया कि खनन गतिविधियों ने उन्हें रोजगार प्रदान किया, 68 प्रतिशत (407) ने पर्यावरणीय क्षति, कृषि क्षेत्र के विनाश, जलस्तर में कमी, क्षतिग्रस्त सड़कों और पुनर्स्थापन कार्यों के अभाव के कारण उनके जीवन की गुणवत्ता खराब होने पर चिंता व्यक्त किया।

(कंडिका 4.2.3)

खनिजों का परिवहन

- 28 मार्च 2023 तक खान एवं भूतत्व विभाग ने कुल 72,449 वाहनों का पंजीकरण किया, परंतु पाँच वर्षों के उपरांत भी कोई भी वाहन, रेडियो फ्रीक्वेंशी आइडेंटिफिकेशन/ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (आरएफआईडी/जीपीएस) अथवा अन्य कोई वाहन ट्रैकिंग प्रणाली से युक्त नहीं थे। वाहनों की अनधिकृत गतिविधियाँ, अधिक भार का वहन, अपंजीकृत वाहनों द्वारा परिवहन का पता करने के लिए व्यापक प्रणाली के अभाव में विभाग केवल परमिट एवं चालान प्रणाली के भरोसे रहा।

(कंडिका 4.3.1)

- खनिजों के परिवहन की संपूर्ण प्रणाली यह सुनिश्चितता नहीं प्रदान कर सकी जिससे खनिज का अवैध परिवहन रोका जा सके। लेखापरीक्षा ने स्टोन चिप्स

के सात व्यवसायियों के वे-बिज प्रतिवेदनों की नमूना जाँच किया और पाया कि 85 प्रतिशत मामलों में जिम्स के माध्यम से निर्गत चालान उपलब्ध नहीं थे।

- जिम्स प्रणाली में त्रुटि के कारण, 28 वाहनों के मामलों में, 35 प्रारंभिक चालानों के वैधता अवधि समाप्त होने से पहले ही 50 अतिरिक्त चालान जारी कर दिए गए, जो चालानों के दुरुपयोग की जोखिम को बढ़ाता है।

(कंडिका 4.3.1.1)

- लेखापरीक्षा में (i) पट्टे के अंतर्गत क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र से अवैध रूप से निकाले गए पत्थर के परिवहन के लिए परिवहन चालान के दुरुपयोग और (ii) समाप्त हो चुके पट्टे के खदान क्षेत्र पर पड़े पत्थर के अंतिम भंडार के परिवहन के मामले देखे गए।

(कंडिका 4.3.1.2)

लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ

लघु खनिजों के वैज्ञानिक एवं सतत उत्खनन को सुनिश्चित करने तथा राज्य की राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए सरकार/विभाग:

- खनन पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रणाली लागू कर सकती है और जिम्स के माध्यम से केंद्रीकृत स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी/प्राप्त करने की प्रक्रिया लागू कर सकती है। विभाग ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड के साथ जिम्स का एकीकरण सुनिश्चित कर सकती है;
- जंगल झाड़/वन भूमि पर प्रदान किए गए पट्टों को निरस्त कर और ऐसी भूमि की कानूनी स्थिति पुनः बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है;
- राज्य में राजस्व वृद्धि और खनिज विकास के लिए निष्क्रिय पट्टों को निरस्त कर सकती है और खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी ला सकती है;
- खनन के लिए पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की प्रकृति के बारे में गलत जानकारी देकर अधिनियमों और नियमावलियों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सकती है;
- अपरिचालित बालू घाटों में बालू भंडार में कमी के कारणों का आकलन कर सकती है तथा बालू घाटों का परिचालन कर लघु खनिजों से सरकारी राजस्व में वृद्धि हेतु व्यापक उपाय कर सकती है;
- उन दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है जो चिप्स बनाने के लिए क्रशरों को भेजे गए पत्थरों पर लागू स्वामिस्व की दरों को सत्यापित

- करने में विफल रहे तथा अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार सही स्वामिस्व और अर्थदण्ड की वसूली नहीं की;
7. जिम्स की कमियों को दूर करने हेतु संगठित प्रयास कर सकते हैं जिसमें पारदर्शिता और दस्तावेजी साक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए जिम्स के माध्यम से खनन योजनाओं की प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था बनाना श्री शामिल हो;
 8. लघु खनिजों के खनन योजनाओं के मूल्यांकन हेतु भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा जारी खनन योजना मूल्यांकन मैनुअल 2014 की तर्ज पर एक मैनुअल तैयार कर सकती है, जिससे खनन योजनाओं के प्रसंस्करण, परीक्षण एवं जाँच के लिए एक मानकीकृत पद्धति स्थापित की जा सके;
 9. खनन योजनाओं के साथ डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (डीजीपीएस) सर्वेक्षण द्वारा तैयार पट्टे क्षेत्र के केएमएल फाईल की प्रस्तुति सुनिश्चित कर सकती है, इन फाईलों को सीआ को प्रस्तुत कर उपग्रह चित्रों के माध्यम से केएमएल फाईलों के संग्रहण को अद्यन कर सकती है और खनन योजनाओं में प्रस्तावित प्रगामी खान समापन योजना को लागू कर सकती है। साथ ही यह श्री सुनिश्चित कर सकती है कि अंतिम खान समापन योजना पट्टाधारियों द्वारा प्रस्तुत की जाए और इसके क्रियान्वयन के लिए जि.ख.प. द्वारा अनुमोदित किया जाए;
 10. विस्तृत जाँच कर यह सुनिश्चित कर सकती है कि कम प्रतिवेदित खनिजों के उत्खनन की वास्तविक मात्रा का आकलन किया जाए तथा झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एमसीडीआर), 2017 के नियम 34A की तर्ज पर पूरे राज्य में लघु खनिज पट्टों का ड्रोन सर्वेक्षण करने का प्रावधान कर सकती है ताकि पट्टाधारियों द्वारा अधिक उत्खनन की जाँच की जा सके और उसके अनुरूप अर्थदण्ड लगाया जा सके;
 11. खान एवं भूतत्व विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (सीआ), केंद्रीय भूजल बोर्ड और झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच समन्वय स्थापित कर सकती है, ताकि खनन योजनाओं एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके;
 12. खनन गतिविधियों के कारण क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की पहचान और पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार के लिए आवधिक सर्वेक्षण की प्रणाली को लागू कर सकती है;

13. खनिजों के परिवहन से संबंधित सभी पहलुओं (तौल, ट्रैकिंग, अनुश्रवण इत्यादि) को एकीकृत करने वाली एक समग्र प्रणाली लागू कर सकती है जिससे खनिजों के अवैध परिवहन की प्रभावी अनुश्रवण एवं रोकथाम की जा सके; और
14. डीलरों/पट्टा के क्षेत्रों में वेब्रिज की स्थापना सुनिश्चित कर सकती है, जिनमें प्रमाणिक रूप से तौल डेटा को वास्तविक समय में परिवहन चालान संप्रेषित करने की सुविधा उपलब्ध हो।

अध्याय १

परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (खा.ख.वि.वि. अधिनियम) की धारा 3(ad) के तहत परिभाषित खनिज में खनिज तेलों को छोड़कर सभी खनिज शामिल हैं। खनिज संसाधनों का प्रबंधन केंद्र तथा राज्य सरकार¹ दोनों की जिम्मेदारी है। खनिजों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है अर्थात्, वृहत् एवं लघु खनिज। खा.ख.वि.वि. अधिनियम की प्रथम अनुसूची में परिभाषित खनिजों (चौथी अनुसूची में अधिसूचित खनिजों सहित) की व्याख्या खा.ख.वि.वि. अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमावली में वृहत् खनिजों के रूप किया गया है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 3(e) के अनुसार, लघु खनिजों में भवन निर्माण हेतु पत्थर, बजरी, सामान्य मिट्टी, सामान्य बालू आदि तथा केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य खनिज सम्मिलित हैं।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 15, राज्य सरकार को लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों अथवा अन्य खनिज रियायतों को स्वीकृत करने को विनियमित करने और उससे संबंधित उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार प्रदान करती है।

झारखण्ड सरकार (झा.स.) ने लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टे, खनन पट्टे अथवा अन्य खनिज रियायतों के स्वीकृत करने को विनियमित करने के लिए झारखण्ड लघु खनिज समनुदान (झा.ल.ख.स.) नियमावली, 2004 बनाया है। लघु खनिजों की सूची इस नियमावली के अनुसूची-2 एवं अनुसूची-2(क) में संलग्न है।

झारखण्ड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने (मई 2015) कर-निर्धारण प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से झारखण्ड एकीकृत खान एवं खनिज प्रबंधन प्रणाली (जिम्स) नामक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित खनिज प्रशासन प्रणाली लागू किया। जिम्स पोर्टल के अनुसार, नवंबर 2023 तक झारखण्ड में लघु खनिजों के कुल 599 पट्टे कार्यशील थे।

1.2 हमने इस विषय का चयन क्यों किया?

खनिज रियायतों के आवंटन में राज्य सरकार द्वारा की गई अनियमितताएँ, पत्थर खनन पट्टाधारियों द्वारा अपनाई जा रही असतत एवं अवैज्ञानिक खनन पद्धतियाँ,

¹ भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची (सूची-I) की प्रविष्टि 54 और राज्य सूची (सूची-II) की प्रविष्टि 23

तथा बालू घाटों की बंदोबस्ती नहीं किया जाना इत्यादि से जुड़े मुद्दे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रमुखता से प्रकाशित होते रहे हैं।

अतः, उजागर किये गए मुद्दे के समाधान हेतु, केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू अधिनियम एवं उसके अधीन बनाए गए नियमावलियों के प्रवर्तन में राज्य सरकार की प्रभावशीलता का आकलन करने के उद्देश्य से 'झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन' विषय का चयन किया गया।

1.3 संगठनात्मक ढाँचा

सरकार के स्तर पर, सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, अधिनियम और नियमावली के प्रशासन के लिए उत्तरदायी हैं। सचिव की सहायता के लिए दो संयुक्त सचिव, दो उप सचिव एवं तीन अवर सचिव नियुक्त हैं। विभाग को निदेशक, भूतत्व तथा निदेशक, खान के अधीन को दो प्रमुख कार्यात्मक इकाइयों में विभाजित किया गया है।

निदेशक, खान, अधिनियम और नियमावली के प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं। उन्हें मुख्यालय स्तर पर एक अपर निदेशक, खान, (एडीएम), दो उपनिदेशक, खान (उ.नि.खा.) और दो सहायक खनन पदाधिकारियों (स.ख.प.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। राज्य को छह अंचलों² में विभाजित किया गया है, प्रत्येक के प्रभार में एक उपनिदेशक, खान है। अंचल को पुनः 24 जिला खनन कार्यालयों³ में विभाजित किया गया है, प्रत्येक के प्रभार में एक जिला खनन पदाधिकारी (जि.ख.प.)/स.ख.प. हैं। जि.ख.प./स.ख.प., स्वामिस्व एवं अन्य खनन देयताओं के आरोपण एवं संग्रहण के लिए जिम्मेदार है। उन्हें खनन निरीक्षकों (ख.नि.) द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। जि.ख.प. और ख.नि. (i) खनन पट्टा क्षेत्रों का निरीक्षण करने, (ii) उत्पादन की समीक्षा करने और (iii) खनिजों के प्रेषण की जाँच करने के लिए अधिकृत हैं।

निदेशक, भूतत्व खनिजों के विस्तृत भूतात्विक अन्वेषण, भू-तकनीकी अध्ययन एवं विश्लेषण तथा खनिज (खनिज साक्ष्य) नियमावली, 2015 के संदर्भ में नीलामी हेतु खनिज ब्लॉकों की तैयारी के लिए उत्तरदायी हैं। मुख्यालय स्तर पर निदेशक, भूतत्व की सहायता हेतु एक अपर निदेशक, चार उपनिदेशक, तीन सहायक निदेशक तथा पाँच भूतत्ववेता कार्यरत हैं। झारखण्ड में एक अपर निदेशक, भूतत्व के अधीन एक राज्य भूतात्विक प्रयोगशाला और एक भूतात्विक प्रशिक्षण संस्थान भी है। राज्य को पाँच अंचलों⁴ में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का प्रभार

² दक्षिण छोटानागपुर अंचल (राँची), उत्तर छोटानागपुर अंचल (हजारीबाग), कोल्हान अंचल (चाईबासा), संथाल परगना अंचल (दुमका), धनबाद अंचल तथा पलामू अंचल (मेदिनीनगर)।


³ बोकारो, चाईबासा, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, रामगढ़, राँची, साहिबगंज, सरायकेला-खरसावां और सिमडेगा।

⁴ कोल्हान, उत्तर छोटानागपुर, पलामू, संथाल परगना और दक्षिण छोटानागपुर।

एक उपनिदेशक, भूतत्व के पास है। अंचलों को 14 जिला भूतात्विक कार्यालयों⁵ में विभाजित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक का प्रभार एक सहायक निदेशक, भूतत्व के पास है। इन सहायक निदेशकों को भूतत्ववेताओं द्वारा सहायता प्रदान की जाती है।

संगठनात्मक ढाँचा को तालिका-1.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-1.1: विभाग का संगठनात्मक ढाँचा



⁵ बोकारो (बोकारो एवं धनबाद जिलों के लिए), चाईबासा, देवघर (देवघर एवं जामताड़ा जिलों के लिए), दुमका (दुमका एवं गोड्डा जिलों के लिए), हजारीबाग (चतरा, हजारीबाग एवं रामगढ़ जिलों के लिए), जमशेदपुर, गुमला (गुमला एवं सिमडेगा जिलों के लिए), कोडरमा (गिरिकीह एवं कोडरमा जिलों के लिए), लातेहार, लोहरदगा, मेदिनीनगर (गढवा एवं पलामू जिलों के लिए), रांची (रांची एवं खूंटी जिलों के लिए), साहिबगंज (पाकुड़ एवं साहिबगंज जिलों के लिए) तथा सरायकेला-खरसावां।

1.4 लेखापरीक्षा का उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि:

- i) खनन पट्टे या अनुजप्तियाँ संबंधित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत, नवीकृत, बंद तथा निरस्त किये गए थे;
- ii) सतत और वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करने एवं राजस्व को बढ़ाने तथा सुरक्षित रखने के लिए राज्य में लघु खनिजों के खानों का प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था; और
- iii) पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय समस्याओं का समाधान, अवैध खनन और राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए खनन गतिविधियों में शामिल विभिन्न विभागों के बीच पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और समन्वय मौजूद था।

1.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा के मापदंड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किए गए हैं:

- खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 संशोधनों सहित;
- लघु खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (लघु एम.एम.सी.डी.आर.), 2010;
- झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (झा.ल.ख.स.) नियमावली, 2004 संशोधनों सहित;
- झारखण्ड लघु खनिज (नीलामी) नियमावली, 2017;
- झारखण्ड राज्य बालू खनन नीति, 2017;
- झारखण्ड लघु खनिज (खनिज साक्ष्य) नियमावली, 2018;
- झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2017;
- बिहार और उड़ीसा लोक माँग वसूली अधिनियम, 1914;
- राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा निर्गत अधिसूचनाएँ, आदेश एवं परिपत्र।

1.6 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

निष्पादन लेखापरीक्षा में पाँच वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक की अवधि आच्छदित है। लेखापरीक्षा में राज्य स्तर की इकाइयाँ (विभाग एवं निदेशालयों), चयनित जिला खनन कार्यालयों के अभिलेखों की जाँच तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन सम्मिलित हैं।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों का जाँच की:

- लघु खनिजों का आवंटन एवं नीलामी, राजस्व की प्रवृत्ति तथा खनिजों का अन्वेषण;

- राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (सीआ), झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेएसपीसीबी) इत्यादि जैसी संबद्ध एजेंसियों की भूमिका तथा विभाग के साथ उनका समन्वय;
- झारखण्ड राज्य बालू खनन नीति, 2017 के मद्देनजर झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) की भूमिका;
- लघु खनिजों के 74 खनन पट्टों के संबंध में खनन योजनाएँ और जिम्स पर उपलब्ध जानकारी;
- संयुक्त भौतिक सत्यापन के माध्यम से झारखण्ड के 24 जिलों में से छह चयनित जिलों में 63 पत्थर पट्टों की खनन योजनाएँ, गूगल-अर्थ प्रो पर कीहोल मार्कअप लैंगवेज (केएमएल) फाइलों⁶ के माध्यम से खनन पट्टा क्षेत्र की जाँच और भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आदि पर उपलब्ध जानकारी; और
- छह चयनित जिलों में 597 खदान प्रभावित लोगों का लाभार्थी सर्वेक्षण।

1.7 नमूना एवं नमूना चयन की प्रक्रिया

निष्पादन लेखापरीक्षा के अंतर्गत विभाग तथा जेएसएमडीसी को आच्छादित किया गया।

खनिजों, इकाइयों के चयन एवं प्रयुक्त प्रक्रिया का विवरण इस प्रकार है:


खनिज: वर्ष 2017-22 के दौरान, लघु खनिजों से प्राप्त कुल स्वामिस्व⁷ में से 95 प्रतिशत केवल पत्थर खनन से प्राप्त हुआ, इसलिए पत्थर खदान से संग्रहित स्वामिस्व के आधार पर राज्य के 24 जिला खनन कार्यालयों में से छह जिला खनन कार्यालयों⁸ को विस्तृत लेखापरीक्षा विश्लेषण हेतु चयन किया गया। झारखण्ड राज्य के मानचित्र पर चयनित जिलों का प्रतिनिधित्व इस प्रकार है:

⁶ केएमएल फाइल एक प्रारूप है जिसका उपयोग गूगल-अर्थ जैसे अर्थ-ब्राउज़र में भौगोलिक डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

⁷ स्टोन मेटल, ईंट मिट्टी, बालू, चाइना क्ले, डोलोमाइट, मोरम आदि।

⁸ चाईबासा, चतरा, धनबाद, पाकुड़, पलामू और साहिबगंज।

चित्र-1.1: झारखण्ड के मानचित्र पर छह चयनित जिलों को दर्शाया गया है



जेएसएमडीसी: अगस्त 2017 में लागू नई बालू खनन नीति के तहत, राज्य के आम लोगों को उचित मूल्य पर बालू की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति के लिए जेएसएमडीसी को मान्य पद्धतिगत बनाया गया था। हालाँकि, लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान श्रेणी-2 के कुल 608 बालू घाटों में से केवल 21 ही परिचालित थे। केवल 3.45 प्रतिशत वाणिज्यिक बालू घाटों के परिचालन के कारणों का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा जेएसएमडीसी की विस्तृत समीक्षा की गई।

1.8 अंतर्गमन एवं बहिर्गमन सम्मेलन

अंतर्गमन सम्मेलन 25 अगस्त 2022 को झारखण्ड सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के सचिव के साथ आयोजित किया गया, जिसमें लेखापरीक्षा के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं कार्यप्रणाली की जानकारी दी गई थी। बहिर्गमन सम्मेलन 22 जुलाई 2024 को विभागीय सचिव के साथ आयोजित किया गया था। सचिव ने बताया कि लेखापरीक्षा अवलोकनों/सुझावों से संबंधित आंकड़ों का सत्यापन किया जा रहा है तथा विस्तृत उत्तर/टिप्पणियाँ जाँच उपरांत उपलब्ध कराई जाएंगी। हालाँकि, मार्च 2024 से मई 2025 के बीच कई स्मार पत्र भेजे जाने के बावजूद, लेखापरीक्षा अवलोकनों पर विभाग की विस्तृत टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुए हैं (जुलाई 2025)।

1.9 प्रतिवेदन की संरचना

यह प्रतिवेदन लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर संरचित की गई है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित अध्यायों में प्रस्तुत किया गया है:

अध्याय-2: खनन पट्टों का आवंटन;

अध्याय-3: राजस्व संग्रहण एवं बालू घाटों का प्रबंधन;

अध्याय-4: सतत एवं वैज्ञानिक खनन; और

अध्याय-5: निष्कर्ष।

1.10 आभारोक्ति

निष्पादन लेखापरीक्षा नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच की गई थी। लेखापरीक्षा में अपेक्षित सहयोग और सहायता प्रदान करने के लिए विभाग, जेएसएमडीसी, राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सीआ) तथा नमूना जाँचित जिला खनन कार्यालयों को आभार घोषित किया जाता है।

अध्याय 2

खनन पट्टों का आवंटन

खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 15 राज्य सरकार को लघु खनिजों के संबंध में खदान पट्टों, खनन पट्टों या अन्य खनिज अनुदानों को विनियमित करने और उससे जुड़े उद्देश्यों के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। तदनुसार, झारखण्ड सरकार ने झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (झा.ल.ख.स.) नियमावली, 2004 बनाया, जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया है। झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के अनुसार, रैयती भूमि पर तीन हेक्टेयर तक के पत्थर, मोरम और मिट्टी के संबंध में पट्टा, उपायुक्त द्वारा प्रदान किया जाता है और अन्य मामलों में लघु खनिजों के पट्टे, चाहे उनका क्षेत्रफल और भूमि का स्वामित्व कुछ भी हो, झारखण्ड सरकार द्वारा बनाया गया (16 अगस्त 2017 को अधिसूचित) झारखण्ड लघु खनिज (नीलामी) नियमावली, 2017 के प्रावधानों के तहत निदेशक, खान द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं।

2.1 लघु खनिजों के पट्टों की स्वीकृति (गैर-नीलामी मामले)⁹

आयुक्तों द्वारा गैर-नीलामी मामलों में लघु खनिजों के खनन पट्टे स्वीकृति करने के लिए अपनाई जाने वाली आवश्यक मानक संचालन प्रक्रिया को प्रवाह चार्ट के माध्यम से चार्ट-2.1 में दर्शाया गया है।

**चार्ट-2.1: लघु खनिजों के लिए गैर-नीलामी मामलों में खनन पट्टों की स्वीकृति
हेतु मानक संचालन प्रक्रिया**

लघु खनिजों का खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए निर्धारित दस्तावेजों के साथ प्रपत्र "ए" में आवेदन जिला खनन पदाधिकारी (जि.ख.प.) को प्रस्तुत किया जाता है। आवेदन की पूर्णता की जाँच करने के बाद, जि.ख.प. आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर उसे स्वीकार या बिलकुल अस्वीकार कर सकता है।



आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 120 दिनों के अन्दर, वन विभाग, भूमि राजस्व विभाग से आवश्यक सत्यापन तथा संबंधित ग्राम सभा की सहमति प्राप्त करने के उपरांत, जि.ख.प. आशय का पत्र निर्गत करता है, अन्यथा कालबाधित होने के बाद आवेदन अस्वीकृत माना जाता है।



खनन पट्टे के आवेदक को स्वीकृति के लिए एक खनन योजना और एक प्रगामी खान समापन योजना प्रस्तुत करनी होती है। आवेदक को वायु, जल प्रदूषण की

⁹ उपायुक्त द्वारा रैयती भूमि पर खनन पट्टों की स्वीकृति।

रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के लिए सक्षम प्राधिकारी से पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्राप्त करनी होती है।



खनन पट्टा स्वीकृति आदेश, खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति जमा करने के 30 दिनों के अन्दर जारी किया जाता है। प्रारंभिक व्यय, सुरक्षित जमा और वित्तीय आश्वासन से संबंधित राशि जमा करने पर, स्वीकृति आदेश जारी होने की तिथि से 90 दिनों के अंदर पट्टा विलेख निष्पादित किया जाता है, अन्यथा स्वीकृति आदेश निरस्त माना जाता है। इसके पश्चात, आवेदक को खनन कार्य शुरू करने से पहले जेएसपीसीबी से स्थापना की सहमति (सीटीई) और संचालन की सहमति (सीटीओ) प्राप्त करनी होती है।

लेखापरीक्षा ने जिम्स पोर्टल (नवंबर 2023) पर उपलब्ध आंकड़ों/सूचना से पाया कि राज्य में लघु खनिजों के कुल 599 पट्टे परिचालन में थे।

छह जिला खनन कार्यालयों¹⁰ द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों/सूचनाओं की जाँच से पता चला कि 2017-22 के दौरान लघु खनिजों के 89 खनन पट्टे स्वीकृत किए गए थे। इन 89 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 40 मामलों (लेखापरीक्षा अवधि में स्वीकृत किए गए कुल पट्टों का 45 प्रतिशत) का जाँच किया। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने 79 अन्य मामलों का भी जाँच किया, जहाँ खनन पट्टे 2017 से पूर्व स्वीकृत किए गए थे, लेकिन ये पट्टे या तो परिचालन में थे या लेखापरीक्षा अवधि (2017-22) के दौरान नवीकृत किए गए थे। नमूना जाँचित जिलों में खनन पट्टों का विवरण तालिका-2.1 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.1: नमूना जाँचित जिलों में लघु खनिज पट्टों का 31 मार्च 2022 का विवरण

जिला	31 मार्च 2022 तक परिचालित लघु खनिज पट्टों की संख्या	2017-2022 के दौरान स्वीकृत खनन पट्टों की संख्या	2017-22 के दौरान स्वीकृत खनन पट्टों में से नमूना जाँचित पट्टों की संख्या	2017 से पूर्व आवंटित पट्टों में से नमूना जाँचित पट्टों की संख्या (चयनित पट्टों में से)
चाईबासा	11	00	00	10
चतरा	13	03	02	08
धनबाद	62	12	12	12
पाकुड़	51	24	07	20
पलामू	54	30	04	21
साहिबगंज	78	20	15	08
कुल	269	89	40	79
नमूना जाँचित कुल खनन पट्टे			119	

स्रोत: जिला खनन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

¹⁰ चाईबासा, चतरा, धनबाद, पाकुड़, पलामू और साहिबगंज।

इन 119 मामलों के जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने 44 मामलों में खनन पट्टों के स्वीकृति में विभिन्न अनियमितताएं पाई, जिनहें तालिका-2.2 में दर्शाया गया है तथा आगामी कंडिकाओं में विस्तार से चर्चा की गई है।

तालिका-2.2: लघु खनिजों की स्वीकृति में अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण

क्र. सं.	अनियमितताओं का संक्षिप्त विवरण	जिला	मामलों की संख्या
1	उपायुक्त तीन हेक्टेयर से अधिक ऐयती भूमि ¹¹ पर खनन पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं थे, फिर भी उन्होंने ऐसे मामलों में खनन पट्टा स्वीकृत कर दिया था। (कंडिका 2.1.1.1)	साहिबगंज	1
2	खनन पट्टा वहाँ प्रदान किया गया था जहाँ जि.ख.प. ने स्वतः आवेदित क्षेत्र को कम कर दिया था। (कंडिका 2.1.1.2)		1
3	झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 5(3) तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के विरुद्ध, वन भूमि पर खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था। (कंडिका 2.1.2)	पलामू चतरा	7 1
4	अनिवार्य दस्तावेजों के अपूर्ण सेट पर खनन पट्टा स्वीकृत किया गया था। (कंडिका 2.1.3)	चाईबासा चतरा धनबाद पाकुड़ पलामू साहिबगंज	4 4 6 4 1 11
5		धनबाद पाकुड़	2 2
कुल			44

2.1.1 पट्टों की अनियमित स्वीकृति

लेखापरीक्षा ने पत्थर खदानों के पट्टे स्वीकृत करने के संबंध में झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 में लगातार परिवर्तन पाया। नियमावली में अवधि-वार परिवर्तन, उनके पट्टा आवेदनों पर प्रभाव तथा उपायुक्त के ऐयती भूमि पर खनन पट्टा प्रदान करने के अधिकार का विवरण नीचे वर्णित किया गया है:

- झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2017: 02 मार्च 2017 से 11 दिसंबर 2017 के दौरान
 - (i) पाँच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले ऐयती भूमि पर खनन पट्टे हेतु उपायुक्त को आवेदन किया जा सकता था, जो इसे स्वीकृत करने हेतु सक्षम थे।

¹¹ राजस्व अभिलेख रजिस्टर-2 में दर्शाई गई भूमि की प्रकृति (व्यक्ति विशेष के स्वामित्व वाली)।

- (ii) पाँच हेक्टेयर से अधिक रैयती भूमि पर पट्टा स्वीकृति हेतु आवेदन जो संशोधन के प्रभावी होने तक लंबित था उसे अयोग्य माना जाएगा केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ आशय का पत्र निर्गत किया गया था, इन शर्तों के साथ कि आवेदक को 1 सितंबर 2017 से 180 दिनों के अंदर खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा।
- **झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017: 12 दिसंबर 2017 से 13 मार्च 2019 के दौरान**
 - (i) पाँच हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल की रैयती भूमि पर खनन पट्टे के लिए उपायुक्त को आवेदन किया जा सकता था एवं वे इसे स्वीकृत करने के लिए सक्षम थे।
 - (ii) खनन पट्टों के लिए सभी लंबित आवेदन अयोग्य माने गए चाहे उनका क्षेत्रफल कुछ भी हो, केवल उन मामलों को छोड़कर जहाँ आशय का पत्र निर्गत था, इन शर्तों पर कि आवेदक को अधिसूचना की तिथि अर्थात् 12 दिसंबर 2017 से 180 दिनों के भीतर खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्तुत करना होगा अन्यथा आवेदन स्वतः अस्वीकृत हो जाएगा।
 - **झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2019: 14 मार्च 2019 से वर्तमान तक**
 - (i) उपायुक्त केवल तीन हेक्टेयर तक की रैयती भूमि पर पत्थर, मोरम और मिट्टी के खनन पट्टे स्वीकृत कर सकते हैं।

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 62 के प्रावधानों के तहत, आवेदक आवेदन की अस्वीकृति की समीक्षा के लिए खान आयुक्त के समक्ष अस्वीकृति आदेश के 60 दिनों के अंदर या स्वतः अस्वीकृति के 75 दिनों के अंदर अपील कर सकता है।

जि.ख.प., साहिबगंज में पट्टा अभिलेखों की जाँच में लेखापरीक्षा ने दो मामले देखे जहाँ लघु खनिजों के लिए पट्टे अनियमित रूप से स्वीकृत किए गए थे, जो नीचे वर्णित हैं:

2.1.1.1 तीन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर खनन पट्टे की अनियमित स्वीकृति

एक आवेदक ने 4.74 हेक्टेयर रैयती भूमि पर पत्थर खनन पट्टे के लिए आवेदन (सितंबर 2017) किया था, जिसके लिए जि.ख.प., साहिबगंज ने आशय का पत्र जारी किया था (अक्टूबर 2017)। इस बीच, झा.ल.ख.स. नियमावली में दूसरा संशोधन जारी किया गया (12 दिसंबर 2017), जिसके तहत आवेदक को आशय का पत्र जारी होने की तिथि से 180 दिनों के अंदर खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति जमा करना था। चूंकि आवेदक 11 जून 2018 की नियत तिथि तक खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति जमा करने में विफल रहा, अतः आवेदन स्वतः

अस्वीकृत हो गया (जून 2018)। हालाँकि, स्वतः अस्वीकृत होने के बावजूद आवेदक ने सीआ में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए अक्टूबर 2019 में आवेदन किया, जो नवंबर 2019 में स्वीकृत कर दिया गया।

इस बीच, झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(1)(ड) को पुनः संशोधित किया गया (28 सितंबर 2020 से प्रभावित), जिसमें कहा गया कि यदि आशय का पत्र जारी होने की तारीख से 180 दिनों के अन्दर खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति जमा नहीं होने के कारण खनन पट्टा का आवेदन पत्र का निपटारा नहीं किया जा सका, और यदि देरी के लिए आवेदक की कोई गलती नहीं है, तो खान आयुक्त मामले की मेरिट के आधार पर आवेदन पर विचार कर सकते हैं।

आवेदक ने खान आयुक्त, झारखण्ड के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका (अक्टूबर 2020) दायर किया, जिन्होंने समीक्षा के बाद, मामले को इस निर्देश के साथ उपायुक्त, साहिबगंज को वापस भेज दिया (22 दिसंबर 2020) कि वे मामले की नए सिरे से जाँच करें, बशर्ते कि झा.ल.ख.स. नियमावली में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वैधानिक स्वीकृति प्रस्तुत की गयी हो। खान आयुक्त के निर्देशों के जवाब में, उपायुक्त, साहिबगंज ने जि.ख.प., साहिबगंज द्वारा दिया गया (दिसंबर 2020) प्रस्ताव टिप्पणी के आधार पर खनन पट्टा स्वीकृत किया (फरवरी 2021)। तत्पश्चात, 08 अप्रैल 2021 से 07 अप्रैल 2031 तक की अवधि के लिए पट्टा विलेख निष्पादित किया गया (अप्रैल 2021)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आवेदक ने आवेदन को स्वतः अस्वीकृत होने के बाद समीक्षा याचिका दायर किया था, जिसे उपायुक्त, साहिबगंज को मामले की नए सिरे से जाँच करने के निर्देश के साथ वापस भेज दिया गया। तथापि, जि.ख.प., साहिबगंज ने आदेश की गलत व्याख्या किया और दर्ज किया कि आयुक्त ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब के लिए आवेदक को जिम्मेदार नहीं माना और प्रस्ताव टिप्पणी उपायुक्त को भेज दिया। हालाँकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि विलंब आवेदक की ओर से हुआ था क्योंकि उसने 10 महीने बीत जाने के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन किया था (अक्टूबर 2019) जबकि आवेदन पहले ही स्वतः अस्वीकृत हो चुका था। इस प्रकार, जि.ख.प., साहिबगंज ने उपायुक्त, साहिबगंज को भेजे गए अपने प्रस्ताव टिप्पणी में गलत और भ्रामक तथ्य प्रस्तुत किए, जिन्होंने आयुक्त के आदेशों का अभिप्राय/विषयवस्तु की जाँच किए बिना (फरवरी 2021) पट्टा स्वीकृत कर दिया।

लेखापरीक्षा ने पुनः पाया कि झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 9(1) के अनुसार, उपायुक्त तीन हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्र में खनन पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं थे। तीन हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र में खनन पट्टा का ई-नीलामी किया जाना था। हालाँकि, उपायुक्त, साहिबगंज ने उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करते हुए अपने क्षेत्राधिकार से बाहर खनन पट्टा (4.74 हेक्टेयर ऐती भूमि पर) स्वीकृत कर दिया। ई-नीलामी के माध्यम से तीन हेक्टेयर और

उससे अधिक क्षेत्र में पट्टा स्वीकृत करने की प्रक्रिया का अनुपालन करने से अधिक राजस्व प्राप्त हो सकता था।

2.1.1.2 आवेदित क्षेत्र को अनियमित रूप से घटाकर खनन पट्टे की स्वीकृति

एक आवेदक ने 3.136 हेक्टेयर ऐयती भूमि पर खनन पट्टे के लिए आवेदन किया था (02 मार्च 2019), जिसके लिए जि.ख.प., साहिबगंज ने 2.833 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आशय का पत्र जारी किया (जून 2019) और अक्टूबर 2019 में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया गया। खनन पट्टा उपायुक्त, साहिबगंज द्वारा स्वीकृत किया गया और जि.ख.प., साहिबगंज द्वारा स्वीकृतादेश (जुलाई 2021) निर्गत किया गया। तत्पश्चात, पट्टा विलेख के निष्पादन की तिथि से 10 वर्ष की अवधि के लिए पट्टा विलेख निष्पादित किया गया (अगस्त 2021)।

लेखापरीक्षा ने देखा कि झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 9(1) और 14 मार्च 2019 से प्रभावी झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 9(1) के अनुसार, तीन हेक्टेयर और उससे अधिक क्षेत्र में खनन पट्टे के लिए सभी आवेदन स्वतः अयोग्य हो जाने चाहिए थे और उन क्षेत्रों का पट्टा बन्दोवस्ती ई-नीलामी के माध्यम से किया जाना चाहिए था। हालांकि, जि.ख.प., साहिबगंज ने न केवल आवेदन पर विचार किया, बल्कि पट्टा क्षेत्र को कम करने के लिए आवेदक के अनुरोध के बिना ही क्षेत्र को 2.833 हेक्टेयर तक घटा कर आशय का पत्र निर्गत किया। इस प्रकार, आवेदित क्षेत्र को घटाना, ई-नीलामी के माध्यम से पट्टा प्रदान करने के प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए जिला प्रशासन और आवेदक के बीच मिलीभगत का संकेत था। सक्षम उच्च अधिकारियों को गुमराह करने और आवेदक को अनुचित लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी तय करने की जरूरत है।

2.1.2 वन भूमि पर खनन पट्टे की अनियमित स्वीकृति

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 5(3) में प्रावधान है कि केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना सुरक्षित और संरक्षित वनों पर कोई खनन पट्टा स्वीकृत नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक पत्र (एफ.सं.11-28/2005-एफसी, भारत सरकार) जारी किया है जिसमें कहा गया है कि वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अनुसार, राजस्व अभिलेखों में वन या जंगल झाड़ के रूप में दर्ज किसी भी भूमि की कानूनी स्थिति केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना नहीं बदली जा सकती। झारखण्ड सरकार भूमि की प्रकृति को अद्यतन करने के लिए सर्वेक्षण करती है। इन सर्वेक्षणों के आधार पर, अधिसूचना की तिथि से भूमि की प्रकृति को पुराने से बदल कर समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। नया सर्वेक्षण दस्तावेज़ अधिसूचित होने के बाद ही प्रभावी होगा, जिसके बिना ऐसा दस्तावेज़ मान्य नहीं होगा।

जिला खनन कार्यालयों, चतरा और पलामू में अंचल अधिकारी के प्रतिवेदनों के आधार पर पत्थर के आठ पट्टे स्वीकृत किये गए थे, जिनमें भूमि की प्रकृति गैर-मजरुआ परती कदीम, पत्थर पहाड़, टांड-II, पुरानी परती और धनहर-II बताई गई थी। लेखापरीक्षा ने इन मामलों की जाँच की और पाया कि ये पट्टे जंगल झाड़ की भूमि पर दिए गए थे और वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्रावधानों के अंतर्गत वन भूमि की श्रेणी में आते थे। इन पट्टों की जाँच का विवरण तालिका-2.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.3: वन भूमि पर खनन पट्टों के अनियमित स्वीकृति के मामले

क्र. सं.	पट्टा का विवरण एवं स्वीकृति की तिथि	जिला	अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार भूमि की प्रकृति	लेखापरीक्षा अवलोकन
अ. लेखापरीक्षा ने अभिलेखों में उपलब्ध ग्रामीणों की शिकायतों के कारण मामले की जाँच किया				
1	रवि शंकर सिंह, मौजा-खरवाडीह, अंचल-छत्तरपुर, पुराना खाता सं.- 18 एवं प्लॉट सं.- 515	पलामू	पत्थर टांड-II एवं धनहर-II	पुराने सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित कैडेस्ट्रल मानचित्र (वर्ष 1915-16) की जाँच से पता चला कि भूमि की प्रकृति को जंगल झाड़ के रूप में दर्शाया गया था।
2	आशुतोष स्टोन माइंस, मौजा- डालकोमा, अंचल- हंटरगंज, खाता सं.- 31 एवं 34, प्लॉट सं.- 223 एवं 221/238, पट्टा स्वीकृति की तिथि- 09.06.2014	चतरा	गैर-मजरुआ परती कदीम ¹²	ग्रामीणों की शिकायत पर किए गए अनुमंडल पदाधिकारी (नवंबर 2022) की जाँच प्रतिवेदन से लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व अभिलेखों में भूमि की प्रकृति जंगल झाड़ के रूप में वर्णित थी, किंतु जि.ख.प. ने पट्टाधारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की।
ब. लेखापरीक्षा ने उन मामलों की जाँच की, जिनमें अंचल अधिकारी द्वारा भूमि की प्रकृति को बिना अधिसूचित हुए नए सर्वेक्षण प्रतिवेदन के आधार पर गलत तरीके से प्रतिवेदित किया गया था				
3	राज कुमार खुराना, मौजा- मुनकेरी, अंचल- छत्तरपुर, पुराना खाता सं.- 218, प्लॉट सं.- 1480, पट्टा स्वीकृति की तिथि- 07.08.2013	पलामू	पत्थर	लेखापरीक्षा पृच्छा के उत्तर में, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू ने बताया कि चार मामलों में भूमि की प्रकृति का पता नहीं चल सका क्योंकि खतियान फटा हुआ था। लेखापरीक्षा ने पाया कि अंचल अधिकारी द्वारा बताई गई भूमि की प्रकृति नई सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित थी जिसे अधिसूचित नहीं किया गया था। हालाँकि, पुराने सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित कैडेस्ट्रल मानचित्र (वर्ष 1915-16) की जाँच से पता चला
4	चन्द्र भूषण, मौजा- मुनकेरी, अंचल- छत्तरपुर, पुराना खाता सं.- 218, प्लॉट सं.- 1505 एवं 1507, पट्टा स्वीकृति की तिथि- 15.02.2016		पत्थर पहाड़	

¹² भूमि की प्रकृति का वर्गीकरण।

क्र. सं.	पट्टा का विवरण एवं स्वीकृति की तिथि	ज़िला	अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार भूमि की प्रकृति	लेखापरीक्षा अवलोकन
5	महादेव कंस्ट्रक्शन, मौजा - मुनकेरी, अंचल- छत्तरपुर, पुराना खाता सं.- 218, प्लॉट सं.- 2751, पट्टा स्वीकृति की तिथि - 21.12.2015	पलामू	पुरानी परती, गैर. आम	कि भूमि की प्रकृति जंगल झाड़ के रूप में दर्शाई की गई थी।
6	अनूप सिंह, मौजा-मुनकेरी, अंचल-छत्तरपुर, पुराना खाता सं.- 218, प्लॉट सं.- 110, पट्टा स्वीकृति की तिथि-21.12.2015		पहाड़ी	
7	श्याम स्टोन माइंस, मौजा- कर्मकला, पुराना खाता सं.-152, प्लॉट सं.- 994, पट्टा स्वीकृति की तिथि-09.06.2015	पत्थर		इस मामले में, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, पलामू ने बताया कि नई सर्वेक्षण रिपोर्ट में ज़मीन की प्रकृति जंगल झाड़ (जैसा कि पुरानी सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाया गया था) से बदलकर पत्थर पहाड़ कर दी गई है। हालाँकि, अंचल अधिकारी ने नई सर्वेक्षण प्रतिवेदन, जो अधिसूचित नहीं हुई थी, के आधार पर प्रकृति बताई।
8	रामाशीष सिंह, मौजा - मधेया, अंचल - छत्तरपुर, पुराना खाता सं.- 40, प्लॉट सं.- 653 (आंशिक), स्वीकृति तिथि - 27.02.2016	पत्थर पहाड़		अंचल अधिकारी ने भूमि की प्रकृति को नई सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर पत्थर पहाड़ बताया, जबकि लेखापरीक्षा ने जाँच किया और पाया कि झारभूमि ¹³ पोर्टल पर अब भी भूमि की प्रकृति जंगल झाड़ के रूप अंकित है।
इन सभी छह मामलों (क्रम संख्या 3 से 8) में भूमि की प्रकृति को एक नई सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिसे अधिसूचित नहीं किया गया था (अक्टूबर 2023 तक), के आधार पर गलत बताया गया था, इसलिए इस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था।				

उपरोक्त के आलोक में राजस्व अभिलेखों में जंगल झाड़ के रूप में दर्ज भूमि की कानूनी स्थिति में केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना परिवर्तन किया जाना, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन था।

लेखापरीक्षा यह भी पाया गया कि यद्यपि विभाग ने जटिल खनन प्रक्रिया और अभिलेखों के सरलीकरण के लिए एक स्वचालित प्रणाली (जिम्स) शुरू की थी, लेकिन खनन पट्टे/नवीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान नहीं की

¹³ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड सरकार का वेब-पोर्टल।

गई थी। इसके अलावा, भूमि अभिलेखों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी विभाग के आकड़ों के साथ जिम्स का एकीकरण भी नहीं था। परिणामस्वरूप, जि.ख.प. खनन पट्टे स्वीकृत/अस्वीकृत करने के लिए, भूमि की प्रकृति और उपयोग का पता लगाने हेतु अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन पर निर्भर थे।

जवाब में, जि.ख.प., पलामू ने बताया (जून 2024) कि लेखापरीक्षा द्वारा सूचित मामलों की जाँच के लिए उपायुक्त, पलामू द्वारा एक समिति गठित की गई थी। समिति ने पाया कि सभी सात पट्टे वन भूमि पर अनियमित रूप से प्रदान किए गए थे। इन सात पट्टों में से, एक पट्टे की अवधि समाप्त हो चुकी है, छह पट्टे निरस्त कर दिए गए, और दोषी अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए कार्रवाई की जा रही थी। शेष एक मामले के संबंध में विभाग या जि.ख.प. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

2.1.3 अनिवार्य दस्तावेजों की अपूर्ण सेट

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(1) के प्रावधानों के तहत, किसी व्यक्ति को लघु खनिजों के खनन पट्टे के लिए नियम 9(2) से 9(8) में निर्धारित दस्तावेजों के एक सेट के साथ आवेदन करना होता था जैसे दो अलग-अलग शपथ पत्र, वैध स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र¹⁴ (आरसीसी), भू-स्वामियों का सहमति पत्र आदि। नियम 9(9) में यह प्रावधान है कि यदि आवेदन के साथ दस्तावेजों का पूरा सेट संलग्न नहीं किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी को आवेदन प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर उसे पूरी तरह से अस्वीकृत कर देना चाहिए।

सभी छह चयनित जिलों में 119 पट्टा अभिलेखों की नमूना जाँच से लेखापरीक्षा ने पाया कि, 30 मामलों में, अनिवार्य दस्तावेजों (परिशिष्ट-2.1 में वर्णित) के पूरे सेट आवेदन पत्र के साथ संलग्न नहीं किए गए थे, जैसा कि तालिका-2.4 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.4: अनिवार्य दस्तावेजों के अपूर्ण सेट पर पट्टा स्वीकृति

क्र. सं.	जिला	ऐसे मामलों की संख्या जिनमें अनिवार्य दस्तावेजों की पूर्ण सेट संलग्न नहीं थीं
1	चाईबासा	4
2	चतरा	4
3	धनबाद	6
4	पाकुड़	4
5	पलामू	1
6	साहिबगंज	11
कुल		30

स्रोत: जिला खनन कार्यालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

¹⁴ स्वमिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र जि.ख.का. द्वारा जारी किया गया एक प्रमाण पत्र है जो प्रमाणित करता है कि आवेदक पर कोई खनन बकाया नहीं है।

इस प्रकार, पूरे दस्तावेजों के अभाव में, इन आवेदनों को सक्षम प्राधिकारी (संबंधित जि.ख.प.) द्वारा प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए था। परंतु, यह देखा गया कि दस्तावेजों की कमी के बावजूद संबंधित उपायुक्तों द्वारा खनन पट्टे अनियमित रूप से स्वीकृत कर दिए गए।

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(5) के अनुसार आवेदकों को पिछले वर्ष के लिए वैध आरसीसी प्रस्तुत करना आवश्यक था, लेकिन जि.ख.प., झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहे, और चार पट्टे उन आवेदकों को स्वीकृत किए गए जिनके पास आवेदन के समय उसी या अन्य जिलों में खनन बकाया था, जैसा कि निम्न कंडिकाओं में वर्णित है:

- जिला खनन कार्यालय, धनबाद में, असित कुमार मंडल और आजाद अंसारी ने फरवरी और मार्च 2016 के बीच तीन पथर खनन पट्टों के लिए संयुक्त रूप से आवेदन किया था। इन पट्टों के लिए, आवेदनों के साथ तीन हलफनामे प्रस्तुत किए गए थे, जिसमें दो हलफनामों में, श्री आजाद अंसारी (सह-आवेदक) ने घोषित किया था कि उनके पास राज्य में कोई खनन पट्टा नहीं है, तीसरे हलफनामे के मामले में, श्री अंसारी ने कहा कि उनके पास जामताड़ा में एक पट्टा है। इस प्रकार, तीसरे आवेदन के आधार पर, यह देखा जा सकता है कि श्री अंसारी ने पहले दो आवेदनों के साथ प्रस्तुत अपने पहले दो हलफनामों में गलत घोषणाएं की थीं। तीनों मामलों में आवेदकों द्वारा आरसीसी प्रस्तुत नहीं किया गया था। इस प्रकार, दो आवेदनों के संबंध में हलफनामे गलत थे और आवेदन आवश्यक आरसीसी द्वारा समर्थित नहीं थे। झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(9) के प्रावधानों के तहत इन दस्तावेजों को प्रस्तुत न करने के कारण तीनों आवेदन अस्वीकृत किए जाने योग्य थे। हालाँकि, जि.ख.प., धनबाद ने आवेदकों को तीनों पट्टे प्रदान कर दिए (अगस्त 2017)। लेखापरीक्षा ने जि.ख.प., जामताड़ा से जानकारी प्राप्त की, जिससे पता चला कि आवेदन के समय आजाद अंसारी पर ₹ 2.97 लाख का बकाया था।
- जिला खनन कार्यालय, धनबाद में एक अन्य मामले में, रामेश्वर महतो ने पत्थर के खनन पट्टे के लिए आवेदन किया था (दिसंबर 2020)। आवेदक के पास बोकारो जिले में एक खनन पट्टा था और उसने एक आरसीसी जमा किया था, लेकिन यह वर्ष 2019-20 के लिए आरसीसी के स्थान पर, जि.ख.प., बोकारो द्वारा जून 2016 में जारी किया गया था। जि.ख.प., धनबाद ने नवीनतम आरसीसी मांगने के बजाय, पुरानी आरसीसी के आधार पर पट्टा प्रदान किया (जनवरी 2022)। लेखापरीक्षा ने बोकारो के जि.ख.प. से अद्यतन जानकारी प्राप्त किया, जिससे पता चला कि आवेदन के समय रामेश्वर महतो पर ₹ 0.76 लाख बकाया था।

- जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ में मेसर्स ब्लैक डायमंड स्टोन वर्क्स ने फर्म के एक साझेदार, महबुल शेख का आरसीसी संलग्न किए बिना पत्थर के खनन पट्टे के लिए आवेदन किया था (जून 2016)। रजिस्टर IX¹⁵ की जाँच से लेखापरीक्षा ने पाया कि श्री महबुल शेख उसी जिले में पंजीकृत दो नीलाम-पत्र वाद में ₹ 10.74 लाख का बकायेदार था। इस तथ्य के बावजूद कि आवेदक फर्म, मेसर्स ब्लैक डायमंड स्टोन वर्क्स के साझेदारों में से एक उसी जिले में बकायेदार था, झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(5) के तहत आवश्यक आरसीसी जमा किए बिना खनन पट्टा स्वीकृत किया गया (सितंबर 2017)। दस्तावेज में कभी थी क्योंकि सह-आवेदक द्वारा आरसीसी जमा नहीं किया गया था, इसलिए आवेदन को सीधे अस्वीकृत कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन जि.ख.प. ने प्रावधानों का पालन नहीं किया, परिणामस्वरूप बकायेदार को पट्टा स्वीकृत हुआ।
- जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ में एक अन्य मामले में, मेसर्स बजरंग स्टोन वर्क्स ने पत्थर के खनन पट्टे के लिए आवेदन किया था (फरवरी 2016)। प्रस्तुत आवेदन पत्र में, श्री सोमराज भगत को मेसर्स बजरंग स्टोन वर्क्स का साझेदार घोषित किया गया था और केवल श्री सोमराज भगत के संबंध में हलफनामा प्रस्तुत किया गया था। जि.ख.प. ने आवेदन पर कार्रवाई करते समय फर्म के अन्य साझेदारों के बारे में पूछताछ नहीं की और खनन पट्टा स्वीकृत किया (सितंबर 2019)। लेखापरीक्षा ने पाया कि भूमि का सतही अधिकार (जिस पर खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था) श्री सोमराज भगत और श्री दिलीप कुमार भगत (सोमराज भगत के पिता) के नाम पर था। रजिस्टर IX की आगे जाँच से पता चला कि दिलीप कुमार भगत (फर्म मेसर्स बजरंग स्टोन वर्क्स के मालिक के रूप में) दो नीलाम-पत्र वाद मामलों (उसी जिले में पंजीकृत) में ₹ 3.99 लाख के खनन बकाये के देनदार थे। इस प्रकार, जि.ख.प. द्वारा आवेदन और स्पष्ट तथ्यों की जाँच में कमियां थीं, जिसके कारण आवेदन के साथ संलग्न अपर्याप्त दस्तावेजों के बावजूद खनन पट्टा अनियमित रूप से स्वीकृत किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(5) के अनुसार, झारखण्ड में आवेदकों द्वारा धारित सभी खनन पट्टों की वैध आरसीसी प्रत्येक आवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है, फिर भी, आवेदकों द्वारा धारित पट्टों के सत्यापन हेतु कोई प्रणाली नहीं थी, जब तक कि आवेदक स्वयं वर्तमान या पूर्व में किसी धारित पट्टे के संबंध में घोषणा प्रस्तुत न करे। आवेदक द्वारा किसी भी प्रकार की जानकारी छिपाने की जाँच करने या, यदि उसके पास पहले से ही पट्टे हैं

¹⁵ खनन बकाया की वसूली के लिए दायर किए गए नीलाम-पत्र वाद मामलों की प्रगति पर नजर रखने के लिए जिला खनन कार्यालयों में संधारित रजिस्टर, जिसमें बकायेदारों का विवरण, वसूली जाने वाली राशि और दोष की प्रकृति आदि शामिल होते हैं।

और उसने बकाया स्वामिस्व का भुगतान नहीं किया है, तो इसकी जाँच करने की भी कोई प्रणाली नहीं थी।

राज्य में मानवीय या इलेक्ट्रॉनिक रूप से आरसीसी निर्गत करने के लिए केंद्रीकृत/निर्धारित प्रणाली उपलब्ध नहीं थी। इसके अतिरिक्त, खनन पट्टा स्वीकृत करते समय कोई तिर्यक जाँच या नियंत्रण व्यवस्था नहीं था, जिसके कारण खनन बकाया होने के बावजूद कई बकायेदार नए खनन पट्टे प्राप्त करने में सफल थे।

2.2 खनन पट्टों का प्रबंधन

समय-समय पर संशोधित झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के प्रावधानों के अनुसार, पाँच हेक्टेयर से अधिक सरकारी और ऐयती भूमि पर लघु खनिजों (अनुसूची-2 में उल्लिखित) के पट्टों का विस्तार 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जा सकता था और तीन हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल वाली ऐयती भूमि पर नवीकरण उपायुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाता था।

2.2.1 खनन पट्टों का अनियमित नवीकरण

झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2017 (अधिसूचना की तिथि, अर्थात् 2 मार्च 2017 से प्रभावी) के नियम 9(1)(क) में प्रावधान है कि पाँच हेक्टेयर¹⁶ से अधिक ऐयती भूमि पर लघु खनिजों (पत्थर, मोरम और मिट्टी) के लिए खनन पट्टा निदेशक, खान द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किया जाएगा।

अभिलेखों की जाँच से पता चला कि जिला खनन कार्यालय, साहिबगंज के अधीन 6.026 हेक्टेयर ऐयती भूमि पर पत्थर खनन का पट्टा, जो 9 अक्टूबर 2017 तक वैध था, उपायुक्त, साहिबगंज के अनुमोदन पर अक्टूबर 2017 में 10 वर्षों की अवधि के लिए नवीकृत कर दिया गया, जबकि उपायुक्त पाँच हेक्टेयर से अधिक ऐयती भूमि पर पट्टा स्वीकृत करने के लिए सक्षम नहीं थे।

अनियमित नवीकरण के कारण सरकारी खजाने को नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पट्टा स्वीकृत करके अधिक राजस्व प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला। उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा झा.ल.ख.स. नियमावली के नियम 9(1) के मौजूदा प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदारी तय करने की आवश्यकता है।

2.2.2 खनन पट्टे का अनियमित निरस्तीकरण

02 मार्च 2017 से प्रभावी, झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 9(1)(घ) के अनुसार, पाँच हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाली सरकारी या ऐयती भूमि पर खनन पट्टे स्वीकृति के सभी आवेदन (जो बाद में 12 दिसंबर 2017 से प्रभावी दूसरे संशोधन के माध्यम से चाहे आवेदित क्षेत्र कुछ भी हो, सभी मामलों

¹⁶ राजपत्र अधिसूचना सं. 218 दिनांक 14 मार्च 2019 के द्वारा संशोधित कर यह सीमा तीन हेक्टेयर कर दी गई थी।

पर लागू होंगे) स्वतः अयोग्य माने जाएँगे क्योंकि संशोधित नियमावली में ऐसी खानों के बंदोवस्त केवल ई-नीलामी के माध्यम से होने का प्रावधान है। पुनः, पाँच हेक्टेयर या उससे अधिक क्षेत्रफल वाले, खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति के अभाव में नवीकरण हेतु लंबित पट्टों को नियम 9(1)(च) के प्रावधानों के तहत 31 मार्च 2020 तक विस्तार किया जाना था।

जिला खनन कार्यालय, साहिबगंज में एक पत्थर खनन पट्टे के मामले में पट्टेधारी ने 2.023 हेक्टेयर रैयती भूमि पर खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन किया था (सितंबर 2017)। यह पट्टा दिसंबर 2017 में समाप्त होने वाला था। उपायुक्त, साहिबगंज ने 1 दिसंबर 2017 को 10 वर्षों की अवधि के लिए नवीकरण की अनुमति दी, लेकिन बाद में झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली के आलोक में नवीकरण निरस्त कर दिया गया (अगस्त 2018) और अवधि विस्तार केवल 31 मार्च 2020 तक स्वीकृत किया गया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच हेक्टेयर से कम रैयती भूमि के लिए पट्टों के नवीकरण के मामले में नियमावली (पट्टा अवधि विस्तार) के प्रावधान लागू नहीं थे। इसके अलावा, इस मामले में नवीकरण आदेश (01 दिसंबर 2017) झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली की अधिसूचना (12 दिसंबर 2017) जारी होने से पहले पारित किया गया था। इसलिए, पट्टे के नवीकरण को निरस्त करना अनियमित था और पट्टेधारी को 10 वर्षों के लिए पट्टे के नवीकरण से वंचित कर दिया गया। इस अनियमित कार्रवाई से सरकारी खजाने को शेष सात वर्षों की अवधि के लिए संभावित राजस्व हानि भी हुई क्योंकि विस्तारित अवधि समाप्त होने के बाद खान निष्क्रिय रही।

2.2.3 पट्टा अवधि का अनियमित विस्तार

लेखापरीक्षा ने पत्थर खदानों के पट्टे के नवीकरण और पट्टे की अवधि (या पट्टे की अवधि के विस्तार) के संबंध में झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 में लगातार बदलाव देखा। नियमावली में अवधि-वार परिवर्तन और नवीकरण के मामलों में पट्टा अवधि पर उनका प्रभाव **तालिका-2.5** में दर्शाया गया है।

तालिका-2.5: झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 का नियम 9(1)(च) एवं (छ) में संशोधन तथा उसका प्रभाव

अवधि	झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 9(1)(च) एवं (छ)		
	उन पट्टों की अवधि निर्धारित करने के लिए लागू, जिनके नवीकरण आवेदन अधिसूचना से पूर्व खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त न करने के कारण कालबाधित हो गए।		
	0 से < 3 हेक्टेयर (रेयती भूमि)	≥ 3 और < 5 हेक्टेयर (रेयती भूमि)	सरकारी भूमि एवं 5 हेक्टेयर से अधिक रेयती भूमि
प्रथम संशोधन, 2017 (02 मार्च 2017 से 11 दिसंबर 2017)	पट्टा की मूल अवधि तक	पट्टा की मूल अवधि तक	पट्टा स्वीकृति की मूल/नवीकृत अवधि तक या 31 मार्च 2020 तक जो भी बाद में हो।
द्वितीय संशोधन, 2017 (12 दिसंबर 2017 से 29 सितंबर 2020)	पट्टा स्वीकृति की मूल/नवीकृत अवधि तक या 31 मार्च 2020 तक, जो भी बाद में हो।		
30 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2022	स्वीकृत/नवीकृत पट्टे की मूल अवधि तक या 31 मार्च 2022 तक, जो बाद में हो (केवल उन मामलों में जहाँ पट्टे की अवधि का विस्तार 31 मार्च 2020 तक स्वीकृत किया गया हो)।		

छह चयनित जिलों में, लेखापरीक्षा ने 78 मामलों में से 44 मामलों की जाँच की, जहाँ 2017-22 के दौरान झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के संशोधित नियम 9(1)(च) और (छ) के तहत पट्टे का अवधि का विस्तार स्वीकृत किया गया था, जैसा कि तालिका-2.6 में दिखाया गया है।

तालिका-2.6: वर्ष 2017 से 2022 के दौरान विस्तारित खनन पट्टों की संख्या एवं लेखापरीक्षा के दौरान नमूना जाँच

जिला	खनन पट्टे की संख्या जिसमें 2017-22 के दौरान अवधि विस्तार किया गया	नमूना जाँचित मामलों की संख्या	अयोग्य आवेदकों की संख्या
चाईबासा	02	02	01
चतरा	00	00	00
धनबाद	12	10	10
पाकुड़	39	12	10
पलामू	5	5	05
साहिबगंज	20	15	07
कुल	78	44	33

स्रोत: जिला खनन कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध सूचना

जैसा कि तालिका-2.6 में विस्तृत रूप से बताया गया है, लेखापरीक्षा ने पाँच नमूना जाँचित जिलों¹⁷ में 44 पत्थर खनन पट्टों में से 33 में (पट्टे की समाप्ति अवधि अगस्त 2014 से दिसंबर 2021 के मध्य) देखा कि पट्टेदारों ने मार्च 2018 और जून 2021 के मध्य यानी झा.ल.ख.स. (प्रथम और द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 की अधिसूचना की तारीख के बाद नवीकरण/विस्तार के लिए आवेदन प्रस्तुत किए थे। इन सभी 33 पट्टेदारों को पट्टा अवधि का विस्तार (31 मार्च 2020 तक और पुनः 31 मार्च 2022 तक) स्वीकृत किया गया था।

झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 9(1) के प्रावधानों के अनुसार, पट्टा अवधि का विस्तार केवल उन पट्टेधारियों को अनुमान्य था, जिनके नवीकरण के आवेदन संशोधनों की अधिसूचना की तिथि से पहले दिए गए थे, लेकिन खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति जमा न करने के कारण कालबाधित हो गए थे। इन 33 मामलों में, पट्टेधारियों ने संशोधनों की अधिसूचना की तिथि के बाद नवीकरण/ विस्तार के लिए आवेदन किया था, इसलिए, इन सभी मामलों में विस्तार की अनुमति नहीं थी। हालाँकि, संबंधित जि.ख.प. ने झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2017; झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 और झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इन मामलों में पट्टा अवधि का विस्तार दिया (परिशिष्ट-2.2)।

परिणामस्वरूप, उपायुक्त के अनुमोदन से पट्टे की अवधि का अनियमित विस्तार हुआ, जो नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से पट्टा प्रदान करने के प्रावधानों को दरकिनार करने के लिए जिला प्रशासन और आवेदक के बीच मिलीभगत की संभावना को प्रदर्शित करता है।

2.3 अपरिचालित पट्टों का गैर-व्यपगत/निरस्तीकरण

झा.ल.ख.स. नियमावली के साथ संलग्न मॉडल पट्टा अनुबंध प्रपत्र के भाग-VII के नियमों और शर्तों (संख्या 24) के अनुसार, यदि कोई पट्टेधारी, सक्षम अधिकारी या उपायुक्त की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना, एक वर्ष की निरंतर अवधि के लिए खनन कार्य नहीं करता है, तो उसका पट्टा निरस्त किया जा सकता है।

जिला खनन कार्यालय, चाईबासा में लघु खनिजों (पूर्व में वृहत खनिजों) के दो खनन पट्टों और जिला खनन कार्यालय, साहिबगंज में पत्थर के दो खनन पट्टों से संबंधित अभिलेखों के साथ पट्टा अभिलेखों की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पट्टेधारियों ने 2017-23 की अवधि के दौरान एक से पाँच वर्ष से अधिक की निरंतर अवधि के लिए खनन कार्य नहीं किया था जैसा कि तालिका-2.7 में दर्शाया गया है।

¹⁷ चाईबासा, धनबाद, पाकुड़, पलामू और साहिबगंज।

तालिका-2.7: पट्टों का विवरण जिन्हें समाप्त घोषित किया जाना अपेक्षित था

क्रम संख्या	जिला	पट्टा का नाम	खनिज	क्षेत्रफल (एकड़ में)	पट्टा अवधि	31.03.2023 तक खनन कार्य के बंद रहने की अवधि
1	चाईबासा	मेसर्स मांगी लाल रूंगटा	चाइना क्ले	226.81	15.07.2025 तक	2017-18 से (छह वर्ष)
2		श्री केयूर सिन्हा	क्वार्टज़	39.93	24.07.2009 से 23.07.2039	2017-18 से (छह वर्ष)
3	साहिबगंज	श्री सोमनाथ घोष	पत्थर	4.00	06.02.2017 से 05.02.2027	2020-21 से अब तक (तीन वर्ष)
4		मेसर्स महाकाल स्टोन	पत्थर	6.25	10.01.2022 से 09.01.2032	प्रारंभ से (एक वर्ष)
कुल				276.99		

स्रोत: जिला खनन कार्यालय के अभिलेखों में उपलब्ध सूचना।

लेखापरीक्षा जाँच के दौरान यह पाया गया कि दोनों जिलों के जि.ख.प./उपायुक्तों द्वारा उक्त खनन पट्टों को समाप्त घोषित नहीं किया गया या उन पट्टों की निरस्तीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की। फलस्वरूप, कुल 276.99 एकड़ खनिज क्षेत्र में स्थित ये पट्टे निष्क्रिय पड़े रहे, जिससे न केवल राज्य के संभावित राजस्व का अवरोध हुआ, बल्कि खनिज विकास एवं रोजगार सृजन की संभावनाओं पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

2.4 नीलामी के माध्यम से खनन पट्टों की स्वीकृति

झारखण्ड सरकार ने ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से खनन पट्टे स्वीकृत करने के लिए 06 सितंबर 2017 से प्रभावी झारखण्ड लघु खनिज (नीलामी) नियमावली, 2017 तैयार किया है। ये नियम तीन हेक्टेयर से कम ऐयती भूमि पर मिट्टी, ईंट मिट्टी, मोरम, रेह मिट्टी, रानीगंज टाइल बनाने के लिए मिट्टी और पत्थर (बोल्डर, बजरी, शिंगल, पत्थर की ईंट, पत्थर का चूरा) को छोड़कर सभी लघु खनिजों पर लागू होने थे (झा.ल.ख.स. (संशोधन) नियमावली, 2019 के नियम 9(1) के माध्यम से संशोधित)।

निदेशक, खान/उपायुक्त जिला के अन्दर किसी क्षेत्र के संबंध में खनन पट्टा देने के लिए ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू करेंगे, यदि उस क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता, झारखण्ड लघु खनिज (खनिज साक्ष्य) नियमावली, 2018 के प्रावधानों के तहत निदेशक, भूतत्व द्वारा निर्धारित की गई है।

खनिज ब्लॉकों की नीलामी के उद्देश्य से सुझाए गए भूतात्त्विक मापदंडों और अन्वेषण मानदंडों के अनुसार अन्वेषण कर किसी क्षेत्र में खनिज सामग्री की मौजूदगी निर्धारित करना आवश्यक है। झारखण्ड लघु खनिज (खनिज साक्ष्य) नियमावली, 2018 में अन्वेषण के दो चरण यथा: C2: सामान्य अन्वेषण और उसके बाद C1: विस्तृत अन्वेषण का प्रावधान है।

पुनः, झारखण्ड लघु खनिज (खनिज साक्ष्य) नियमावली, 2018 के नियम 6 में प्रावधान है कि किसी क्षेत्र के खनन पट्टा स्वीकृति पर विचार किया जाएगा यदि, सांकेतिक/मापित खनिज संसाधन स्थापित करने के लिए विस्तृत अन्वेषण (C1) पूरा हो गया है और उस क्षेत्र का भूतात्त्विक अध्ययन रिपोर्ट तैयार की गई है।

लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि विभाग के पास राज्य में लघु खनिज भंडारों के बारे में कोई विश्वसनीय डेटा नहीं थे। लेखापरीक्षा पृच्छा में विभाग ने बताया कि पहले लघु खनिजों (जो फरवरी 2015 से पहले वृहत् खनिज थे) के भंडार का डेटा भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा रखा जाता था, लेकिन वर्तमान में न तो आईबीएम और न ही राज्य सरकार लघु खनिजों की सूची रखती है।

भूत्त्व निदेशालय ने वर्ष 2018-19 से 2021-22 की अवधि के दौरान सामान्य (C2) एवं विस्तृत (C1) अन्वेषण के पश्चात लघु खनिजों के 292 ब्लॉक तैयार¹⁸ किए, जिन्हें नीलामी प्रक्रिया के लिए निदेशक, खान को भेजा गया था।

2.4.1 नीलामी प्रक्रिया में विलंब

वर्ष 2018-23 के दौरान तैयार किए गए 292 लघु खनिज ब्लॉकों में से 278 बन्दोवस्ती के लिए उपलब्ध थे, लेकिन केवल 47 पत्थर ब्लॉकों (16 प्रतिशत) के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई और इस अवधि के दौरान सिर्फ 11 मामले (3.77 प्रतिशत) पूरे किए गए। विवरण तालिका-2.8 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.8: 2018-23 के दौरान तैयार किए गए लघु खनिज ब्लॉकों का विवरण

वर्ष	खनिज	वर्ष के प्रारम्भ में नीलामी हेतु उपलब्ध खनिज ब्लॉक	तैयार किये गए खनिज ब्लॉक की संख्या	वर्ष के दौरान नीलामी के लिए रखे गए उपलब्ध कुल खनिज ब्लॉक	नीलामी में रखे गए खनिज ब्लॉकों की संख्या	उन ब्लॉकों की संख्या जहां नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी
2018-19	पत्थर	00	37	42	03	01
	सजावटी पत्थर		01		00	00
	अबरख		02		00	00
	क्वार्ट्ज		01		00	00
	अबरख एवं क्वार्ट्ज		01		00	00
	कुल		42		03	01

¹⁸ स्थान और क्षेत्र का पहचान किया; खनिजों के प्रकार और श्रेणी का पहचान किया; खनिज भंडार की मात्रा का अनुमान लगाया आदि।

वर्ष	खनिज	वर्ष के प्रारम्भ में नीलामी हेतु उपलब्ध खनिज ब्लॉक	तैयार किये गए खनिज ब्लॉक की संख्या	वर्ष के दौरान लिए रखे गए उपलब्ध कुल खनिज ब्लॉक	नीलामी में रखे गए खनिज ब्लॉकों की संख्या	उन ब्लॉकों की संख्या जहाँ नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी
2019-20	पत्थर	39	22	64	00	00
	सजावटी पत्थर		02		00	00
	अबरख		01		00	00
	कुल		25		00	00
2020-21	पत्थर	64	22	90	00	00
	सजावटी पत्थर		04		00	00
	कुल		26		00	00
2021-22	पत्थर	90	199	289	11	0
	कुल		199		11	0
2022-23	पत्थर	278	00	278	33	10
	कुल		00		33	10
कुल योग		292			47	11

स्रोत: भूतत्व निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी।

तालिका-2.8 से स्पष्ट है कि यद्यपि 2018-19 के दौरान 42 खनिज ब्लॉक तैयार किए गए थे, लेकिन केवल तीन मामलों में नीलामी प्रक्रिया शुरू की जा सकी। इसके अलावा, 2019-21 के दौरान नीलामी के लिए 90 खनिज ब्लॉक उपलब्ध थे, लेकिन इन दो वर्षों के दौरान एक भी मामले में नीलामी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकी। इसके अलावा, 2021-23 के दौरान उपलब्ध 289 खनिज ब्लॉकों में से केवल 44 मामलों में ही नीलामी प्रक्रिया शुरू की गई। इस प्रकार, विभाग ने नीलामी के लिए तैयार 292 ब्लॉकों में से केवल 47 खनिज ब्लॉकों में नीलामी प्रक्रिया शुरू की थी और खनिज ब्लॉकों की नीलामी के प्रति विभाग के उदासीन दृष्टिकोण के कारण 2018-23 के दौरान केवल 11 ब्लॉकों की बन्दोबस्ती हुई। उपलब्ध लघु खनिज ब्लॉकों की विलंब से नीलामी से कार्यशील पट्टों पर टबाव पड़ा और अंततः अवैज्ञानिक खनन को बढ़ावा मिला (जैसा कि अध्याय 4 में चर्चा की गई है)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि नीलामी प्रक्रिया में विलंब और कम प्रतिशत में नीलामी मामलों की शुरूआत और बंदोबस्त का कारण, विभाग द्वारा अनुश्रवण का अभाव और योजना में कमियाँ थीं, जिसने चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से नीलामी के प्रभावी संचालन को प्रतिबंधित कर दिया। इससे न केवल राज्य के राजस्व प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, बल्कि संभावित रोजगार सृजन और विकास पर भी असर पड़ा।

2.4.2 खनिज भंडारों का गलत आकलन और खनिज ब्लॉकों की दोषपूर्ण नीलामी

47 मामलों में से, लेखापरीक्षा ने 13 मामलों का जाँच किया (10 मामले जहाँ नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी और तीन मामले जहाँ नीलामी प्रक्रिया प्रगति पर

थी)। इन 13 मामलों के भूतात्विक भण्डार के आकलन की जाँच के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि तीन मामलों में स्वीकार्य गहराई के निर्धारण में अनियमितताएं थीं (झा.ल.ख.स. नियमावली के अनुसार भूजल के नीचे खनन गतिविधियां स्वीकार्य नहीं हैं) और भण्डार आकलन में अंकगणितीय त्रुटियां थीं, जैसा कि नीचे विस्तार से बताया गया है:

(i) दो मामलों¹⁹ में लेखापरीक्षा ने पाया कि खनन योजना में खनन गतिविधियों की स्वीकार्य गहराई (21 मीटर और 27 मीटर) केंद्रीय भूजल बोर्ड (के.भू.बो.) द्वारा प्रतिवेदित किए गए भूजल स्तर (11.63 मीटर और 5.40 मीटर) से क्रमशः 9.37 मीटर और 21.60 मीटर अधिक थी। इन दोषपूर्ण योजनाओं के आधार पर, विभाग ने भूतात्विक भण्डार का आकलन किया, खनिज ब्लॉक तैयार किया और आगे बन्दोबस्ती के लिए नीलामी आयोजित किया। इस प्रकार, भूजल स्तर की औसत गहराई से नीचे भूतात्विक भण्डार का अनुमान अनियमित था। इन ब्लॉकों की नीलामी की अनुमति देने से असतत् खनन का जोखिम बढ़ा।

(ii) दो पुराने खनिजयुक्त ब्लॉकों²⁰ में भूतात्विक भण्डार के आकलन में अंकगणितीय त्रुटियां पाई गईं, जहाँ नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

- एक मामले में, भूतत्व निदेशालय द्वारा भूतात्विक भण्डार की गणना (फरवरी 2022) गलत तरीके से 72,808.14 घ.मी. के बजाय 7,280.77 घ.मी. के रूप में की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप खनिज भंडार का 65,527.37 घ.मी. कम-अनुमान कर दिया गया।
- दूसरे मामले में, पिछले खनन योजना के अनुसार कुल अनुमानित भंडार 1,24,212.22 घ.मी. था। हालाँकि, पहले से उत्खनित मात्रा के कारण भंडार में 1,21,742.13 घ.मी. की कमी आई थी और शेष भंडार केवल 2,470.10 घ.मी. था, लेकिन भूतात्विक भण्डार में इसकी गणना 2,04,491.48 घ.मी. के रूप में की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप 2,02,021.38 घ.मी. का अधिक-अनुमान लगाया गया था।

इस प्रकार, ये दोनों भूतात्विक भण्डार, भण्डार आकलन के मामले में दोषपूर्ण थे। आगे की जाँच से पता चला कि नीलामी, भूतात्विक भण्डार में किए गए संसाधनों के गलत आकलन के आधार पर आयोजित की गई थी, जैसा कि तालिका-2.9 में दिखाया गया है।

¹⁹ बारा भुमारी स्टोन ब्लॉक तथा पनडीया साई स्टोन ब्लॉक।

²⁰ पनडीया साई स्टोन ब्लॉक और सरमंदा-अ स्टोन ब्लॉक।

तालिका-2.9: प्रमुख मापदंडों पर गलत भूतात्त्विक भण्डार का वित्तीय प्रभाव

(₹ लाख में)

विवरण	खनिज ब्लॉक	
	सरमंदा-आ	पंडीयासाई
भण्डार की सही मात्रा (घ.मी.)	72,808.14	2,470.10
भण्डार की गलत मात्रा (घ.मी.)	72,80.77	2,04,491.48
अंतर (घ.मी.)	65,527.37	(-) 2,02,021.38
अनुमानित भण्डार का मूल्य (भीईआर) (₹ 448.09 प्रति घ.मी.)	(-) 293.62	(+) 905.24
निविदा सुरक्षा (भीईआर का 0.25%)	(-) 0.73	(+) 2.26
अधिक भुगतान (भीईआर का 0.5%)	(-) 1.47	(+) 4.53
निष्पादन सुरक्षा (भीईआर का 0.5%)	(-) 1.47	(+) 4.53
कुल वित्तीय प्रभाव; कमी (-) और अधिक (+)	(-) 3.67	(+) 11.32

स्रोत: भूतात्त्विक भण्डार का प्रतिवेदन और निविदा का तुलनात्मक विवरण।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि भूतात्त्विक भण्डार के गलत आकलन ने निविदा के प्रमुख मापदंडों के निर्धारित मूल्य को प्रभावित किया जिससे पूरी निविदा प्रक्रिया संदिग्ध हो गई थी। दूसरे मामले में जहाँ वास्तविक खनन योग्य भण्डार केवल 2,470.10 घ.मी. था, यह गलत आकलन गैर-खनन योग्य संसाधनों के उत्खनन की ओर ले जा सकता है। इसके अलावा, भण्डार के इस तरह के गलत आकलन से अनियमित पर्यावरणीय स्वीकृति भी प्रदान किया जा सकता है जो पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

2.5 अनुशंसाएँ

सरकार/विभाग

- खनन पट्टे के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रणाली लागू कर सकती है और जिम्स के माध्यम से केंद्रीकृत स्वामिस्व स्वच्छता प्रमाणपत्र जारी/प्राप्त करने की प्रक्रिया लागू कर सकती है। विभाग ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड के साथ जिम्स का एकीकरण सुनिश्चित कर सकती है;
- जंगल झाड़ि/वन भूमि पर प्रदान किए गए पट्टों को निरस्त कर और ऐसी भूमि की कानूनी स्थिति पुनः बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकती है;
- राज्य में राजस्व वृद्धि और खनिज विकास के लिए निष्क्रिय पट्टों को निरस्त कर सकती है और खनिज ब्लॉकों की नीलामी प्रक्रिया में तेजी ला सकती है; और
- खनन के लिए पट्टे पर दी जाने वाली भूमि की प्रकृति के बारे में गलत जानकारी देकर अधिनियमों और नियमावलियों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले दोषी अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर सकती है।

अध्याय 3

राजस्व संग्रहण एवं बालू घाटों
का प्रबंधन

खान एवं भूतत्व विभाग खनिजों के उत्पादन और प्रेषण के आधार पर खनिज प्राप्तियों के आरोपण और संग्रहण के लिए जिम्मेदार है।

लघु खनिजों से प्राप्तियों में मुख्य रूप से स्वामिस्व शामिल है, जबकि अन्य प्राप्तियों में भूतल लगान²¹, नियत लगान²², आवेदन शुल्क, अनुजप्ति शुल्क, परमिट शुल्क, बकाया राशि के भुगतान में विलंब पर ब्याज, अनधिकृत रूप से उत्खनित खनिजों की कीमत आदि शामिल हैं, और खनिज ब्लॉकों की नीलामी के मामले में, स्वामिस्व के अलावा अप्रफ्रंट भुगतान, प्रस्तावित मूल्य/आरक्षित मूल्य लगाया जाता है। इस अध्याय में, अगस्त 2017 में शुरू की गई नई बालू खनन नीति के आलोक में वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए बालू घाटों के प्रबंधन में झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम (जेएमसएमडीसी) की भूमिका के साथ-साथ पट्टेधारी से स्वामिस्व का निर्धारण, आरोपण और संग्रहण में कमियों पर चर्चा की गई है।

3.1 राजस्व की प्रवृत्ति

लघु खनिजों से राजस्व प्राप्तियाँ, कुल गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ, कुल राजस्व प्राप्तियाँ²³ तथा गैर-कर राजस्व प्राप्तियों एवं कुल राजस्व में लघु खनिज प्राप्तियों के योगदान का प्रतिशतता का विवरण तालिका-3.1 में दिया गया है।

तालिका-3.1: राजस्व की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	लघु खनिजों से कुल राजस्व प्राप्तियाँ ²⁴	कुल गैर-कर राजस्व	राज्य का कुल राजस्व	कुल गैर-कर राजस्व प्राप्तियों में लघु खनिजों का प्रतिशत योगदान (कॉ. 2 से कॉ. 3)	कुल राजस्व प्राप्तियों में लघु खनिजों का प्रतिशत योगदान (कॉ. 2 से कॉ. 4)
1	2	3	4	5	6
2017-18	1,082.44	7,846.67	20,200.11	13.79	05.36
2018-19	683.03	8,257.98	23,010.02	08.27	02.97
2019-20	652.82	8,749.98	25,521.43	07.46	02.56
2020-21	775.09	7,564.01	24,444.09	10.25	03.17
2021-22	697.73	10,030.75	31,321.00	06.96	02.23
कुल	3,891.11	42,449.39	1,24,496.65	09.17	03.12

स्रोत: वित्त लेखे, झारखण्ड सरकार और विभाग द्वारा प्रस्तुत खनिज-वार संग्रहण प्रतिवेदन।

²¹ खनन कार्यों के लिए उपयोग किए गए क्षेत्र के लिए पट्टेधारी द्वारा देय भूतल लगान और यह भू-राजस्व से अधिक नहीं होगा।

²² प्रत्येक खनन पट्टे के पट्टाधारी को प्रति वर्ष निर्धारित दरों पर नियत लगान या हटाए गए खनिजों की मात्रा के संबंध में स्वामिस्व, जो श्री अधिक हो, का भुगतान करना होता है।

²³ झारखण्ड राज्य के कर राजस्व प्राप्तियों एवं गैर-कर राजस्व प्राप्तियों का योग।

²⁴ इसमें भूतल लगान, नियत लगान, आवेदन शुल्क, लाइसेंस शुल्क, परमिट शुल्क, वृहत एवं लघु खनिजों के निलामपत्र वाद/गैर- निलामपत्र वाद बकाया के रूप में ₹ 765 करोड़ शामिल हैं।

उपरोक्त आंकड़े लघु खनिजों से राजस्व प्राप्तियों में गिरावट दर्शाते हैं, जो 2017-18 में ₹ 1,082.44 करोड़ से घटकर 2021-22 में ₹ 697.73 करोड़ हो गई। इसके अलावा, राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों में लघु खनिज प्राप्तियों के योगदान में भी तीव्र गिरावट देखी गई, जो 2017-18 में 5.36 प्रतिशत से घटकर 2021-22 में 2.23 प्रतिशत हो गई। यद्यपि, विभाग द्वारा लघु खनिजों से राजस्व में इस गिरावट का कोई कारण नहीं बताया गया, लेखापरीक्षा में स्वामिस्व, नियत लगान, अर्थदंड आदि की कम/गैर आरोपण जैसे कारणों से सरकारी कोष में राजस्व की हानि के अनेकों उदाहरण पाए गए, जिनकी चर्चा बाद की कंडिकाओं में की गई है।

3.2 स्वामिस्व का निर्धारण, आरोपण और संग्रहण

झा.ल.ख.स. नियमावली के प्रावधानों के तहत, लघु खनिजों के लिए खनन पट्टा या परमिट धारक को राज्य सरकार को उस अवधि के भीतर ऐसे विवरणी और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने होंगे, जैसा निर्दिष्ट किए गए हों। इन विवरणियों²⁵ की जाँच सहायक खनन पदाधिकारी (स.ख.प.)/जिला खनन पदाधिकारी (जि.ख.प.) द्वारा की जानी है, जो निर्धारित अवधि के अन्त में पट्टेधारियों द्वारा देय, नियत लगान, भूतल लगान और स्वामिस्व की राशि का निर्धारण करेंगे। स.ख.प/जि.ख.प. को खनिजों के लेखों का निरीक्षण, सत्यापन और जाँच करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित विवरणियों की जाँच की कमी के परिणामस्वरूप गैर/कम आरोपण और राजस्व की वंचना हुई।

3.2.1 प्रक्रिया और अभिलेखों का स्वचालन

विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी आधारित झारखण्ड एकीकृत खान एवं खनिज प्रबंधन प्रणाली (जिम्स) नामक एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के माध्यम से खनिज प्रशासन प्रणाली लागू किया (मई 2015), जिसका उद्देश्य जटिल खनन प्रक्रिया को सरल बनाना था। जिम्स के माध्यम से विभाग पट्टेधारियों द्वारा भरी जाने वाली मासिक/वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन और विवरणी में दोहरेपन की पहचान करेगा और उसे दूर करेगा। यह, पुनः, खनन राजस्व की ऑनलाइन संग्रहण, दक्षता बढ़ाने के लिए वास्तविक समय पर त्रैमासिक निर्धारण, अवैध खनन को रोकने के लिए माँग की निगरानी, रिसाव पर अंकूश लगाने के लिए नीतियाँ बनाने में मदद, आकड़ों के प्रविष्टि में मानवीय त्रुटियों से बचने के लिए सख्त मार्गदर्शन के तहत परिवहन परमिट और पास जारी करना और निर्धारित कानूनों का अनुपालन करते हुए सभी प्रतिवेदन और विवरणी को आपस में जोड़ना आसान बनाना था। जिम्स में अभिलेखों के स्वचालन की सीमा का आकलन करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा दिसंबर 1999 और मार्च 2030 के बीच की पट्टा अवधि से संबंधित 63 पट्टों की जाँच की गई। निम्नलिखित कमियाँ पाई गई:

²⁵ जून 1970 के विभागीय निर्देशों के अनुसार, जि.ख.प./स.ख.प. को मासिक विवरणी की समय-समय पर जाँच करना है तथा खनिजों के उत्पादन एवं प्रेषण (आर.डी.) रजिस्टर में प्रविष्टियों के साथ उसका मिलान करना है।

(i) पट्टा प्रोफाइल

- अधूरे प्रोफाइल:** जिम्स में पट्टेधारियों के लिए अपनी प्रोफाइल अपलोड करने का प्रावधान था। संबंधित जिलों के जि.ख.प. द्वारा इस प्रक्रिया को पूरा करना सुनिश्चित किया जाना था। 63 मामलों में, यह देखा गया कि पट्टा प्रोफाइल अधूरी थी, और महत्वपूर्ण जानकारी नहीं थी जैसे: नौ मामलों में खनन योजना, 14 मामलों में वन स्वीकृति, छह मामलों में पर्यावरणीय स्वीकृति, सात में प्रदूषण स्वीकृति, 45 मामलों में सर्वेक्षण विवरण, 38 मामलों में पट्टा का अनुदान आदेश, 27 मामलों में पट्टा संलेख और 28 मामलों में सतही अधिकार स्वीकृति। इस प्रकार, एक मजबूत प्रणाली बनाने का उद्देश्य जो सभी महत्वपूर्ण आकड़ों/सूचनाओं को समाहित कर सके, पूरी तरह से हासिल नहीं हुआ।
- अपर्याप्त दस्तावेज़:** खनन योजना के स्थान पर, 50 मामलों में खनन योजना का अनुमोदन पत्र, दो मामलों में पट्टा संलेख और दो मामलों में केवल कवर पेज अपलोड किए गए थे। सात मामलों में प्रदूषण स्वीकृति की अद्यतन जानकारी अपलोड नहीं की गई।
- पट्टा मानचित्र:** जिम्स में भू-निर्देशांकों का उपयोग करके गूगल एप्लीकेशन पर पट्टा मानचित्र बनाने का प्रावधान है, जो उत्पन्न मानचित्रों के माध्यम से खनन संचालन के अनुश्रवण में विभाग की सहायता कर सकता है। यद्यपि, 47 मामलों में आवश्यक भू-निर्देशांक दर्ज नहीं किये गए थे जबकि 15 मामलों में दर्ज किये गए भू-निर्देशांक अपर्याप्त थे, जिससे उपग्रह चित्र बनाने में बाधा उत्पन्न हुई और खनन गतिविधियों के अनुश्रवण बाधित हुआ।

(ii) मासिक विवरणी और मूल्यांकित आंकड़े

- असंगत शेष:** जिम्स में पट्टेधारियों के लिए मासिक विवरणी अपलोड करने की सुविधा है, जिसमें प्रारंभिक शेष, महीने के दौरान उत्पादन और प्रेषण की मात्रा और खनिज के अन्त शेष का विवरण होता है। अप्रैल 2017 और सितंबर 2020 के बीच की अवधि के लिए पाँच पट्टों के 31 मासिक प्रतिवेदनों में, पिछले महीनों के अन्तशेष बाद के महीनों के प्रारंभिक शेष से मेल नहीं खाते थे।
- आवधिक मूल्यांकन पर प्रतिवेदन:** झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 41 में पट्टेधारियों द्वारा देय स्वामिस्व के वार्षिक निर्धारण का प्रावधान है। यद्यपि, जिम्स में वार्षिक स्वामिस्व निर्धारण के लिए आवश्यक सुविधाओं की अनुपलब्धता थी।
- लागू दर को मैप करने के लिए मॉड्यूल:** पत्थर, बोल्डर/ बजरी/ शिंगल पर स्वामिस्व की दर उनके उपयोग के आधार पर निर्धारित की गई थी।

खनिजों के उपयोगों की पहचान कर, देय दर के आरोपण के लिए जिम्स में प्रावधान नहीं था (संदर्भ कण्डिका-3.2.2)।

(iii) स्थायी लेखा संख्या (पैन)

- **गलत पैन:** पट्टा प्रोफाइल में पैन भरे जाने की सुविधा नहीं थी, तथापि, पट्टा प्रोफाइल से पैन स्वतः लिए जाने की सुविधा न होने के कारण, यह संख्या पट्टेधारी द्वारा "खान-वार संग्रहित राजस्व" विवरणी में भरा जाना था।
- **पैन में परिवर्तन:** पैन एक अद्वितीय संख्या है और पहचान को बदले बिना इसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तीन मामलों में, पट्टेधारियों के पैन 2018-19 से 2020-21 के दौरान दो से तीन बार बदले गए, जो असामान्य है।

(iv) अप्रमाणिक परिवहन चालान बनाना

जिम्स प्रमाणिक परिवहन चालान बनाने के मामले में पूरी तरह सुरक्षित नहीं था, क्योंकि यह पट्टेधारी को एक वाहन का पिछले चालान की वैधता अवधि समाप्त होने से पहले ही परवर्ती चालान बनाने की अनुमति देता था (संदर्भ कण्डिका 4.3.1)।

ये निष्कर्ष मुख्य रूप से इस स्वचालित प्रणाली के माध्यम से खनन गतिविधियों की प्रभावी निगरानी और प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जिम्स में बेहतर डेटा सटीकता और पूर्णता की आवश्यकता को उजागर करते हैं। इन खामियों के कारण, विभाग द्वारा राजस्व के निर्धारण और संग्रहण के लिए जिम्स का व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जा सका।

3.2.2 गलत दर के अनुप्रयोग के करने के कारण स्वामिस्व का अल्पारोपण

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 की अनुसूची 2 में पत्थर बोल्डर/बजरी/शिंगल पर ₹ 132 प्रति घन मीटर (अर्थात् ₹ 3.74 प्रति घन फीट), जबकि चिप्स बनाने में उपयोग किए जाने वाले पत्थर बोल्डर/बजरी/शिंगल पर ₹ 250 प्रति घन मीटर (अर्थात् ₹ 7.08 प्रति घन फीट) की दर से स्वामिस्व आरोपित किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि खदानों के उत्पादन के अंतिम उपयोग के आधार पर स्वामिस्व की विभिन्न दरें तय की गई थीं, लेकिन जिम्स में अंतिम उपयोग के अनुसार सही दरों के आरोपण को सुनिश्चित करने के लिए कोई संबंधित जाँच उपलब्ध नहीं थी। इसके कारण, स्वामिस्व का निर्धारण पूरी तरह से पट्टेधारी द्वारा घोषित अंतिम उपयोग पर निर्भर था। इसके अलावा, स्वामिस्व निर्धारण के उद्देश्य से, जिम्स में 5 मि.मी. तक के छोटे पत्थरों को 'पत्थर बोल्डर' के रूप में मान्य था, जो तर्कसंगत नहीं है।

अंतिम उपयोग पर जिम्स प्रणाली में जाँच के अभाव के कारण, लेखापरीक्षा में स्वामिस्व और अन्य राजस्व²⁶ की कम वसूली देखी गई, जैसा कि निम्नलिखित मामलों में चर्चा की गई है:

- तीन जिला खनन कार्यालयों, चतरा, चाईबासा और साहिबगंज में 25 पट्टेधारियों ने अक्टूबर 2019 से जनवरी 2022 की अवधि के दौरान 15 क्रशर इकाइयों को 122.96 लाख घन फीट पत्थर बोल्डर ₹ 3.74 प्रति घन फीट की दर से स्वामिस्व देकर प्रेषित किया था। स्टोन क्रशर को आपूर्ति से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि बोल्डर का उपयोग चिप्स बनाने के लिए किया जाना था, अतः, निर्दिष्ट लागू दरों के अनुसार, स्वामिस्व ₹ 7.08 रुपये प्रति घन फीट होनी चाहिए थी। कम दर पर स्वामिस्व का भुगतान करने के परिणामस्वरूप ₹ 5.35 करोड़ स्वामिस्व और जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी)²⁷ अंशदान का कम आरोपण हुआ।
- जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ में, लेखापरीक्षा द्वारा एक अनियमितता पाई गई, जहाँ पाँच पट्टेधारियों ने पत्थर-चिप्स और पत्थर-बोल्डर दोनों के लिए जिम्स ड्रॉपडाउन तालिका में आकार सीमा (0-150 मि.मी.) की ओवरलैपिंग के कारण अस्पष्टता का फायदा उठाया। उन्होंने 40 मि.मी. और 60 मि.मी. के बीच के आकार के 50.24 लाख घन फीट पत्थर के बोल्डर प्रेषित किया और ₹ 132 प्रति घन मीटर (अर्थात् ₹ 3.74 प्रति घन फीट) की दर से स्वामिस्व का भुगतान किया। हालाँकि, भारतीय मानक ब्यूरो IS 383:2016 के अनुसार, इस आकार के पत्थर को एकल आकार के समुच्चय (चिप्स) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इस प्रकार, पट्टेधारी को ₹ 3.74 प्रति घन मीटर के स्थान पर ₹ 250 प्रति घन मीटर (₹ 7.08 प्रति घन फीट) की दर से स्वामिस्व का भुगतान करना था। इस गलत वर्गीकरण के कारण ₹ 2.18 करोड़ (स्वामिस्व और डीएमएफ शीर्ष के अंतर्गत) की संभावित राजस्व हानि उजागर हुई।

अतः, लेखापरीक्षा के दौरान पहचानी गई जिम्स में प्रणालीगत त्रुटि के कारण, पट्टेधारियों को ₹ 7.53 करोड़ (₹ 5.35 करोड़ + ₹ 2.18 करोड़) का अनुचित लाभ प्राप्त हुआ।

²⁶ झारखण्ड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली, 2016 के नियम 6 में निम्नलिखित तरीके से डीएमएफ कोष में अंशदान एकत्र करने का प्रावधान है: नीलामी के माध्यम से प्रदान नहीं किए गए मौजूदा पट्टों के लिए स्वामिस्व का 30 प्रतिशत; तथा नीलामी के माध्यम से प्रदान किए गए पट्टों के लिए स्वामिस्व का 10 प्रतिशत।

²⁷ खा.ख.वि.वि. अधिनियम, 1957 (धारा 9B, 15(4) और 15A) में प्रावधान है कि राज्य सरकारें खनन संबंधी कार्यों से प्रभावित जिलों में जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) नामक एक गैर-लाभकारी ट्रस्ट स्थापित करेंगी। सभी खनन पट्टेधारी डीएमएफ निधि में निश्चित दरों पर योगदान देंगे।

3.2.3 नियत लगान का गैर-संग्रहण

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 29 के प्रावधानों के तहत, प्रत्येक खनन पट्टा के पट्टेधारी को प्रति वर्ष निर्धारित दरों पर नियत लगान या प्रेषित खनिज की मात्रा के लिए स्वामिस्व, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होगा। पुनः, नियम 29(अ)(2) में प्रावधान है कि चालू वित्तीय वर्ष के लिए नियत लगान पट्टा संविदा के निष्पादन से 15 दिनों की अवधि के अंदर देय था और उसके बाद, वार्षिक नियत लगान 28 फरवरी तक अग्रिम रूप से देय था।

चार जिला खनन कार्यालयों²⁸ के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि 15 लघु खनिज पट्टों ने मार्च 2016 से मार्च 2022 के बीच की अवधि के लिए ₹ 2.23 करोड़ नियत लगान का भुगतान नहीं किया है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जि.ख.प. इन पट्टेधारियों से नियत लगान की बकाया राशि की निगरानी नहीं कर सका। इसके अलावा, जि.ख.प. ने न तो बकाया नियत लगान जमा करवाने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की और न ही उन्होंने सुरक्षित जमा राशि जब्त की। जिम्स में नियत लगान की माँग को नियत तिथि पर स्वचालित रूप से जारी करने का प्रावधान भी नहीं था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 2.23 करोड़ का नियत लगान का गैर-संग्रहण हुआ।

3.3 खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति/संचालन की सहमति की सीमा से अधिक उत्पादन

झा.ल.ख.स. (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 54(6) में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति, एजेंट, प्रबंधक या संवेदक जो अवैध रूप से खनन करने के लिए आरोपित है, उसे खनन किए गए खनिज के मूल्य का दोगुना राशि के बराबर (पहले 11 दिसंबर 2017 तक एकल दर लागू थी) अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34E(1) के साथ पठित नियम 34A(1) में प्रावधान है कि खनन कार्य अनुमोदित खनन योजना के अनुसार किए जाएंगे। इसके अलावा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने "कॉमन कॉर्ज केस" में अपने फैसले (अगस्त 2017) में कहा कि कोई व्यक्ति, एजेंट, प्रबंधक या संवेदक जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक कोई भी खनिज निकालता है, उसे भी गैरकानूनी/अनधिकृत खनन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

उत्पादन और प्रेषण के लिए पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति/संचालन की सहमति और फॉर्म-K की जाँच से पता चला कि चार जिलों²⁹ में, लघु खनिजों के 26 पट्टेधारियों ने अप्रैल 2014 और जुलाई 2023 के बीच अनुमेय सीमाओं से अधिक खनिजों का उत्खनन किया था, जैसा कि तालिका-3.2 में संक्षेपित किया गया है।

²⁸ चाईबासा, धनबाद, पाकुड़ एवं साहिबगंज।

²⁹ चतरा, धनबाद, पाकुड़ एवं साहिबगंज।

तालिका-3.2: अनुमेय सीमा से अधिक बालू और पत्थर के उत्खनन का विवरण

जिला	खनिज	पट्टों की संख्या	उत्खनन की मात्रा (लाख घ.मी.)	अनुमेय सीमा* (लाख घ.मी.)	अधिक उत्खनन (लाख घ.मी.)	अर्थदण्ड की राशि (₹ करोड़ में)
साहिबगंज	पत्थर	8	23.23	13.96	9.26	58.00
पाकुड़	पत्थर	12	43.38	20.23	23.15	144.91
धनबाद	बालू	1	3.43	3.22	0.21	0.45
चतरा	पत्थर	5	0.59	0.00 ³⁰	0.59	1.85
कुल		26	70.63	37.41	33.21	205.21

* खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति/संचालन की सहमति में अनुमति प्राप्त सीमाएं।

स्रोत: जि.ख.प. के अभिलेखों में उपलब्ध सूचना

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि 37.41 लाख घन मीटर खनिजों की अनुमेय मात्रा के विरुद्ध, 26 पट्टेधारियों ने 70.63 लाख घन मीटर बालू और पत्थर निकाला, जिसके परिणामस्वरूप अनुमेय सीमा से 33.21 लाख घन मीटर लघु खनिजों का अधिक उत्खनन हुआ, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अगस्त 2017 के आदेशों के अनुसार अवैध रूप से खनन किए गए खनिजों के रूप में माना जाना चाहिए था। अतः इन पट्टेधारियों को खनिजों के अवैध/अनधिकृत उत्खनन के लिए ₹ 205.21 करोड़ का अर्थदण्ड का भुगतान करना था। हालाँकि, संबंधित जिलों के जि.ख.प. अर्थदण्ड आरोपित करने और संग्रह करने में विफल रहे।

3.4 जेएसएमडीसी द्वारा बालू घाटों का प्रबंधन

झारखण्ड में बालू खनन नीति

दीपक कुमार बनाम हरियाणा राज्य (2009 के एसएलपी सं. 19629) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और उसके बाद पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, राज्य सरकार ने पर्यावरण की दृष्टि से सतत और सामाजिक रूप से जिम्मेदार तरीके से राज्य में बालू खनन के प्रभावी मार्गदर्शन और प्रबंधन के लिए झारखण्ड राज्य बालू खनन नीति, 2017 को अधिसूचित³¹ (अगस्त 2017) किया। नई बालू खनन नीति का उद्देश्य राज्य की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ आम लोगों के लिए उचित मूल्य पर बालू की नियमित और पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना था।

नई बालू खनन नीति के अनुसार, राज्य में श्रेणी-2 के बालू घाटों का प्रबंधन सरकार द्वारा 16 अगस्त 2017 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) को सौंपा गया था, जिसे बाद में कैबिनेट के निर्णय द्वारा अगस्त 2022 से तीन वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था (सितंबर 2022)।

³⁰ पट्टेधारियों ने 'संचालन की सहमति' प्राप्त किए बिना खनन गतिविधियाँ संचालित की, इसलिए खनिजों का कुल उत्पादन अवैध था।

³¹ अधिसूचना संख्या 1905 दिनांक 16 अगस्त 2017

नई बालू खनन नीति की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थीं:

- प्रत्येक ज़िले के लिए ज़िला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर)³² उपायुक्त-सह-अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली ज़िला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (डीआ) द्वारा तैयार की जाएगी। राज्य सरकार डीएसआर के प्रभावी तैयारी के लिए आवश्यकतानुसार आवश्यक दिशा-निर्देश या निर्देश जारी करेगी।
- नदियों की विभिन्न जलधाराओं, जैसे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और उसके बाद की जलधाराओं में उपलब्ध बालू की पहचान ज़िला सर्वेक्षण समिति द्वारा उसके आकार और क्षमता के आधार पर की जाएगी। डीएसआर के आधार पर सर्वेक्षण समिति प्रथम और द्वितीय क्रम की धारा/नदी की बालू को श्रेणी-1 और तृतीय क्रम और उससे ऊपर के बालू को श्रेणी-2 के रूप में वर्गीकृत करेगी।

नीति में विभिन्न श्रेणियों की धाराओं (अब से, बालू घाटों) के प्रबंधन ढाँचे को भी परिभाषित किया गया है। दोनों श्रेणियों के प्रबंधन विवरण तालिका-3.3 में दिए गए हैं।

तालिका-3.3: श्रेणी-1 एवं श्रेणी-2 बालू घाटों के प्रबंधन का विवरण

श्रेणी	श्रेणी-1	श्रेणी-2
प्रबंधन	ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वशासन	सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम पाँच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए जेएसएमडीसी को आवंटित किया गया।
उपयोग का उद्देश्य	गैर-वाणिज्यिक उद्देश्य (करों और स्वामिस्व से बालू मुक्त होगी, केवल ग्राम पंचायत/स्थानीय स्वशासन द्वारा नाममात्र का रखरखाव शुल्क लगाया जाएगा)	वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु (राज्य सरकार के परामर्श से जेएसएमडीसी द्वारा तय मूल्य पर जेएसएमडीसी द्वारा बालू की बिक्री)
वैधानिक स्वीकृति	पर्यावरणीय स्वीकृति से छूट, मरीन द्वारा उठाव नहीं, बालू का भंडारण नहीं।	जेएसएमडीसी को बालू खनन, भंडारण और बिक्री के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन योजना या आवश्यक अन्य वैधानिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
अनुश्रवण	उपायुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि बालू का कोई व्यावसायिक/अवैध खनन न हो।	बालू के अवैध खनन और परिवहन को रोकने के लिए वाहनों की आरएफआईडी/ जी.पी.एस. ट्रैकिंग, सीसीटीवी निगरानी, केंद्रीय निगरानी, नगद रहित ऑनलाइन बिक्री आदि जैसी उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना।

³² खनन योग्य क्षेत्र, गैर-खनन योग्य क्षेत्र की पहचान करने, वार्षिक दर और पुनःपूर्ति के समय की गणना करने के उद्देश्य से प्रत्येक पाँच वर्ष के अंतराल पर बालू खनन के लिए डीएसआर तैयार किया जाता है।

3.4.1 बालू घाटों और स्टॉक यार्ड की पहचान

खान निदेशालय ने जेएसएमडीसी को श्रेणी-2 बालू घाटों की सूची (नवंबर 2017) उपलब्ध कराई, जिसमें 19 जिलों के कुल 177 बालू घाट शामिल थे। बाद में इसे (मार्च 2022) 23 जिलों में 608 घाटों तक अद्यतन किया गया। इन 608 घाटों के लिए जेएसएमडीसी के डेटाबेस की समीक्षा करने पर पाया गया कि इसमें केवल नाम, जिला और शामिल किए जाने वाले क्षेत्र जैसी बुनियादी जानकारी ही थी। संबंधित जिलों की डीएसआर में सूचीबद्ध घाटों को शामिल किये जाने के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जेएसएमडीसी 21 जिलों (धनबाद, पाकुड़ और सिमडेगा को छोड़कर) की डीएसआर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करा सका। इन डीएसआर में खनन योग्य मात्रा, पुनः पूर्ति दर और समय, बालू घाटों के लिए आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति मानदंडों के अनुकूल, आदि, जैसे महत्वपूर्ण विवरण शामिल होंगे।

पुनः, लेखापरीक्षा ने 608 बालू घाटों (जिनका क्षेत्रफल 4,859.96 हेक्टेयर है) की अद्यतन सूची की तुलना 177 बालू घाटों की प्रारंभिक सूची से की और पाया कि 37 घाटों को, जिनका उल्लेख प्रारंभिक सूची में था, उन्हें अद्यतन सूची में छोड़ दिया गया। ऐसी छूक का कारण न तो अभिलेख में पाए गए और न ही खान एवं भूत्त्व विभाग द्वारा बताए गए। तदन्तर, 389 बालू घाटों लिए जेएसएमडीसी द्वारा एमडीओ के पैनल के लिए निविदाएं (दिसंबर 2017 से अक्टूबर 2019 की अवधि के दौरान) आमंत्रित की गई थीं जिसमें 95 बालू घाट भी शामिल थे, जो खान एवं भूत्त्व विभाग द्वारा जेएसएमडीसी को सौंपे गए 608 घाटों की अद्यतन सूची में नहीं थे। प्रबंधित किए जाने वाले बालू घाटों की उपलब्ध संख्या के बारे में जानकारी में विसंगतियाँ, बालू घाटों के प्रबंधन में विभाग के साथ-साथ जेएसएमडीसी के लापरवाह दृष्टिकोण को उजागर करती हैं। इसने बालू घाटों के संचालन की निम्न दर में भी योगदान दिया, जैसा कि तालिका-3.4 में दर्शाया गया है।

- **समय-सीमा की तुलना में बालू घाटों के संचालन की उपलब्धि:** जेएसएमडीसी, जो अब बालू घाटों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार था, को (i) खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति तैयार करने के लिए एजेंसियों का; (ii) खनन के लिए खान विकासकर्ता और संचालक (एमडीओ) का; और (iii) बालू के परिवहन के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वाहनों की आरएफआईडी/जीपीएस ट्रैकिंग, सीसीटीवी निगरानी, केंद्रीय निगरानी और नगद रहित ऑनलाइन बिक्री की सुविधा के लिए सुचना प्रौद्योगिकी समाधान विकासकर्ता का चयन करना था। जेएसएमडीसी ने 1 मार्च 2018 से श्रेणी-2 बालू घाटों से बालू उत्पादन शुरू करने का फैसला किया। लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जेएसएमडीसी बालू घाटों के संचालन के लिए निर्धारित समयसीमा के अनुसार लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रहा। जेएसएमडीसी द्वारा निर्धारित समय-सीमा और संबंधित उपलब्धि तालिका-3.4 में उल्लिखित है।

**तालिका-3.4: बालू घाटों के संचालन की समय-सीमा बनाम वास्तविक उपलब्धि
(31 अक्टूबर 2023 को)**

कार्य	कर्ता	समय सीमा	चिन्हित 608 बालू घाटों ³³ के संबंध में जेएसएमडीसी की उपलब्धि	कॉलम 4 में बालू घाटों के लिए उपलब्धि की अंतिम तिथि	उपलब्धि में विलंब	उपलब्धि प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7
बालू घाटों के लिए भण्डार यार्ड की पहचान	जेएसएमडीसी	15 दिसंबर 2017	21	फरवरी 2020	2 वर्ष 1.5 माह	3.45
खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की तैयारी	चयनित एजेंसी	15 दिसंबर 2017	22	जुलाई 2019	1 वर्ष 6.5 माह	3.62
खनन योजना एवं पर्यावरणीय स्वीकृति का अनुमोदन	चयनित एजेंसी	15 मार्च 2018	22	सितम्बर 2019	1 वर्ष 5.5 माह	3.62
बालू खनन के लिए एमडीओ को कार्य आदेश	जेएसएमडीसी	15 जनवरी 2018	21	मार्च 2020	2 वर्ष 1.5 माह	3.45
बालू घाट नेटवर्क स्थापना और उपयोगकर्ता स्वीकृति/ गो-लाइव	चयनित एजेंसी	31 मई 2018	21	21 में नेटवर्क स्थापना, नगद रहित ऑनलाइन बिक्री का लक्ष्य हासिल, लेकिन सीसीटीवी निगरानी और केंद्रीय निगरानी स्थापित नहीं हुई।		

स्रोत: जेएसएमडीसी के अभिलेख के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा संकलित।

तालिका से पता चलता है कि जेएसएमडीसी ने केवल सीमित संख्या में बालू घाटों के निर्धारित लक्ष्य को हासिल किया, जो कुल लक्ष्य का 3.45 से 3.62 प्रतिशत है। इन कुछ बालू घाटों के लिए भी, खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति की तैयारी करने के लिए एजेंसी का चयन, घाटों के संचालन के लिए एमडीओ का चयन आदि जैसे विभिन्न कार्यों के लिए 18 से 26 माह के बीच विलंब हुआ। मार्च 2020 के बाद इनमें से किसी भी कार्य में कोई प्रगति नहीं देखी गई। संक्षेप में, खान एवं भूतत्व विभाग श्रेणी-2 के 608 घाटों में से जेएसएमडीसी केवल 21 का ही संचालन करने में सफल रहा।

³³ जेएसएमडीसी/विभाग द्वारा चिन्हित बालू घाटों की वर्षवार सूची उपलब्ध नहीं कराई गई।

प्रगति की कमी और लक्ष्यों की गैर-उपलब्धि के लिए निम्नलिखित कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है:

- **खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति की तैयारी:** जनवरी 2018 में, जेएसएमडीसी ने बालू घाटों के लिए खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव³⁴ तैयार करने के लिए पाँच एजेंसियों³⁵ को पैनल में शामिल किया था। जनवरी 2018 से नवंबर 2019 की अवधि के दौरान, जेएसएमडीसी ने खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव तैयार करने के लिए इन एजेंसियों को 167 घाट सौंपे। इन 167 प्रस्तावों में से, एजेंसियों ने केवल 36 मामलों के प्रस्ताव तैयार और प्रस्तुत किए और केवल 22 घाटों के संबंध में खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति की मंजूरी प्राप्त किया जा सका। इस प्रकार, इन एजेंसियों को सौंपे गए 167 घाटों में से केवल 22 (अर्थात्, प्रस्तावों का 13.17 प्रतिशत) के लिए खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया गया था। खान एवं भूत्व विभाग द्वारा जेएसएमडीसी को सौंपे गए 608 घाटों के विरुद्ध खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव तैयार करने के लिए एजेंसियों को केवल 167 घाट सौंपने और केवल 36 घाटों के संबंध में खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव तैयार करने और उनके प्रस्तुत करने के कारणों का लेखापरीक्षा में पता नहीं चल सका। जेएसएमडीसी शेष 441 घाटों के संबंध में निष्क्रियता का कोई औचित्य भी नहीं बता सका।
- **बालू खनन के लिए एमडीओ को कार्य आदेश प्रदान करना:** जेएसएमडीसी ने दिसंबर 2017 और अक्टूबर 2019 के बीच 389 बालू घाटों के लिए निविदाएँ जारी कीं, ताकि खनन, परिवहन, भंडारण और बालू की लोडिंग सहित संपूर्ण बालू घाट संचालन के प्रबंधन की जिम्मेदारी हेतु एमडीओ का चयन किया जा सके। हालांकि 89 बालू घाटों के लिए आदर्श निविदाकर्ताओं का चयन किया गया था, लेकिन केवल 26 बालू घाटों के लिए एकरानामा किए गए, जो एमडीओ के लिए आदर्श निविदाकर्ताओं की कम रूपांतरण दर को दर्शाता है। उल्लेखनीय रूप से, कम रूपांतरण दर का कारण केवल 22 बालू घाटों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की उपलब्धता थी। हालांकि, केवल 21 बालू घाटों को परिचालित किया जा सका। परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए, जेएसएमडीसी ने सितंबर 2021 में जिम्मेदारियों को समेकित किया, खनन योजना तैयार करने और क्रियान्वयन दोनों एक ही एजेंसी, एमडीओ को सौंप दिया। नतीजतन, जेएसएमडीसी ने जुलाई 2022

³⁴ संबंधित प्राधिकारियों से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया का विवरण प्रतिवेदन की काण्डिका-4.2 में विस्तृत है।

³⁵ (i) क्रिस्टल कंसल्टेंट्स, (ii) ईएनवी डेवलपमेंटल असिस्टेंस सिस्टम्स प्रा. लि., (iii) एनवायरो केयर टेक्नोक्रेट्स प्रा. लि., (iv) कल्याणी लैबोरेटरीज प्रा. लि. और (v) ओवरसीज मिन टेक कंसल्टेंट एंड साथी प्लानर्स प्रा. लि।

तक 130 एमडीओ को सूचीबद्ध किया। हालाँकि, इस प्रयास के बावजूद, मौजूदा 21 से अधिक कोई भी बालू घाट परिचालित नहीं हुआ।

इस प्रकार, जेएसएमडीसी सीआ से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु खनन योजना की ससमय तैयारी सुनिश्चित करने में विफल रहा और वैध खनन योजना और पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना एमडीओ के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, जिससे पूरी प्रक्रिया निरर्थक हो गई।

मामले को इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2023), जेएसएमडीसी के प्रबंधन ने जवाब दिया (जुलाई 2024) कि विभिन्न कानूनी मुद्दों के कारण, परिचालित बालू घाटों की संख्या में कमी आई है। वर्तमान में सभी बालू घाट (21 बालू घाट) परिचालित हैं।

3.4.2 आईटी सोल्यूशन डेवलपर की अतार्किक तैनाती

मेसर्स एम-जंक्शन सर्विस लि. और मेसर्स टेलीमैटिक्स 4 यू सर्विसेज प्रा. लि. के सहयोजन को पाँच वर्ष के लिए 200 बालू घाटों में आवश्यक आईटी सोल्यूशन (पहले तीन वर्षों के लिए प्रति घाट³⁶ प्रति माह ₹ 59,535 और अगले दो वर्षों के लिए प्रति घाट प्रति माह ₹ 54,610 की लागत पर) प्रदान करने के लिए चुना गया था (सितंबर 2018)। एकरारनामा के तहत एजेंसी को विपत्र तैयार करने के लिए प्रत्येक बालू घाट पर दो व्यक्तियों (₹ 0.51 लाख प्रति माह- परिवर्तनीय लागत) और कॉल सेंटर और तकनीकी सहायता के लिए राँची मुख्यालय में आठ व्यक्तियों (₹ 4.20 लाख प्रति माह- निश्चित लागत) को तैनात करना था।

एजेंसी ने 2018-22 के दौरान 16 घाटों के लिए आईटी सोल्यूशन प्रदान किए। इसके अलावा, जेएसएमडीसी ने एक वर्ष में अधिकतम 16 बालू घाटों का संचालन किया और 2018-22 के दौरान ₹ 12.09 करोड़ (सरकार को भुगतान की गई स्वामिस्व और अन्य संबद्ध शुल्क एवं उपकर को छोड़कर) विक्रय आय अर्जित किया, जबकि आईटी सेवा प्रदाता ने उसी अवधि के लिए ₹ 4.57 करोड़ के विपत्र का दावा किया। इस प्रकार, आईटी सोल्यूशन पर किया गया व्यय एक वर्ष में बालू की विक्रय से प्राप्त आय का 31.95 प्रतिशत से लेकर अधिकतम 59.87 प्रतिशत तक था, जैसा कि तालिका-3.5 में विस्तृत है।

³⁶ केंद्रीय निगरानी प्रणाली की लागत, राज्य और जिला स्तर पर 200 घाटों के बीच वितरित की गई।

तालिका-3.5: बालू के वर्षावार विक्रय से प्राप्त आय और एजेंसी को किया गया भुगतान

(लाख ₹ में)

अवधि	कार्यरत बालू घाटों की संख्या	बालू के विक्रय से प्राप्तियाँ	दावा किये गये विपत्र	भुगतान की गई राशि	दावा की प्रतिशतता (कॉलम 4 से कॉलम 3)
1	2	3	4	5	6
2018-19	3	47.81	20.85	20.42	43.61
2019-20	16	173.92	104.13	103.52	59.87
2020-21	15	555.59	177.53	177.53	31.95
2021-22	12	431.70	154.41	104.82	35.77
कुल		1,209.02	456.92	406.29	

स्रोत: जेएसएमडीसी द्वारा उपलब्ध कराया गया विवरण।

लेखापरीक्षा ने पाया कि जेएसएमडीसी ने केवल 22 बालू घाटों के लिए खनन योजना तैयार किया और पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया था तथा वर्ष 2018-22 के दौरान अधिकतम 16 घाट ही चालू थे, लेकिन जेएसएमडीसी ने 200 घाटों के परिचालन के लिए आईटी सोल्यूशन की व्यवस्था की तथा इस पर अत्यधिक व्यय किया। जेएसएमडीसी बालू घाटों के नेटवर्क के अधिष्ठापन की समय सीमा को संशोधित कर सकता था तथा उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण/गो-लाईव या छोटे पैमाने पर आईटी सोल्यूशन को लागू कर सकता था तथा मुख्यालय स्तर पर कम संख्या में आईटी कर्मियों को तैनात कर सकता था। इसके अभाव में, केवल आईटी सोल्यूशन पर किया गया व्यय बालू की विक्रय से प्राप्त आय के एक तिहाई से अधिक हो गया।

3.4.3 बालू घाटों के गैर-परिचालन से राजस्व की संभावित हानि

परिचालित घाटों के लिए मान्य पट्टेधारी के रूप में, जेएसएमडीसी को झा.ल.ख.स. नियमावली में उल्लिखित प्रक्रियाओं का पालन करना था और प्रति वर्ष प्रति एकड़ ₹ 30,000 की दर से नियत लगान या हटाए गए बालू की मात्रा का स्वामिस्व जो भी अधिक हो, का भुगतान करना था।

608 बालू घाटों में से, जेएसएमडीसी ने 389 घाटों को परिचालित करने का प्रयास किया, लेकिन केवल 21 घाटों को ही सफलतापूर्वक परिचालित किया जा सका। इस प्रकार, 2017-22 के दौरान 368 बालू घाट गैर-परिचालित रहे। 368 गैर-परिचालित घाटों के कारण, राज्य सरकार को नवंबर 2019 से मार्च 2022 के दौरान इन घाटों (9,782.55 एकड़ क्षेत्र) के लिए ₹ 70.92 करोड़³⁷ की संभावित हानि हुई।


³⁷ ₹ 70.92 करोड़ = 9,782.55 एकड़ × ₹ 2,500 (₹ 30,000/12) एकड़ प्रति माह × 29 माह (नवंबर 2019 से मार्च 2022) अर्थात् एमडीओ के चयन हेतु निविदा सूचना के अंतिम माह के बाद (अक्टूबर 2019)।

3.4.4 बालू घाटों के परिचालन में आय-व्यय का विश्लेषण

उद्योग, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना दिनांक 5 अक्टूबर 2017 के अनुसार, जेएसएमडीसी श्रेणी-2 बालू घाटों के प्रबंधन से विक्रय आय पर 15 प्रतिशत एजेंसी कमीशन शुल्क का हकदार था। बालू घाटों के परिचालन और प्रबंधन से संबंधित सभी व्ययों में कटौती करने के बाद, जेएसएमडीसी को विक्रय से एकत्र शेष राशि सरकारी खजाने में वापस करनी थी।

3.4.4.1 बालू खनन से राजस्व की प्रवृत्ति

नीचे दिया गया चार्ट वर्ष 2016-22 के लिए राज्य में बालू खनन से विभाग को प्राप्त स्वामिस्व को दर्शाता है। नीचे दिए गए चार्ट से यह स्पष्ट है कि जेएसएमडीसी को बालू खनन पट्टे सौंपे जाने के बाद स्वामिस्व की राशि में काफी कमी आई है। वर्ष 2020-21 में स्वामिस्व में अचानक वृद्धि हुई, जिसके कारण न तो अभिलेख में स्पष्ट थे और न ही विभाग द्वारा सूचित किया गया।



स्रोत: विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई स्वामिस्व का डेटा।

वर्ष 2017-22 की अवधि के लिए खान एवं भूतत्व विभाग से राज्य की खनिज-वार स्वामिस्व प्राप्तियों का डेटा एकत्रित किए गए। विभाग द्वारा बालू से प्राप्त स्वामिस्व तथा उसी अवधि के दौरान बालू के विक्रय के विरुद्ध जेएसएमडीसी द्वारा प्रेषित स्वामिस्व के बीच तुलना की गई। पाई गई विसंगतियों को तालिका-3.6 में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका-3.6: विभाग के अनुसार बालू से प्राप्त स्वामिस्व और जेएसएमडीसी द्वारा भुगतान की गई स्वामिस्व

(लाख ₹ में)

अवधि	विभाग के अनुसार (बालू से स्वामिस्व प्राप्ति)	जेएसएमडीसी (बालू के विक्रय के विरुद्ध प्रेषित स्वामिस्व)	अंतर
2017-18	226.87	0.00	इस अवधि में जेएसएमडीसी द्वारा कोई बालू घाट का परिचालन नहीं किया गया।
2018-19	140.47	9.64	130.83
2019-20	175.67	38.81	136.86
2020-21	901.46	140.89	760.57
2021-22	192.02	109.47	82.55

स्रोत: विभाग और जेएसएमडीसी द्वारा उपलब्ध कराए गए स्वामिस्व का डेटा

अक्टूबर 2018 से राज्य के बालू घाट (श्रेणी-2) का परिचालन पूरी तरह से केवल जेएसएमडीसी द्वारा किया जा रहा था। इसलिए, विभाग द्वारा दर्शाई गई बालू से प्राप्त स्वामिस्व जेएसएमडीसी द्वारा दर्शाई गई स्वामिस्व के समान ही होनी चाहिए थी। हालाँकि, 2019-22 की अवधि के दौरान स्वामिस्व के आँकड़ों में पर्याप्त विसंगतियाँ थीं, जो ₹ 82.55 लाख से ₹ 760.57 लाख के बीच थीं। इसका कोई औचित्य/कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया। आवश्यक जानकारी के अभाव में, लेखापरीक्षा इन भिन्नताओं के कारणों का विश्लेषण नहीं कर सकी।

3.4.4.2 जेएसएमडीसी को बालू घाटों के परिचालन में हानि

वर्ष 2018-22 के दौरान जेएसएमडीसी द्वारा बालू के विक्रय से प्राप्त वर्षवार आय और जेएसएमडीसी के वार्षिक लेखों में किए गए भुगतान के प्रावधान तालिका-3.7 में दर्शाए गए हैं।

तालिका-3.7: बालू की विक्रय से प्राप्त आय और भुगतान के प्रावधान/किए गए भुगतान

(लाख ₹ में)

अवधि	परिचालित बालू घाटों की संख्या (प्रेषण)	वस्तु एवं सेवा कर रहित विक्रय से आय	जेएसएमडीसी को स्वामिस्व, डीएमएफटी, पर्यावरण उपकर और प्रबंधन शुल्क छोड़कर विक्रय आय का 15 प्रतिशत की दर से विक्रय कमीशन	खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति तैयार करने, एमडीओ और आईटी सेवा प्रदाता के लिए चयनित एजेंसी को भुगतान का प्रावधान	स्वामिस्व, डीएमएफटी, पर्यावरण उपकर और प्रबंधन शुल्क	लाभ जो राज्य के कोष में जमा किया जाएगा
2018-19	3	60.78	7.17	90.04	12.96	(-) 49.39
2019-20	14	225.97	26.09	265.98	52.05	(-) 118.15
2020-21	15	744.12	83.34	381.30	188.53	90.95
2021-22	11	578.19	64.75	322.66	146.49	44.29
कुल		1,609.06	181.35	1,059.98	400.03	(-) 32.30

स्रोत: जेएसएमडीसी का वार्षिक लेखा।

तालिका से स्पष्ट है कि 2018 से 2022 के बीच जेएसएमडीसी ने एक वर्ष में अधिकतम 15 घाटों से बालू प्रेषित किया, जिसके विक्रय से ₹ 16.09 करोड़ की आय हुई। 15 प्रतिशत कमीशन (₹ 1.81 करोड़) और वैधानिक कटौती (₹ 4.00 करोड़) घटाने के बाद जेएसएमडीसी को ₹ 10.60 करोड़ का प्रत्यक्ष व्यय हुआ। राजस्व अर्जित करने के बावजूद जेएसएमडीसी को ₹ 32.30 लाख रुपये की हानि हुई, जो परिचालन अक्षमता को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने अप्रैल 2020 से मार्च 2022 के बीच जेएसएमडीसी की राजस्व क्षमता का आकलन, उपलब्ध भंडार के 60 प्रतिशत को उत्पादन के रूप में मानते हुए किया (जैसा कि सतत बालू खनन प्रबंधन दिशानिर्देश 2016 में परिकल्पित है, अर्थात पर्यावरणीय स्वीकृति में वार्षिक खनन योग्य भंडार)। इस आधार पर, यदि जेएसएमडीसी ने सभी 21 बालू घाटों को कुशलतापूर्वक परिचालित किया होता, तो वह राज्य सरकार को प्रतिवर्ष ₹ 11.51 करोड़ से ₹ 12.25 करोड़³⁸ का लाभ जमा कर सकता था। हालांकि, इस अवधि के दौरान जेएसएमडीसी का उत्पादन वांछित उत्पादन का केवल 28.53 से 31.50 प्रतिशत था। इस प्रकार, इष्टतम से कम प्रदर्शन के परिणामस्वरूप राजस्व का अवसर खत्म हो गया। जेएसएमडीसी द्वारा बालू घाटों के अकुशल प्रबंधन और परिचालन के कारण 2018-22 के दौरान ₹ 32.30 लाख का वित्तीय हानि हुई।

3.4.5 गैर-परिचालित बालू-घाटों में घटता भंडार

पाँच वर्ष की अवधि के लिए गैर-परिचालित श्रेणी-2 बालू घाटों में अवसादन प्रक्रिया के कारण बालू संचय की प्रवृत्ति का विश्लेषण किया गया। लेखापरीक्षा ने तीन जिलों के 14 बालू घाटों के कुल भंडार (डीएसआर 2017-22 और डीएसआर 2022-27 में प्रतिवेदन के अनुसार) की तुलना की, जैसा कि तालिका-3.8 में विस्तृत है।

तालिका-3.8: गैर-परिचालित बालू घाटों में अवसादन प्रक्रिया की प्रवृत्ति

क्र. सं.	जिला	बालू घाट	डीएसआर 2017-22		डीएसआर 2022-27	
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वार्षिक खनन योग्य भंडार (मी. टन)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वार्षिक खनन योग्य भंडार (मी. टन)
1	धनबाद	लोहापट्टी	16.00	2,16,000	45.00	4,47,363
2	धनबाद	भौवरा	12.00	1,62,000	12.79	54,079
3	धनबाद	चास-नाला	7.20	97,200	30.63	62,357
4	धनबाद	जजालपुर	3.00	40,500	9.81	77,107

³⁸ लाभ = (वांछित उत्पादन प्रतिवर्ष x बालू की दर प्रति घन फीट) - (वैधानिक कटौतियों के कारण देयता, एमडीओ/आईटी सोल्यूशन प्रदाता को भुगतान, जेएसएमडीसी को कमीशन); 2020-21 हेतु वांछित लाभ = (407.82 लाख घन फीट x ₹ 7.5 प्रति घन फीट)- ₹ 1,907.50 लाख = ₹ 1,151.15 लाख; 2021-22 हेतु: (407.82 लाख घन फीट x ₹ 7.5 प्रति घन फीट) - ₹ 1,833.94 = ₹ 1,224.71 लाख

क्र. सं.	जिला	बालू घाट	डीएसआर 2017-22		डीएसआर 2022-27	
			क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वार्षिक खनन योग्य भंडार (मी. टन)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	वार्षिक खनन योग्य भंडार (मी. टन)
5	पाकुड़	बबुधा	10.49	7,18,794	9.21	1,91,824
6	पाकुड़	रोलागाम	14.94	7,61,076	8.09	62,316
7	पाकुड़	बरसिंघपुर	20.01	10,57,050	11.60	1,28,134
8	पाकुड़	गणपुरा	7.08	2,46,645	6.00	58,478
9	पाकुड़	बेनाकुर	9.76	6,87,083	7.75	68,225
10	पाकुड़	घुरानी	10.96	3,85,823	3.60	56,240
11	सिमडेगा	गोरा	4.43	1,79,314	5.80	48,139
12	सिमडेगा	कोनोरिया	4.04	1,63,701	4.00	34,584
13	सिमडेगा	रामजल	4.84	1,96,182	5.92	21,323
14	सिमडेगा	लताकेल	4.71	1,90,958	12.00	1,01,477
कुल			129.46	51,02,326	172.20	14,11,646

स्रोत: जेरसएमडीसी के अभिलेखों के आधार पर लेखापरीक्षा द्वारा संकलित।

तालिका से स्पष्ट है कि डीएसआर 2017-22 के अनुसार कुल 129.46 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले 14 बालू घाट थे, जिनका कुल आरक्षित भंडार प्रति वर्ष 51.02 लाख मीट्रिक टन था। हालांकि डीएसआर 2022-27 में कुल क्षेत्रफल 129.46 से बढ़कर 172.20 हेक्टेयर हो गया, लेकिन कुल आरक्षित भंडार प्रति वर्ष 51.02 लाख मीट्रिक टन से घटकर 14.12 लाख मीट्रिक टन हो गया।

गैर-परिचालित बालू घाटों में वार्षिक भंडार में भारी कमी (72.33 प्रतिशत) केवल भौगोलिक घटना (भंडार के बह जाने/पुनर्वितरण) के कारण नहीं हो सकती है, तथा इस अवधि के दौरान इन गैर-परिचालित घाटों में अवैध खनन की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अद्यतन डीएसआर (2023) की पुनः जाँच से पता चला कि श्रेणी-2 के 442 संभावित बालू घाट अस्तित्व में थे, जिनका परिचालन नहीं किया जा रहा था। इन गैर-परिचालित बालू घाटों में बालू भंडार का इसी प्रकार का अद्ययन बड़े पैमाने पर अवैध खनन की संभावनाओं को प्रकट कर सकता है।

3.5 अनुशंसाएँ

सरकार/विभाग

- अपरिचालित बालू घाटों में बालू भंडार में कमी के कारणों का आकलन कर सकती है तथा बालू घाटों का परिचालन कर लघु खनिजों से सरकारी राजस्व में वृद्धि हेतु व्यापक उपाय कर सकती है;
- उन दोषी अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय कर सकती है जो चिप्स बनाने के लिए क्रशरों को भेजे गए पत्थरों पर लागू स्वामिस्व की दरों को सत्यापित

करने में विफल रहे तथा अधिनियम/नियमावलियों के प्रावधानों के अनुसार सही स्वामिस्व और अर्थदण्ड की वसूली नहीं की; तथा

- जिम्स की कमियों को दूर करने हेतु संगठित प्रयास कर सकते हैं जिसमें पारदर्शिता और दस्तावेजी साक्ष्य सुनिश्चित करने के लिए जिम्स के माध्यम से खनन योजनाओं की प्रस्तुतीकरण की व्यवस्था बनाना भी शामिल हो।

अध्याय 4

सतत और वैज्ञानिक खनन

लघु खनिजों को वर्ष 2006 में पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत लाया गया था, जिसके तहत पाँच हेक्टेयर से अधिक के पट्टों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने लघु खनिजों के सतत खनन के लिए दिशानिर्देश विकसित करने हेतु एक समूह का गठन किया। प्रतिवेदन यह अनुशंसा करती है कि केंद्रीय खान मंत्रालय, भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) और राज्य सरकारें मॉडल दिशानिर्देश अपनाएं और लघु खनिज समानुदान नियमावलियों के तहत आवश्यक प्रावधान करें। भारतीय खान ब्यूरो ने लघु खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 2010 को अंतिम रूप दिया (जून 2011)। परिणामतः, आईबीएम के मॉडल दिशानिर्देश प्रारूप को अपनाते हुए, खनन योजना और पर्यावरण संरक्षण पर फरवरी 2014 में अध्याय 4A, मई 2014 में 4B और मार्च 2019 में 4C को झारखण्ड लघु खनिज समानुदान (झा.ल.ख.स.) नियमावली, 2004 में शामिल किया गया।

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के अनुसार, वैज्ञानिक खनन का तात्पर्य खनन योजना और स्कीम के अनुसार खनन गतिविधियों को कार्यान्वित करना है। झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 5 और 6 में निहित प्रावधानों के अनुसार, विभिन्न एजेंसियों से मंजूरी और अनुमोदन यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं कि खनन गतिविधियां टिकाऊ और वैज्ञानिक प्रकृति की हैं। इन आवश्यक अनुमोदनों का विवरण और उनमें विभिन्न एजेंसियों की भूमिका, चार्ट-4.1 में दर्शाई गई है।

चार्ट-4.1: सतत और वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करने में विभिन्न एजेंसियों की भूमिका

केंद्र सरकार/सीआ से पर्यावरणीय स्वीकृति

- श्रेणी ए की खदानों केन्द्र सरकार से तथा श्रेणी बी की खदानों सीआ से।

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्वीकृति

- स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति

भूजल निदेशालय, झारखण्ड सरकार/केन्द्रीय भूजल बोर्ड से स्वीकृति

- खनन कार्य भूजल स्तर से ऊपर तक ही सीमित होना चाहिए ताकि यह इसे प्रतिच्छेदित न करे। भूजल स्तर से नीचे काम करने के मामले में भूजल निदेशालय, झारखण्ड सरकार/केन्द्रीय भूजल बोर्ड की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

प्रमण्डलीय वन पदाधिकारी से स्वीकृति

- निकटतम वन सीमा से पट्टे की दूरी कम से कम 250 मीटर होनी चाहिए। भारत सरकार से पूर्व वन स्वीकृति प्राप्त किए बिना वन क्षेत्र में कोई खनन नहीं किया जाएगा।

भू-राजस्व विभाग के अंचल अधिकारी से स्वीकृति

- आवेदित खनन पट्टा क्षेत्र से 500 मीटर की दूरी के अन्दर कोई मानव निवास स्थान नहीं होनी चाहिए तथा खनन पट्टे में शामिल भूमि की श्रेणी के बारे में स्वीकृति आवश्यक है।

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) के निर्देशों के अनुरूप सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना है।

- डीजीएमएस के निर्देशानुसार, बैंचों की ऊँचाई और ढलान को अनुमोदित खनन योजना के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए।

4.1 खनन योजना

जिला खनन कार्यालय से आशय का पत्र प्राप्त होने के बाद, खनन पट्टे के आवेदक को खनन योजना प्रस्तुत करना आवश्यक है। खनन योजना वैज्ञानिक और सतत खनन के अनुपालन हेतु मूलभूत आधार प्रदान करता है। खनन योजना में खनिजों की स्वीकृत वार्षिक अनुमानित मात्रा को ही, पर्यावरणीय स्वीकृति, स्थापना की सहमति (सीटीई और संचालन की सहमति (सीटीओ)³⁹ में निर्दिष्ट उत्पादन मात्रा निर्धारित करने के आधार के रूप में अंगीकृत किया जाता है। झारखण्ड में लघु

³⁹ परियोजना की स्थापना और संचालन के लिए जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25/26 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 21 के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सीटीई और सीटीओ दिया जाता है।

खनिजों के लिए खनन योजना तैयार करने और अनुमोदन की प्रक्रिया चार्ट-4.2 में प्रस्तुत की गई है।

चार्ट-4.2: लघु खनिजों के लिए खनन योजना तैयार करने और अनुमोदन की प्रक्रिया

खनन योजना का प्रस्तुतीकरण और अनुमोदन

1. आवेदक द्वारा अनुमोदन हेतु संबंधित स.ख.प./जि.ख.प. को खनन योजना प्रस्तुत करना है, जिसे प्रस्तुत करने के सात दिनों के भीतर स्वीकृत किया जाना है।
2. स.ख.प./जि.ख.प. द्वारा खनन योजना के अनुमोदन में विलंब के मामले में उप-निदेशक, खान द्वारा अनुमोदन सुनिश्चित करना है।

खनन योजना की समीक्षा और अद्यतीकरण

खनन पट्टाधारी खनन योजना के प्रथम पाँच वर्ष की अवधि समाप्त होने से कम से कम 120 दिन पूर्व खनन योजना की समीक्षा या अद्यतीकरण करने के लिए स.ख.प./ जि.ख.प. को आवेदन प्रस्तुत करेगा।

खनन पट्टाधारी द्वारा खान समापन योजना का प्रस्तुतीकरण तथा स.ख.प./ जि.ख.प. द्वारा उसका अनुमोदन

1. प्रारम्भिक खनन योजना के साथ प्रगामी खान समापन योजना भी प्रस्तुत करना है।
2. खदान के प्रस्तावित बंद करने की तिथि से एक वर्ष पूर्व अंतिम खान समापन योजना प्रस्तुत करना है और स.ख.प./जि.ख.प. द्वारा इसकी प्राप्ति की तिथि से 90 दिनों के अन्दर उसे अनुमोदित करना है।

4.1.1 खनन योजना की तैयारी और अनुमोदन की प्रक्रिया में कमियाँ

झा.ल.ख.स. नियमावली ने आईबीएम द्वारा प्रसारित मॉडल लघु खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 2010 में दिए गए खनन योजना प्रारूप को अपनाया। लघु खनिजों के लिए खनन पट्टे सामान्यतः 10 वर्ष (पुनः नवीकरण के प्रावधान के साथ) की अवधि के लिए स्वीकृत किये जाते हैं। 10 वर्षों की पूरी पट्टा अवधि के लिए खनन योजना का अनुमोदन दो भाग में, प्रत्येक पाँच वर्ष के लिए प्रदान की जाती है।

पहला भाग (खनन योजना, यहाँ से प्रथम योजना) में भूत्तव और अन्वेषण, अपेक्षित वार्षिक उत्पादन, खनन, प्रसंस्करण और पर्यावरण प्रबंधन योजना का अध्याय है। दूसरा भाग (खनन योजना, यहाँ से द्वितीय योजना) में प्रथम पाँच-वर्षीय योजना की समीक्षा पर एक अध्याय के अतिरिक्त प्रथम योजना के आधार पर वार्षिक उत्पादन, अन्वेषण, पर्यावरण प्रबंधन इत्यादि पर अध्याय है। खनन योजना के दोनों भागों की अलग-अलग स्वीकृति आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने चयनित छह जिलों के फरवरी 2009 से मार्च 2022 के दौरान स्वीकृत किए गए 74 पत्थर खनन पट्टों और उसके खनन योजनाओं का जाँच किया एवं निम्नलिखित कमियाँ पाईः

- i) खनन योजना के मूल्यांकन पर आईबीएम मैनुअल (2014) की कंडिका 3.3 के अनुसार, नए पट्टे के मामलों में खनन योजना को केवल मान्यता प्राप्त योग्य व्यक्ति⁴⁰ (आरक्यूपी) और आवेदक के प्रतिनिधि के साथ स्थल निरीक्षण किए जाने के बाद ही अनुमोदित किया जाएगा। यद्यपि, 64 नए पट्टे, जिनकी पट्टा अवधि फरवरी 2009 से जनवरी 2032 के बीच थे, के मामलों में अनुमोदन-प्राधिकारियों द्वारा आवेदक/आरक्यूपी के साथ पट्टा क्षेत्र के स्थल निरीक्षण के समर्थन में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त, किसी भी मामले में आवेदकों द्वारा अनुमोदन-प्राधिकारियों को खनन योजना प्रस्तुत करने की तिथियों का उल्लेख नहीं किया गया। केवल स्वीकृत खनन योजना के साथ सर्त-अनुमोदन-पत्र लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए। इन घटनाओं के दस्तावेजी साक्ष्य का न होना खनन योजना के समीक्षा एवं अनुमोदन के प्रक्रिया की सम्पूर्णता एवं पारदर्शिता के संबंध में प्रश्न उत्पन्न करता है।
- ii) नमूना जाँचित सभी 74 पट्टों के खनन योजना में प्रमाणित भण्डार के विस्तृत अन्वेषण और खनिज के घनत्व के माप के समर्थन में बोरहोल और नमूनों का प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाना था, जो उपलब्ध नहीं पाये गये। पुष्टि करने वाले साक्ष्य के अभाव में, खनन योजना में शामिल प्रमाणित भण्डार एवं खनिज के घनत्व के आकलन की सत्यता संदिग्ध थी।
- iii) ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का उपयोग विकास योजनाएं और अनुभाग तैयार करने हेतु किया जाता है, जिसमें पट्टा क्षेत्र की त्रि-आयामी चित्रों तथा अनुभागीय क्षेत्रफल/आयतन मापने के लिए उपयुक्त उपकरण सम्मिलित होते हैं। हालांकि, यह देखा गया कि इस सॉफ्टवेयर की निर्णायक भूमिका होने के बावजूद, विभाग ने इन खनन कार्यालयों को ऑटोकैड अथवा उसके अनुकूल सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं किया था जिससे इन खनन योजनाओं एवं उनमें समाविष्ट अनुभागों का व्यापक जाँच संभव हो सके। पट्टेधारियों द्वारा खनन योजना में मानचित्रों के केवल द्वि-आयामी चित्र प्रस्तुत (मार्च 2022 तक) किए जा रहे थे, जिससे योजना की व्यापक जाँच और खनन कार्यों का प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित नहीं हो सकती थी।

⁴⁰ झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34C(1) के अनुसार, प्रत्येक खनन योजना आवश्यक योग्यता और अनुभव रखने वाले व्यक्तियों द्वारा तैयार किया जाएगा।

iv) झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34E(1) में प्रावधान है कि खनन योजना तैयारी और अनुमोदन के संबंध में आईबीएम के निर्देशों का अनुपालन किया जाना चाहिए। आईबीएम ने निर्देश किया (अप्रैल 2010) कि प्रत्येक खनन पट्टे के सीमा स्तंभों को सटीक रूप से स्थापित किया जाए। प्रत्येक सीमा स्तंभ का सर्वेक्षण राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त एजेंसी द्वारा डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम या, डीजीपीएस (इसकी वास्तविक स्थिति के लिए) का उपयोग कर किया जाना था। आगे, झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 में प्रावधान है कि सीमा स्तंभों पर भू-निर्देशांक दर्ज किए जाने चाहिए। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने पाया कि खनन योजना में सीमा स्तंभों पर उपलब्ध भू-निर्देशांक 47 मामलों में समुचित रूप से दर्ज नहीं किए गए थे, जैसा कि कंडिका-4.1.3.2 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

4.1.2 खनन योजना का अनियमित अनुमोदन

झा.स.ख.ल. नियमावली, 2004 के नियम 34D के अनुपालन में, राज्य सरकार ने अधिसूचना (27 सितंबर 2014) के माध्यम से निर्देश दिया कि संबंधित ज़िले के स.ख.प./जि.ख.प. को खनन योजना प्रस्तुत किया जाए, जो इसे सात दिनों के अन्दर अनुमोदित करेंगे। किसी भी तरह की संभावित विलंब या अस्वीकृत खनन योजना के संचय कि स्थिति में, इन खनन योजनाओं को उप-निदेशक, खान को प्रस्तुत किया जाना था, जो स्वयं या ज़िले में तैनात भूतत्व निदेशालय के किसी नामित अधिकारी द्वारा उनका अनुमोदन सुनिश्चित करेंगे। इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अनियमितताएँ पाईं।

नमूना-जाँच के लिए चयनित 74 पत्थर पट्टों के लिए 138 खनन योजनाओं⁴¹ में से 120 योजनाएँ⁴² लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए। विभागीय निर्देशों (अगस्त 2014) का उल्लंघन करते हुए, 120 योजनाओं में से 65 योजनाओं (54 प्रतिशत) को विभाग/अन्य ज़िलों में पदस्थापित गैर-नामित प्राधिकारियों, जो राज्य सरकार के 2014 के निर्देशों में निर्दिष्ट नामित प्राधिकारियों से भिन्न थे, द्वारा अनुमोदित किया गया। पुनः, झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34E के अनुसार खनन योजना संपूर्ण जाँच के बाद अनुमोदित किया जाना था, लेकिन नौ मामलों में इन्हें या तो उसी दिन⁴³ या प्रस्तुत करने के अगले ही दिन अनुमोदित कर दिया गया, जो संपूर्ण जाँच के अभाव को दर्शाता है।

योजनाओं के अनुमोदन हेतु आवश्यक शर्तों की पूर्ति से बचने के लिए, अनुमोदन प्राधिकारियों ने कुछ मानदंडों (जैसे छह महीने के भीतर डीजीपीएस प्रस्तुत करना,

⁴¹ पहले पाँच वर्ष के लिए 74 योजनाएँ तथा दूसरे पाँच वर्ष के लिए 64 योजनाएँ (क्योंकि इन मामलों में पहले पाँच वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी थी)।

⁴² पहले पाँच वर्ष के लिए 65 योजनाएँ तथा दूसरे पाँच वर्ष के लिए 55 योजनाएँ।

⁴³ खनन योजना के अनुमोदन हेतु शुल्क जमा करने की तिथि से गणना की गयी।

पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुपालन के समय भूजल अध्ययन का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करना आदि) के आधार पर खनन योजना को सशर्त अनुमोदन प्रदान किए। यह प्रचलन झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34E का उल्लंघन था, जिसमें यह प्रावधान है कि अनुमोदन केवल संपूर्ण जाँच के उपरांत ही दिया जाना चाहिए। इस प्रकार, विभाग ने संबंधित जिलों के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा खनन योजनाओं का अनुमोदन कराने में अपने ही निर्देशों को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया एवं वैधानिक प्रावधानों का भी पालन नहीं किया।

4.1.3 खनन योजना में अनियमितताएँ

लेखापरीक्षा ने विभाग द्वारा अनुमोदित खनन योजनाओं में अनियमितताओं के मामले भी देखे, जिनमें खनन योजनाओं में दी गई जानकारी खदानों की भौतिक स्थिति से मेल नहीं खाती थी। जाँच के दौरान पाए गए मामलों पर उत्तरवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गई है।

4.1.3.1 खनन योजना में अविश्वसनीय जानकारी

पट्टा क्षेत्र की सतह योजना खनन योजना अवधि की प्रारंभ में सतही स्थिति, सुरक्षा अवरोध और सीमा स्तंभों की रूपरेखा दर्शाती है। द्वितीय पाँच-वर्षीय योजना अवधि के लिए एक सर्वेक्षण किया जाता है और सर्वेक्षण के दौरान पट्टा क्षेत्र की वास्तविक स्थिति ही सतह योजना हो जाती है। यद्यपि छह जिलों में पत्थर खनन के लिए द्वितीय खनन योजना की सतह योजना में सीमा स्तंभ, 7.5 मीटर का सुरक्षा अवरोध और बैंच (प्रथम खनन योजना के दौरान निर्मित) दर्शाया गया था परंतु खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाया गया कि जाँच के लिए चयनित 63 पट्टों में से 55 में इन सबों का अभाव था, जैसा कि कंडिका-4.1.4.1 में वर्णित है, जो खनन योजना की आवश्यकताओं का अनुपालन नहीं होने को दर्शाता है, जैसा कि केस स्टडी-4.1 में दर्शाया गया है।

केस स्टडी-4.1


न्यू श्री स्टार मार्फिन्स (पट्टाधारी कोड-0623160603), पाकुड़

जिला खनन पदाधिकारी, पाकुड़ ने 2.34 हेक्टेयर क्षेत्र⁴⁴ पर एक पट्टाधारी को 10 वर्ष का पत्थर खनन पट्टा अक्टूबर 2019 में स्वीकृत किया। यह पट्टा, दिसंबर 2015 में अनुमोदित प्रथम पाँच-वर्षीय खनन योजना और नवंबर 2020 में अनुमोदित द्वितीय पाँच-वर्षीय योजना पर आधारित था। पट्टा अनुबंध के अनुसार, पट्टे की अवधि 20 मार्च 2020 से 19 मार्च 2030 तक थी।


⁴⁴ प्लॉट सं. 329 (आं.), 338 (आं.), 340, 341, 342, 343 (आ.), 344 (आं.) और 347 (आं.) मोजा कानुपुर, थाना पाकुड़, जिला पाकुड़।

लेखापरीक्षा अवलोकन निम्नवत है:

- अशुद्ध सतह योजना:** द्वितीय पाँच-वर्षीय योजना की सतह योजना में 0.29 हेक्टेयर उत्खनित भूमि और 2.05 हेक्टेयर अखंडित भूमि (चित्र-4.1) के रूप में दर्शाया गया था। अभिलेखों की जाँच से पता चला कि यह कोई नया पट्टा नहीं था, क्योंकि पूर्व में 2.34 हेक्टेयर में से 1.975 हेक्टेयर, 20 वर्षों की पट्टा अवधि (2 अप्रैल 1990 से 1 अप्रैल 2010) के लिए एक पूर्व पूर्व-पट्टेधारी को आवंटित किया गया था। पूर्व-पट्टेधारी दबारा 20 वर्षों के उसकी पट्टा अवधि के दौरान किए गए खनन गतिविधियों की सूचनाओं और इस पट्टे के स्वीकृति से पूर्व के उपग्रह चित्रों (09 मार्च 2019) से पता चला कि पट्टा क्षेत्र का 42.73 प्रतिशत पूर्व में ही उत्खनित हो चुका था (चित्र-4.3) जो आरक्यूपी/अनुमोदन-प्राधिकारी दबारा गहन जाँच की कमी को दर्शाता है।
- खनन योजना का अनुपालन नहीं किया जाना:** द्वितीय पाँच-वर्षीय योजना की वार्षिक विकास योजना (पाँचवें वर्ष) में निर्दिष्ट किया गया था कि अगले पाँच वर्षों में उत्खनित होने वाला कुल क्षेत्र 1.17 हेक्टेयर (मार्च 2025 तक) (चित्र-4.2) और मार्च 2025 तक, खनन गड्ढे की अधिकतम गहराई 15 मीटर होगी जिसमें तीन बैंच (प्रत्येक पाँच मीटर) की होनी थी।




चित्र-4.1: द्वितीय पाँच-वर्षीय खनन योजना के सतह योजना में अ-उत्खनित भूमि (पट्टा क्षेत्र का 87.61 प्रतिशत) प्रदर्शित




चित्र-4.2: द्वितीय पाँच-वर्षीय खनन योजना की विकास योजना (पाँचवें वर्ष) में प्रस्तावित उत्खनित क्षेत्र (1.17 हेक्टेयर) प्रदर्शित

अक्टूबर 2023 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान दल ने पाया कि पूरे पट्टा क्षेत्र (2.34 हेक्टेयर) में उत्खनन किया गया था और गड्ढे की गहराई 25.45 मीटर से 30.45 मीटर तक थी, जिसमें खड़ी ढलान (85° से 90° के बीच) थी और बैंच का निर्माण नहीं किया गया था (चित्र-4.4), जो खनन योजना की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जाना तथा संबंधित जि.ख.प. दबारा अनुश्रवण के कमी को दर्शाता है।

	
<p>चित्र-4.3: गूगल चित्र दिनांक 9 मार्च 2019, दर्शाता है कि पट्टा क्षेत्र के 42.73 प्रतिशत भाग में पट्टा स्वीकृति से पहले ही उत्खनन किया गया था (केएमएल फाइल)</p>	<p>चित्र-4.4: बिना किसी बंच के सीमा दीवार पर खड़ी ढलान, सुरक्षा अवरोध (प्रस्तावित 7.5 मीटर के स्थान पर 0-0.5 मीटर चौड़ाई), सुरक्षा अवरोध पर वृक्षारोपण नहीं पाया गया।</p>

इशराक जिया (लीज कोड- 0204599601), धनबाद

जि.ख.प., धनबाद ने 3.25 हेक्टेयर⁴⁵ क्षेत्र का पत्थर खनन पट्टा (10 वर्षों के लिए) प्रथम पाँच-वर्षीय खनन योजना, जिसे उप-निदेशक, राँची के द्वारा अनुमोदित (बिना तिथि के) किया गया था, के आधार पर स्वीकृत⁴⁶ किया गया (मार्च 2016)। पट्टे की स्वीकृति के उपरांत जुलाई 2016 में उप-निदेशक, राँची के द्वारा एक संशोधित खनन योजना को फिर से अनुमोदित किया गया। संशोधित अनुमोदित खनन योजना के सतह योजना के जाँच से पता चला कि तथ्यों को जानबूझकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया था। योजना में पट्टा क्षेत्र के सतह को अ-उत्खनित दर्शाया (चित्र-4.5) गया था जिसका अर्थ था कि खनन गतिविधियाँ पूर्व में नहीं की गई थी, लेकिन पट्टा क्षेत्र के 21 मार्च 2014 (पट्टा स्वीकृति से पूर्व) के उपग्रह चित्र (चित्र-4.6) में पट्टा क्षेत्र के अन्दर उत्खनित गड्ढा दिखाई दिए। इस उत्खनित खनन गड्ढे की मौजूदगी का कारण, पूर्व में यह क्षेत्र एक पूर्व-पट्टेधारी को आवंटित किया जाना था।

	
<p>चित्र-4.5: सतह योजना में बिना खुदाई वाला पट्टा क्षेत्र प्रदर्शित</p>	<p>चित्र-4.6: दिनांक 21 मार्च 2014 को पट्टा क्षेत्र का गूगल चित्र</p>

⁴⁵ पट्टा क्षेत्र के तहत प्लॉट सं. 11, 19, 20, 21, 1048 (आं.) पूर्व में मेसर्स जे.के.सी प्रोजेक्ट लिमिटेड को आवंटित किया गया था। पट्टे के पुनः आवंटन के लिए आवेदन राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से आमंत्रित किया गया था।

⁴⁶ प्लॉट सं. 11, 19, 1048 (आं.) मौजा- गोरगा, अंचल- निरसा, जिला- धनबाद।

केस स्टडी में शामिल किए गए दोनों मामलों में, सतही योजनाओं में अखंडित भूमि का चित्रण गलत था, जो यह दर्शाता है कि खनन योजना पट्टा क्षेत्र के समुचित सर्वेक्षण के बिना तैयार और अनुमोदित किया गया था। इसका गंभीर प्रभाव अनुवर्ती पर्यावरणीय स्वीकृति, खनन कार्य एवं अधिक्य उत्थनन की निगरानी पर पड़ा। त्रुटिपूर्ण योजनाओं के कारण वैज्ञानिक खनन पद्धितयों से विचलन हुआ, जिसमें बैंचों, सुरक्षा अवरोध, सौम्य ढलान और वृक्षारोपण का अभाव शामिल था। नियम 34(A)(2) के अनुसार, संबंधित जिले के उपायुक्त और जि.ख.प. पर खनन योजना का कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने का दायित्व निहित है, लेकिन वे इसकी शुद्धता और कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सके।

4.1.3.2 पट्टा क्षेत्र के भू-निर्देशांक दर्ज करने में कमी

प्रत्येक मोड़/कोनों के भू-निर्देशांकों को दर्ज करना पट्टे पर दिए गए क्षेत्र का उचित आकार और माप सुनिश्चित करता है। लेखापरीक्षा ने 63 संयुक्त रूप से भौतिक सत्यापित⁴⁷ खनन पट्टों में से 61 के भू-निर्देशांकों का उपयोग कर गूगल-अर्थ पर तैयार किये गये मानचित्रों से खसरा और सतही योजना मानचित्रों में उपलब्ध खनन पट्टों के आकार, क्षेत्र और स्थान की तुलना की। इन मानचित्रों की तुलना में 61 पट्टों में से 47 में पट्टा क्षेत्र के आकार, क्षेत्रफल तथा स्थान में भिन्नताएँ पाई गयी। पट्टा क्षेत्र, आकार और स्थान में विभिन्न मानचित्रों पर पायी गयी विसंगतियाँ खनन योजनाओं की तैयारी में उद्यम की कमी तथा खनन पट्टों/योजनाओं की जाँच और अनुमोदन की प्रक्रिया में त्रुटियों की ओर सकेत करती है। एक खनन पट्टा क्षेत्र (मेसर्स सुरुचि स्टोन वर्क्स, चतरा) का खसरा मानचित्र, सतह योजना और उपग्रह चित्र जो आकार, क्षेत्रफल एवं स्थान में भिन्नताएँ चित्र-4.7 में प्रदर्शित हैं।

चित्र-4.7: आकार, आकृति और खनन के स्थान में भिन्नता प्रदर्शित

खसरा मानचित्र (0.684 हेक्टेयर)	स.ख.प., चतरा द्वारा 25 जून 2015 को अनुमोदित प्रथम पाँच-वर्षीय खनन योजना का सतही योजना (पट्टा क्षेत्र 1.09 हेक्टेयर)	खनन योजना में उपलब्ध भू-निर्देशांक का उपयोग कर तैयार मानचित्र, पट्टा क्षेत्र- 0.48 हेक्टेयर (केएमएल फाइल)
मेसर्स सुरुचि स्टोन वर्क्स, मिश्रौल, पट्टाधारी कोड- 308337301, पट्टा क्षेत्र- 0.684 हेक्टेयर, 14 नवंबर 2015 को उपायुक्त, चतरा द्वारा स्वीकृत किया गया।		

⁴⁷ दो खनन योजना उपलब्ध नहीं कराए गए।

खनन पट्टा मानचित्रों में भिन्नताएँ कई कारकों के कारण थीं, जैसे (i) प्रत्येक मोड़ के भू-निर्देशांकों का न दर्ज होना, (ii) प्रत्येक सीमा स्तंभ के भू-निर्देशांकों का न दर्ज होना, और (iii) भू-निर्देशांकों का गलत दर्ज होना। लेखापरीक्षा ने पाया कि चतरा और पलामू जिलों में तीन पट्टों के मामलों में दर्ज भू-निर्देशांकों के आधार पर गूगल-अर्थ पर तैयार किए गए मानचित्रों में वास्तविक खदान स्थलों से आकाशीय दूरी की त्रुटियाँ 2.90 किमी तक थीं, इससे पट्टा क्षेत्र के संभावित उल्लंघन की स्थिति परिलक्षित होती है (जैसा कि आगे के कंडिकाओं में चर्चा की गई है)।

4.1.3.3 अतिच्छादित पट्टा क्षेत्र एवं इन पट्टों के आस-पास खनन संबंधित अविनियमित गतिविधियाँ

नमूना-जाँचित छह जिलों में से तीन⁴⁸ में, चार ऐसे मामले पाए गए जहाँ दो अलग-अलग पट्टों के पट्टा क्षेत्र एक-दूसरे से अतिच्छादित थे। अतिच्छादित क्षेत्र का विस्तार 0.30 से 1.14 हेक्टेयर तक था। उल्लेखनीय है कि इन दोनों पट्टों के लिए खनन योजना या तो एक ही आरक्यूपी/प्राधिकारी द्वारा तैयार/अनुमोदित किए गए थे (पलामू में पट्टों का एक सेट और चाईबासा में एक सेट) या एक ही प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित लेकिन अलग-अलग आरक्यूपी द्वारा तैयार किए गए थे (चाईबासा में पट्टों का एक सेट और साहिबगंज में एक सेट), जैसा कि केस स्टडी-4.2 और 4.3 में प्रदर्शित है।

केस स्टडी-4.2


जि.ख.प., पलामू ने दो पत्थर खनन पट्टे प्रदान किए: (i) मेसर्स मॉ स्टोन वर्क्स, दमदमी (जून 2015) 4.047 हेक्टेयर क्षेत्र पर 10 वर्षों के लिए, उप निदेशक, भूतत्व द्वारा अनुमोदित प्रथम पाँच-वर्षीय खनन योजना के आधार पर; (ii) मेसर्स दमदमी मोरम एंड स्टोन डिपॉजिट (दिसंबर 2016) 4.65 हेक्टेयर क्षेत्र में, उसी प्लॉट के भाग पर। दोनों पट्टों के लिए खनन योजना एक ही आरक्यूपी और प्राधिकारी द्वारा क्रमशः तैयार और अनुमोदित किए गये थे। लेखापरीक्षा ने दिसंबर 2022 में डीएमओ के साथ इन दोनों पट्टों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया और पाया कि:

- पट्टा क्षेत्रों का अतिच्छादन:** मेसर्स दमदमी मोरम एंड स्टोन डिपॉजिट में केवल एक स्तंभ को छोड़कर, दोनों संलग्न पट्टों के सीमा स्तंभ अनुपस्थित पाए गए। सीमा स्तंभों के अभाव में, लेखापरीक्षा ने इन पट्टों के खनन

⁴⁸ चाईबासा (1) ट्रस्टलाइन डीलर प्रा. लि., पट्टाधारी कोड- 0101335502 और सीटीएस इंडस्ट्रीज लि., पट्टाधारी कोड- 0101334704 अतिच्छादित क्षेत्र- 0.43 हेक्टेयर, (2) सीटीएस इंडस्ट्रीज लि., पट्टाधारी कोड- 0101334703 और ट्रस्टलाइन डीलर प्रा. लि., पट्टाधारी कोड- 0101335501 अतिच्छादित क्षेत्र- 0.30 हेक्टेयर), पलामू (1) मॉ स्टोन वर्क्स, पट्टाधारी कोड- 411172501 और दमदमी मोरम एंड स्टोन डिपॉजिट, पट्टाधारी कोड- 411722401 अतिच्छादित क्षेत्र- 1.14 हेक्टेयर) और साहिबगंज (1) मेसर्स क्वालिटी स्टोन प्रोडक्ट्स, पट्टाधारी कोड- 620396401 और मेसर्स श्री गुरु, पट्टाधारी कोड- 620420902 प्लॉट सं. 541 अतिच्छादित)।

योजना में दिए गए भू-निर्देशांकों से गूगल-अर्थ सॉफ्टवेयर पर उनके पट्टा क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए केएमएल फाइल तैयार किया और पाया कि मेसर्स मॉस्टोन वर्क्स और मेसर्स दमदमी मोरम एंड स्टोन डिपॉजिट के पट्टा क्षेत्रों के बीच 1.14 हेक्टेयर क्षेत्र अतिच्छादित थे। इस अतिच्छादन के कारण विवादों और अनावश्यक मुकदमों की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

- क्रशिंग इकाइयों का अनियमित संचालन:** खनन योजना और सीटीओ के अनुसार, मेसर्स मॉस्टोन वर्क्स को केवल स्टोन बोल्डर बेचने की अनुमति थी और स्टोन चिप्स बेचने की अनुमति नहीं थी, लेकिन गूगल-अर्थ प्रो पर उपलब्ध ऐतिहासिक चित्रों की जाँच में जनवरी 2018 और जनवरी 2019 में पट्टा क्षेत्र में क्रशरों के अनियमित संचालन परिलक्षित हुआ।
- गैर-खनन क्षेत्र में उत्खनन:** मेसर्स मॉस्टोन वर्क्स की पट्टा सीमा के बाहर 2.19 हेक्टेयर क्षेत्र पर उत्खनन पाया गया जो वन भूमि के 250 मीटर के अंदर स्थित थी, जिससे पता चला कि न केवल यह अवैध रूप से खनन किया गया था, बल्कि वन क्षेत्रों के समीप खनन गतिविधियों को प्रतिबंधित करने वाले प्रावधानों का भी पालन नहीं किया जा रहा था।




चित्र-4.8: पट्टा क्षेत्र दर्शाता हुआ - मॉस्टोन वर्क्स (पट्टा सीमा लाल रेखा) मेसर्स दमदमी मोरम एंड स्टोन डिपॉजिट (नीली रेखा में पट्टा सीमा) के साथ अतिच्छादित (1.14 हेक्टेयर); वन स्तंभ से खुदाई की गई भूमि (2.19 हेक्टेयर, मेसर्स मॉस्टोन वर्क्स की पूर्वी सीमा के बाहर) की दूरी 250 मीटर से कम थी, चित्र दिनांक 21 दिसंबर 2022।

चित्र-4.9: दिनांक 10 जनवरी 2018 का गूगल चित्र (ग्रीन लाइन में चिन्हित पट्टा क्षेत्र के अंदर क्रशर)

केस स्टडी-4.3


सितंबर 2008 में संपूर्ण प्लॉट संख्या 541 (12 प्लॉटों के साथ) का पट्टा मेसर्स क्वालिटी स्टोन प्रोडक्ट्स को हस्तांतरित किया गया था, जिसे तत्पश्चात अन्य 10 वर्षों (14 अक्टूबर 2022 तक) के लिए नवीकृत किया गया था। मौजूदा पट्टे की अवधि समाप्त नहीं होने के बावजूद, जि.ख.प., साहिबगंज ने दिसंबर 2018 में उसी प्लॉट के एक हिस्से (07 प्लॉटों सहित) पर मेसर्स श्री गुरु स्टोन वर्क्स को 10 वर्ष (पट्टा अवधि 25 जनवरी 2019 से 24 जनवरी 2029) के लिए को अनियमित रूप से पट्टा प्रदान किया। इस प्रकार, 25 जनवरी 2019 से 14 अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान, प्लॉट संख्या 541 के हिस्से पर पट्टे का हिस्सा मेसर्स क्वालिटी स्टोन प्रोडक्ट्स और मेसर्स श्री गुरु स्टोन वर्क्स के बीच अतिच्छादित हो गया। यह भविष्य में विवादों और विधिक जटिलताओं को उत्पन्न कर सकता है। सितंबर 2023 में संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि पूरे प्लॉट में खुदाई की गई थी, और दो पट्टों के बीच सीमांकन नहीं किया गया था।



मानक पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के अनुसार, भूजल स्तर से नीचे कार्य करने के लिए भूजल निदेशालय, झा.स. या केंद्रीय भूजल बोर्ड (के.भु.बो.), जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

नमूना जाँचित 61 पट्टों के खनन योजना की जाँच से पता चला कि इन 61 पट्टों के खनन योजनाओं में स्थायी जल स्तर निर्धारित करने के लिए के.भु.बो. से परामर्श किए बिना ही अनुमानित आधार (जैसे कि निकटतम कुओं, ट्यूबवेल, जल स्रोतों इत्यादि से स्तर का आकलन कर) पर जल स्तर प्रस्तावित किया गया था। इसके अलावा, 13 मामलों में जिन पट्टेधारकों ने भूजल स्तर से नीचे खनन गतिविधियाँ संचालित की थीं, वे खनन गतिविधियाँ जारी रखने से पहले के.भु.बो. से आवश्यक अनुमति प्राप्त करने में विफल रहे।

स्थायी जल स्तर की सटीक परिभाषा के अभाव में, लेखापरीक्षा ने के.भु.बो. और पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणिल, झा.स. के पास उपलब्ध डेटा प्राप्त किया। के.भु.बो. दो प्रकार के जलभूतों का डेटा संधारित करता है: (i) सीमित जलभूत⁴⁹ और (ii) असीमित जलभूत⁵⁰। संकल्पनात्मक योजनाओं⁵¹ में खनन गड्ढों की अनुशंसित गहराई/संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई गहराई और 2017 से 2024 तक के.भु.बो./पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणिल द्वारा प्रतिवेदित अधिकतम गहरे जल स्तर⁵² के बीच तुलना की गई।



चित्र-4.12: पत्थर खनन पट्टों का आरएल और निकटतम कुओं का जल स्तर (सीमित और असीमित)

⁴⁹ एक सीमित जलभूत ऊपर और नीचे मितजलभूत (अभेद्य भूवैज्ञानिक इकाई) से घिरा होता है।

⁵⁰ एक असीमित जलभूत, जिसे जल स्तर जलभूत के रूप में भी जाना जाता है, नीचे मितजलभूत (अभेद्य भूवैज्ञानिक इकाई) से घिरा होता है, लेकिन इसके ऊपर किसी भी सीमित परत द्वारा प्रतिबंधित नहीं होता है। इसकी ऊपरी सीमा जल स्तर होता है।

⁵¹ खदान के जीवनकाल के अंत में योजना और खंड दिखाता है। यह खनन योजना का हिस्सा होता है।

⁵² नमूना जाँचित खनन पट्टों से निकटतम कुओं।

अवलोकनों पर तालिका-4.1 में चर्चा की गई है।

तालिका-4.1: मौजूदा जल स्तर और खनन योजना में अनुशंसित/संयुक्त भौतिक सत्यापन में पाई गई खनन गहराई की तुलना प्रदर्शित

जिले का नाम	खनन पट्टे की संख्या/ब्लॉकों की संख्या	गड्ढे की अधिकतम गहराई (मीटर में)		2017-24 के दौरान के.भू.बो. द्वारा प्रतिवेदित अधिकतम जल स्तर (सतह से नीचे मीटर में)		2017-24 के दौरान पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणिल		जल स्तर की तुलना में अधिक गहराई (मीटर में)	
		खनन योजना (संकल्पनात्मक योजना)	संयुक्त भौतिक सत्यापन	असीमित जलभृत	सीमित जलभृत	द्वारा प्रतिवेदित अधिकतम जल स्तर (एमबीजीएल)	खनन योजना	संयुक्त भौतिक सत्यापन	
चतरा	3/2	30 से 52	39.90 से 70.10	3.3 से 11.2	6.9 से 7.45	18.15 से 18.48	11.52 से 33.85	21.42 से 51.95	
धनबाद	3/2	27 से 34	30 से 48	3.5 से 9	9.26	16.20 से 16.80	10.20 से 17.80	13.20 से 31.80	
पलामू	5/1	24 से 60	41 से 94	6.6 से 12.4	14.85	21.25	2.75 से 38.75	19.75 से 72.75	
पाकुड़	2/1	25 से 42	33 से 40.23	8.27 से 10.95	4.07 से 6.12	21.50	3.50 से 20.50	11.5 से 18.73	

स्रोत: के.भू.बो., पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणिल, खनन योजना, संयुक्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त सूचना

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि 61 नमूना जाँचित पट्टों में से 13 मामलों में, संबंधित खनन योजना में अनुशंसित और संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान देखी गई गहराई संबंधित ब्लॉक के जल स्तर⁵³ से अधिक थी, जिसकी चर्चा केस स्टडी-4.4 में की गई है।

केस स्टडी-4.4

जि.ख.प., पलामू ने दिसंबर 2011 में एक व्यक्ति को पलामू जिले के छत्तरपुर प्रखंड में दो समीपवर्ती पत्थर खनन पट्टे⁵⁴ प्रदान किए। उस व्यक्ति ने एक ही आरक्यूपी द्वारा तैयार और एक ही प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना

⁵³ संकल्पनात्मक योजना में अनुशंसित/संयुक्त भौतिक सत्यापन में देखी गई अधिकतम गड्ढे की गहराई की तुलना के.भू.बो./पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणिल द्वारा प्रतिवेदित की गई सबसे गहरे जल स्तर से की गई है।

⁵⁴ मेसर्स खरवाडीह (पट्टा क्षेत्र- 4.650 हेक्टेयर, पट्टा अवधि- 07.01.2012 से 06.01.2022, मौजा: खरवाडीह, प्रथम पाँच-वर्षीय खनन योजना 14.05.2015 को स्वीकृत और द्वितीय योजना 05.08.2020 को स्वीकृत), मेसर्स बगैया (पट्टा क्षेत्र- 4.046 हेक्टेयर, पट्टा अवधि- 08.01.2012 से 07.01.2022, मौजा: बगैया, प्रथम पाँच-वर्षीय खनन योजना 14.05.2015 को स्वीकृत, द्वितीय खनन योजना 03 अक्टूबर 2020 को स्वीकृत)।


के आधार पर 30 दिसंबर 2015 को दोनों पट्टों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली।

प्रथम एवं द्वितीय खनन योजना के अनुसार, संकल्पनात्मक योजनाओं में खनन गड्ढे की गहराई तथा दोनों पट्टों के लिए मानसून-पूर्व जल स्तर निर्दिष्ट किया गया था:

खनन पट्टे	योजना	खनन गड्ढे की गहराई (संकल्पनात्मक योजना) मीटर में	मानसून पूर्व जल स्तर (मीटर में)
खरवाड़ीह	प्रथम	66 (आरएल 242-176)	75 (आरएल 167)
	द्वितीय	42 (आरएल 242-200)	55-59 (आरएल 183-187)
बगैया	प्रथम	72 (आरएल 246-174)	75 (आरएल 171)
	द्वितीय	60 (आरएल 246-186)	76 (आरएल 170)

तालिका से स्पष्ट है कि खरवाड़ीह के लिए खनन गतिविधियों में 24 मीटर (66 से 42 मीटर) और बगैया के लिए 12 मीटर (72 से 60 मीटर) तक घटा दिया गया। खरवाड़ीह में यह कमी भूजल के साथ प्रतिच्छेदन से बचने के लिए की गई थी। हालांकि, इसके समीपवर्ती बगैया पट्टे में, 60 मीटर तक खनन की अनुमति दी गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि यह एक निकटवर्ती पट्टा था। उल्लेखनीय है कि, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमणिल ने 2017-2023 के दौरान छत्तरपुर ब्लॉक में अधिकतम जल स्तर भूतल (एमबीजीएल) से 21.25 मीटर नीचे प्रतिवेदित किया था।

इस प्रकार खनन योजनाओं में जल स्तर के अनुमानित आकलन के आधार पर, के.भू.बो. से आवश्यक अनुमति प्राप्त किए बिना, समीपवर्ती पट्टों में विभिन्न गहराई पर खनन की अनुमति दी गई।



चित्र-4.13: बगैया पत्थर खदान, आंशिक रूप से जल से भरी हुई, जल की गहराई-30 मीटर (संयुक्त भौतिक सत्यापन- नवंबर 2022)



चित्र-4.14: खरवाड़ीह खदान, जल से पूर्णतः भरी हुई (संयुक्त भौतिक सत्यापन- नवंबर 2022)


लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, 55 प्रतिशत (597 में से 327) निवासियों ने बताया कि खनन गतिविधियों के प्रमुख नकारात्मक प्रभावों में से एक जल स्तर में गिरावट है। इस प्रकार, जल स्तर के अनुमानित स्तरों के आधार पर खनन योजना की

स्वीकृति से पूर्व प्रासंगिक डेटा की तिर्यक जाँच करने में खान एवं भूतत्व विभाग की विफलता के कारण न केवल खनन प्रभावित क्षेत्र के जल स्तर में गिरावट आई, बल्कि यह सतत और वैज्ञानिक खनन के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजना के उद्देश्य के भी प्रतिकूल था।

4.1.3.5 खनन योजना में खनन योग्य भंडार का अनियमित लेखांकन

पथर के पट्टों के खनन योजनाओं में खनन योग्य भंडार और गैर-खनन योग्य संसाधनों की रूपरेखा दी गयी है। पट्टा क्षेत्र को वर्गीकृत किया गया है- (i) **खनन पिट क्षेत्र:** जिसमें उत्खनन के लिए खनन योग्य रिजर्व और बैंच⁵⁵ के रूप में गैर-खनन योग्य संसाधन शामिल हैं (ii) **सुरक्षा अवरोध:** पिट क्षेत्र के आसपास का 7.5 मीटर का क्षेत्र, जिसमें विशेष रूप से गैर-खनन योग्य संसाधन शामिल हैं जो खनन के लिए उपलब्ध नहीं हैं, जैसा कि चित्र-4.15 में दर्शाया गया है।

चित्र-4.15: एक खदान का चित्रात्मक वर्णन जिसमें सुरक्षा अवरोध और बैंचों के साथ खनन पिट दिखाया गया है



भौतिक रूप से सत्यापित 63 में से 61 पट्टों के खनन योजना की लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि खनन पिट क्षेत्र के अंदर, बैंचों के अस्तित्व पर विचार करते हुए, खनन गतिविधियों को 45° के कोण पर करने का प्रस्ताव था। यह भी देखा गया कि गैर-खनन योग्य संसाधनों के लिए समान परिस्थितियों के बावजूद, 25 मामलों में, खनन योग्य और गैर-खनन योग्य संसाधनों का अनुपात 88:12 से 51:49 तक था। आगे सुरक्षा अवरोध के क्षेत्र (जैसा कि भूमि उपयोग पैटर्न में उल्लिखित है) के आधार पर, लेखापरीक्षा ने गणना की⁵⁶ कि 25 मामलों में से 14 में गैर-खनन योग्य संसाधन (83.87 लाख टन) को सुरक्षा अवरोधों में अवरुद्ध होना चाहिए था। हालांकि देखा गया कि इन खदानों के खनन योजना में कुल अनुमोदित गैर-खनन

⁵⁵ समान ऊंचाई और चौड़ाई के आयाम (6 मीटर ऊंचाई और 6 मीटर चौड़ाई, 5 मीटर x 5 मीटर इत्यादि)।

⁵⁶ सुरक्षा अवरोध के क्षेत्र (भूमि उपयोग पैटर्न में उल्लिखित) को संसाधनों की गहराई (भूवैज्ञानिक योजना में उल्लिखित) से गुणा करके गणना की गयी है।

योग्य संसाधन 53.21 लाख टन दर्शाये गये थे, जो खनन योजना में गैर-खनन संसाधनों के 30.66 लाख टन के कम आकलन को दर्शाता है।

गैर-खनन योग्य संसाधन के कम दर्शाये जाने के कारण ₹ 34.96 करोड़⁵⁷ मूल्य के, खनन योग्य भंडार का अधिक लेखांकन हुआ जिससे ये प्रभाव हो सकते हैं: (i) पर्यावरणीय स्वीकृति में अनुचित खनन योग्य मात्रा की अनुमति (ii) गैर-सतत खनन प्रचलन को बढ़ावा (iii) सुरक्षा अवरोधों और बैचों की अनुपस्थिति से सुरक्षा उपायों पर नकारात्मक प्रभाव और (iv) वृक्षारोपण के लिए स्थान की कमी के कारण प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव।

उल्लिखित 14 मामलों में से एक मामले में खनन गड्ढा क्षेत्र के अंदर गैर-खनन योग्य संसाधनों के विरुद्ध खनन योग्य भंडार के इस अनियमित लेखांकन का केस स्टडी-4.5 में विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

केस स्टडी-4.5

लुत्फुल हक (पट्टाधारी कोड- 623955701), पाकुड़

खनन योजना के अनुसार, खदान का कुल खनन योग्य भंडार 30,07,368 टन था, जिसमें से 24,74,928 टन (9,16,640 घन मीटर के बराबर) 10 वर्ष की पट्टा अवधि के दौरान उत्खनन के लिए उपलब्ध था। शेष मात्रा दो वर्ष की अगली अवधि के लिए सुरक्षित रखी गयी थी। इसके अलावा, कुल 5.46 हेक्टेयर में से 4.02 हेक्टेयर क्षेत्र को खुदाई के लिए निर्दिष्ट किया गया था, जिसकी गहराई दो से 20 मीटर के बीच प्रस्तावित थी, ताकि पाश्वर दीवारों की 45° सौम्य ढलान बनाए रखी जा सके।

खनन योजना में 10 वर्ष की पट्टा अवधि के लिए 9,16,640 घन मीटर (खनन योजना में उल्लिखित मात्रा के अनुसार) खनन योग्य भंडार दर्शाया गया। अगर 20 मीटर की एक समान गहराई के साथ 90° ढलान पर भी खुदाई की गई हो, खनन योग्य भंडार का अतिआकलन निम्नवत दर्शायी गयी है:

- उत्खनन क्षेत्र: 4.02 हेक्टेयर = 40,200 वर्ग मीटर
- एकसमान गहराई: 20 मीटर
- 45° ढलान बनाए रखने की शर्त का पालन किए बिना अधिकतम संभावित खनन योग्य भंडार: $40,200 \text{ वर्ग मीटर} \times 20 \text{ मीटर} = 8,04,000 \text{ घन मीटर}$

इसकी तुलना स्वीकृत खनन योग्य भंडार 9,16,640 घन मीटर से करने पर यह स्पष्ट है कि खनन योग्य भंडार में कम से कम 1,12,640 घन मीटर (9,16,640 - 8,04,000) का अतिआकलन थी। इससे पता चलता है कि अपनाई गई आकलन प्रक्रिया अविश्वसनीय थी।

⁵⁷ 11.17 लाख घन मीटर (30.66 लाख टन/थोक घनत्व) x पत्थर की दर ₹ 313 प्रति घ.मी।

4.1.3.6 नमूना और परीक्षण के बिना उपयोग हेतु अनुशंसा

ग्रेनाइट संसाधनों के संरक्षण और विकास के लिए ग्रेनाइट संरक्षण और विकास नियमावली, 1999 पेश लागू गए थे। मुख्य प्रावधानों में शामिल हैं: (i) नियम 3(h): ग्रेनाइट को आयामी पत्थर के रूप में प्राप्त करने योग्य, पॉलिश किये जाने योग्य और व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य चट्टानों के रूप में परिभाषित करता है (ii) नियम 22: छोटे ब्लॉकों के उपयोग ईंटों, फर्श, टाइलों आदि के निर्माण के लिए और छोटे टुकड़ों को पत्थर के समुच्चय और खदान पुनर्भरण के रूप में उपयोग को बढ़ावा देता है (iii) नियम 43: खदान मालिकों को बोरहोल रिकॉर्ड संधारित रखने और बिना अनुमति उनके विनाश पर रोक लगाने का प्रावधान करता है।

जाँचे गए 63 पत्थर पट्टों में से 61 पट्टों के खनन योजना से प्रतिवेदित है कि पट्टे वाले क्षेत्रों में ग्रेनाइट का रॉक द्रव्यमान शामिल हैं। हालांकि, सभी मामलों में, खनन योजना ने समुचित नमूना जाँच और कोई परीक्षण किए बिना, जिससे पता लगाया जा सके कि ये आयामी पत्थर के लिए उपयुक्त हैं, पॉलिश किये जाने योग्य हैं और वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य हैं, ग्रेनाइट को चिप्स/बोल्डर के रूप में उपयोग करने की समान रूप से अनुशंसा की। इस प्रकार, राज्य सरकार ने उच्च मूल्य वाले उत्पादों के वाणिज्यिक दोहन की संभावना की उपेक्षा की, जिससे उच्च राजस्व प्राप्ति की जा सकती थी।

4.1.3.7 पर्यावरण प्रबंधन योजना में आधारभूत डेटा का गैर-समावेश

भारतीय खान व्यूरो द्वारा प्रसारित मॉडल लघु एमसीडीआर, 2010 में दिए गए खनन योजना प्रारूप के अनुसार, खनन योजना में पर्यावरण प्रबंधन योजना के अध्याय में पट्टा क्षेत्र का आधारभूत डेटा (वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण स्तर) होना चाहिए, जो भविष्य में खनन कार्यों के कारण पर्यावरणीय गिरावट के मूल्यांकन के लिए संदर्भ बिंदु का कार्य करेगा।

नमूना जाँचित 61 पट्टों के खनन योजना में पर्यावरण प्रबंधन योजना पर अध्याय की जाँच से पता चला कि पट्टा क्षेत्र के आसपास वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के स्तर के माप के लिए ऑन-साइट माध्यम से कोई डेटा दर्ज नहीं किया गया था, केवल संबंधित जिले में विभिन्न स्थानों पर के.भू.बो. द्वारा पूर्व-दर्ज किए गए जल गुणवत्ता डेटा अभिलेखित था। इससे संकेत मिलता है कि वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण के लिए कोई ऑन-साइट माप नहीं लिया गया था। अगर इन डेटा बिंदुओं को एकत्र और अभिलेखित किया गया होता, तो इनका उपयोग खनन संचालन के कारण पर्यावरण में गिरावट के मूल्यांकन के लिए आधारभूत डेटा के रूप में किया जा सकता था।

इस प्रकार, प्रासंगिक डेटा के बिना खनन योजनाओं में पर्यावरण प्रबंधन योजना को शामिल करने के परिणामस्वरूप पर्यावरण पर खनन परिचालन के प्रभाव का प्रभावी मूल्यांकन करने के लिए आधार का अभाव हो गया।

4.1.4 प्रगामी खान समापन योजना का क्रियान्वयन

लघु एमसीडीआर, 2010 के नियम 17 के अनुसार, प्रत्येक खदान के लिए एक खान समापन योजना होगी जो दो प्रकार की है:

- किसी खदान या उसके किसी भाग में सुरक्षात्मक, पुनरुद्धार और पुनर्वास उपाय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रगामी खान समापन योजना, और
- खनन और खनिज प्रसंस्करण परिचालन बंद होने के बाद किसी खदान या उसके किसी भाग को बंद करने, पुनरुद्धार और पुनर्वास के उद्देश्य से अंतिम खान समापन योजना।



प्रगामी खान समापन
योजना

प्रगामी खान समापन योजना में अनिवार्य रूप से खनन योजना का व्यवस्थित कार्यान्वयन शामिल होता है। पट्टे के क्षेत्र को सीमा स्तंभों और बाड़ों के माध्यम से उचित रूप से सीमांकित किया जाना चाहिए, खनन गड्ढे क्षेत्र के भीतर खुदाई सीमित होनी चाहिए, वृक्षारोपण के उद्देश्यों के लिए खनन गड्ढे क्षेत्र के चारों ओर सौम्य ढलान और सुरक्षा अवरोधों के साथ बैंच होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना जाँचित 63 पत्थर पट्टों में से 61 में (दो मामलों में खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया), खनन योजना के साथ प्रगामी खान समापन योजनाएँ प्रस्तुत की गई थीं, लेकिन उनका अनुपालन नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने 63 चयनित पत्थर पट्टों⁵⁸ में विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया, और कार्यरत और बंद पत्थर खनन पट्टों दोनों में, खनन योजना में उल्लिखित प्रावधानों से कई विचलन पाए, जैसा कि नीचे चर्चा की गई है।

4.1.4.1 अनुमेय सीमा से अधिक खनन

भारतीय खान ब्यूरो ने अप्रैल 2010 में एक परिपत्र (सं. 02/2010) जारी किया था, जिसमें पट्टेधारी द्वारा खनन पट्टे के सीमा स्तंभों के लिए भू-संदर्भित कैडेस्ट्रल नक्शा और डीजीपीएस सर्वेक्षण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। जिस के पास इस डेटा का उपयोग करने और खनन पट्टों के सीमा स्तंभों के भू-निर्देशांकों का उपयोग करके गूगल-अर्थ में मानचित्र बनाने की सुविधाएँ हैं। लेखापरीक्षा ने पाया कि 63 नमूना-जाँचित पत्थर पट्टों में से 61 (दो पट्टों में खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया) मामलों में, खनन योजनाओं में खनन योग्य भंडार, गैर-खनन योग्य संसाधन और 45° के कोण पर प्रस्तावित खनन गतिविधियाँ सम्मिलित थीं, जिसमें बराबर आकार के बैंचों का प्रावधान था।


इसके अतिरिक्त, विभाग ने (जुलाई 1986 में) क्षेत्रीय कार्यालयों को निर्देश दिया कि वे पट्टों का वार्षिक अनुभागीय मापी (कम से कम 20 प्रतिशत) करें ताकि

⁵⁸ 54 नए पट्टे (जहां पहले कोई खनन गतिविधि नहीं की गई थी) और नौ नवीकृत पट्टे, 63 पट्टों में से 51 कार्यरत और 12 समाप्त पट्टे।

खनियों के प्रेषण के विरुद्ध उत्खनन की गई वास्तविक मात्रा का पता लगाया जा सके। जि.ख.प. को इन मापों में से 10 प्रतिशत का सत्यापन कर उनकी शुद्धता सुनिश्चित करना आवश्यक था।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि 63 पट्टों⁵⁹ में से 55 पट्टों में खदान की पार्श्व दीवारें लगभग 65° से 90° तक की तीव्र ढलान वाली थीं, जो कि खनन योजना में अनुशंसित 45° सौम्य ढलान से विचलन था। खनन योजना में अनुशंसित गहराई को सत्यापित करने के लिए, दल ने जमीन की सतह से गड्ढे के अंतिम स्तर तक पत्थर के भार के साथ रस्सी डाल कर गहराई को मापा। 55 पत्थर पट्टों के लिए खनन गतिविधियों (खनन योजना में निर्धारित) और संयुक्त भौतिक सत्यापन अवलोकनों की तुलना चार्ट-4.3 में दर्शायी गई है।

चार्ट-4.3



चित्रात्मक चार्ट दो प्रमुख तथ्यों को उजागर करता है:

- क. पट्टाधारियों ने आवश्यक बैंच और सुरक्षा अवरोध बनाए बिना पत्थर का उत्खनन किया, पार्श्व दीवार के ढलान को 45° से बढ़ाकर $65-90^\circ$ कर दिया और गैर-खनन योग्य संसाधनों पर क्षैतिज अतिक्रमण किया, जो खनन योजना की शर्तों का उल्लंघन है।
- ख. पट्टाधारियों ने अनुमेय गहराई से भी अधिक खुदाई की, गैर-खनन योग्य संसाधनों पर लंबवत् अतिक्रमण किया, तथा गड्ढों की गहराई अनुमेय सीमा से 2.5 से 50 मीटर (अर्थात् 11 से 494 प्रतिशत) अधिक थी।

पट्टा क्षेत्र के अंदर और बाहर खुदाई (क्षैतिज उल्लंघन) की तुलना करने के लिए, पट्टे के प्रत्येक सीमा स्तंभ के भू-निर्देशांक आवश्यक थे। लेखापरीक्षा ने पाया कि

⁵⁹ 55 मामले: कोई बैंच नहीं, एक मामला: खनन कार्य नहीं किया गया, पाँच मामले: एक बैंच और दो मामले: 2 से 3 बैंच।

आईबीएम के निर्देशों और जिम्स में भू-निर्देशांकों को दर्ज की अंतर्निहित सुविधा होने के बावजूद, सीमा स्तंभों के पर्याप्त और सही भू-निर्देशांक दर्ज नहीं किए गए थे।

इसके अलावा, सीआ से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को गूगल-अर्थ पर पट्टा मानचित्र बनाने के लिए केएमएल फाइलें⁶⁰ प्रस्तुत करनी थीं। हालाँकि, पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की गई ये केएमएल फाइलें परिवेश पोर्टल⁶¹ पर उपलब्ध नहीं थीं। अगर ये फ़ाइलें लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई जाती, तो वे गूगल-अर्थ पर मानचित्र तैयार में मददगार साबित हो सकती थीं।

नमूना जाँचित मामलों में पट्टेधारियों ने न तो खनन पट्टों के भू-संदर्भित मानचित्र प्रस्तुत किए, न ही उन्होंने भू-संदर्भित कैडेस्ट्रल मानचित्र पर उनका अध्यारोपण सुनिश्चित किया। परिणामस्वरूप, 61 नमूना जाँचित पत्थर पट्टों में जि.ख.प. के पास आवश्यक अध्यारोपित आउटपुट (शेष फ़ाइल की सॉफ्ट कॉपी और उसकी हार्ड कॉपी) उपलब्ध नहीं थी।

जि.ख.प. के पास शेष फ़ाइल, परिवेश पोर्टल में केएमएल फाइल और जिम्स में 63 पत्थर पट्टों से संबंधित प्रत्येक सीमा स्तंभ के भू-निर्देशांक के अभाव में, लेखापरीक्षा ने इन पट्टों के खनन योजनाओं से भू-निर्देशांक प्राप्त किए। अतः लेखापरीक्षा ने खनन योजना में सीमा स्तंभों के उपलब्ध भू-निर्देशांकों से कॉमा सेपरेटेड वैल्यू (सीएसवी) फ़ाइलें तैयार करके गूगल-अर्थ पर मानचित्र तैयार किया। केएमएल प्रारूप में मानचित्र तैयार करने के लिए इन सीएसवी फ़ाइलों को गूगल-अर्थ में आयात किया गया। हालांकि, 47 पट्टों में खनन योजना में गलत भू-निर्देशांक दर्ज किए गए थे और दो पट्टों के संबंध में खनन योजना उपलब्ध नहीं कराए गए थे। भू-निर्देशांक में सुधार के लिए लेखापरीक्षा के अनुरोध पर, जि.ख.प. ने केवल आठ पट्टों के संबंध में सटीक भू-निर्देशांक उपलब्ध कराए। लेखापरीक्षा ने पाँच जिलों (धनबाद को छोड़कर) के 22 पट्टों के लिए सफलतापूर्वक मिलान मानचित्र तैयार किए और 14 पट्टों⁶² में क्षेत्रिज उल्लंघन (15.44 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र के बाहर) पाया। ऐसी दो गूगल चित्र, चित्र-4.16 और 4.17 में दर्शायी गई हैं।

⁶⁰ केएमएल फ़ाइल एक प्रारूप है जिसका उपयोग गूगल-अर्थ जैसे अर्थ-ब्राउज़र में भौगोलिक डेटा प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।



⁶¹ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने (अगस्त 2018) परिवेश पोर्टल शुरू किया, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एकल खिड़की पोर्टल है।

⁶² चतरा - (i) श्री अजय कुमार (पट्टाधारी कोड-101333001, पट्टा क्षेत्र के बाहर 0.14 हेक्टेयर), पलामू- (ii) श्री अनूप कुमार सिंह (पट्टाधारी कोड- 411510801, पट्टा क्षेत्र के बाहर 0.55 हेक्टेयर), (iii) मेसर्स महादेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड (पट्टाधारी कोड- 411510701, पट्टा क्षेत्र के बाहर 1.50 हेक्टेयर),

साहिबगंज- (iv) मेसर्स श्री राम स्टोन प्रोडक्ट (पट्टाधारी कोड- 620053304, पट्टा क्षेत्र के बाहर 1.64 हेक्टेयर), (v) मेसर्स क्वालिटी स्टोन प्रोडक्ट (पट्टाधारी कोड-620396401, पट्टा क्षेत्र के बाहर-0.21 हेक्टेयर) और तालिका- 4.2 में उल्लिखित नों पट्टे।



केएमएल फाइल

 Imagery Date: 12/13/2022 24°22'24.38"N 84°15'36.70"E elev. 270 m eye alt. 892 m Google Earth	 Imagery Date: 6/6/2021 25°14'08.13"N 87°31'26.99"E elev. 193 m eye alt. 529 m Google Earth
<p>मेसर्स महादेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पट्टाधारी कोड- 411510701, पलामू।</p> <p>चित्र-4.16: गूगल छवि (13 दिसंबर 2022) जिसमें पट्टा क्षेत्र (केएमएल क्षेत्र 4.65 हेक्टेयर) हरे रंग में रेखांकित है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्थनन क्षेत्र पीले रंग में छायांकित है (2.52 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (1.50 हेक्टेयर) प्रदर्शित</p>	<p>श्री राम स्टोन प्रोडक्ट, पट्टाधारी कोड- 620053304, साहिबगंज।</p> <p>चित्र-4.17: गूगल छवि (6 जून 2021) जिसमें पट्टा क्षेत्र (केएमएल क्षेत्र 2.43 हेक्टेयर) हरे रंग में रेखांकित है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्थनन क्षेत्र पीले रंग में छायांकित है (0.80 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (1.64 हेक्टेयर) प्रदर्शित</p>

लेखापरीक्षा को निष्कर्षण मात्रा का अनुमान लगाने में बाधाओं⁶³ का सामना करना पड़ा और तदनुसार विशिष्ट मानदंडों⁶⁴ का उपयोग करके 63 पत्थर खनन पट्टों में से 13 का चयन⁶⁵ किया। लेखापरीक्षा ने गूगल-अर्थ में उत्थनन क्षेत्रों को मापकर और संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान पाई गई गहराई से गुणा करके, ढलानों (70-90° कोण⁶⁶) और ढुलाई सङ्केतों में अवरोधित मात्रा को समायोजित कर निष्कर्षण मात्रा का अनुमान लगाया (परिशिष्ट-4.1, 4.2 और 4.3)।

⁶³ पहाड़ियों और दुर्गम भूभाग की त्रि-आयामी चित्र की अनुपलब्धता, नवीकरण मामलों में पिछले पट्टों के उत्पादन डेटा की अनुपलब्धता, अतिच्छादित पट्टे आदि।

⁶⁴ संयुक्त भौतिक सत्यापित पट्टे (गहराई मापी गई), नए (अखंडित पट्टे अर्थात्, जहां पहली बार उत्थनन शुरू हुई)। नवीकृत पट्टों के मामले में, यदि नवीकरण डेटा शुरू से उपलब्ध है, ऐतिहासिक गूगल चित्र की उपलब्धता, कोई समीपवर्ती पट्टे नहीं हैं (समीपवर्ती पट्टों के मामले में समीपवर्ती पट्टों का डेटा उपलब्ध है)।

⁶⁵ नौ पत्थर पट्टे जहां खनन पट्टे की केएमएल फाइल का आकार और आकृति खसरा मानचित्र से मेल खाता था और चार पत्थर पट्टे जहां खनन पट्टे के केएमएल फाइल का आकार और आकृति मेल नहीं खाता था।

⁶⁶ विभाग के अधिकारियों ने निष्कर्षण के कोण को 90° मानकर अनुभागीय माप पद्धति के माध्यम से पाकुड़ के चयनित पट्टों में निष्कर्षण की मात्रा का अनुमान लगाया।

विशेषज्ञ की सहायता से अतिरिक्त उत्खनन का आयतनात्मक आकलन

लेखापरीक्षा ने बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान⁶⁷ (बीआईटी), सिंदरी को परामर्शदाता नियुक्त किया तथा इन 13 पत्थर खदानों में उत्खनित खनिजों की मात्रा की गणना के लिए बीआईटी, सिंदरी की तकनीकी राय प्राप्त करने के लिए कार्य आदेश (05 अप्रैल 2024 और 14 अगस्त 2024) जारी किया, जिसमें लेखापरीक्षा के पास उपलब्ध अपेक्षित जानकारी (केएमएल फाइलें, गहराई, कोण, गड्ढे का क्षेत्र, खनन योजना आदि) उपलब्ध कराई गई। बीआईटी, सिंदरी ने तकनीकी राय प्रदान करने के लिए निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया:

- खदान की सीमाओं को डिजिटलीकरण हेतु दृश्य स्थानिक संदर्भ प्रदान करने के लिए प्रत्येक खदान स्थल की उच्च रिज़ॉल्यूशन वाली उपग्रह चित्र प्राप्त की गई
- केएमएल फाइलों की तैयारी/सत्यापन और खदान की सीमाओं का डिजिटलीकरण
- ऑटोकैड सिविल 3डी सॉफ्टवेयर में उपग्रह चित्र और केएमएल फाइलों का आयात
- प्रत्येक खदान के गड्ढे का त्रिआयामी सतही मॉडल⁶⁸ तैयार करना
- कट और फिल पद्धति⁶⁹ का उपयोग करके आयतन की गणना

यह तकनीक हठाई गई सामग्री (कट) और उत्पन्न रिक्त स्थान (फिल) के बीच अंतर करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे प्रत्येक खदान स्थल के लिए सटीक कुल उत्खनन मात्रा प्राप्त होती है।

परामर्शदाता ने उत्खनित खनिजों पर अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया (02 मई 2024 और 07 अक्टूबर 2024)।

इन 13 पट्टों में लेखापरीक्षा और बीआईटी, सिंदरी द्वारा अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन पर आधारित अवलोकन निम्नानुसार हैं:

क. नौ पट्टों पर अवलोकन, जहाँ आकार और माप खसरा मानचित्र से मेल खाते थे नौ खनन पट्टों में अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन, जहाँ केएमएल फाइल खसरा मानचित्र से मेल खाती थी, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई थी, तालिका-4.2 में दर्शाया गया है।

⁶⁷ झारखण्ड सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत धनबाद में एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज (1949 में स्थापित)।

⁶⁸ खदान की वर्तमान स्थिताकृति को दर्शाता है, जिसमें ऊंचाई संबंधी डेटा, गड्ढे की गहराई और सतही रूपरेखा शामिल है।

⁶⁹ कट आयतन: खदान के गड्ढे से उत्खनित सामग्री की मात्रा को दर्शाता है। फिल आयतन: खुदाई प्रक्रिया के दौरान बनाए गए किसी भी रिक्त स्थान या गड्ढे को दर्शाता है।

तालिका-4.2: लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई नौ खनन पट्टों (जहाँ केएमएल फ़ाइल खसरा मानचित्र से मेल खाती थी) में अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन

क्र. सं.	पट्टे का नाम/जिला/पट्टाधारी कोड/पट्टा अवधि	पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर में)	अनुमानित उत्खनन क्षेत्र ⁷⁰ (हेक्टेयर में)		अनुमानित उत्खनन मात्रा (लाख घन मीटर में)		प्रतिवेदित उत्पादन ⁷¹ (लाख घन मीटर में)		अनुमानित अतिरिक्त उत्पादन (लाख घन मीटर में)		कुल अतिरिक्त उत्पादन (लाख घन मीटर में)	
			अंदर बाहर		पट्टा क्षेत्र		पट्टा क्षेत्र		पट्टा क्षेत्र		कुल क्षेत्र	
			अंदर	बाहर	अंदर	बाहर	अंदर	बाहर	अंदर	बाहर	(अंदर+बाहर)	
1	मेसर्स जयशंकर स्टोन वर्क्स, चतरा, 308336601, 14.7.14 से 13.7.24	0.713	0.71	2.98	2.71	10.61	0.80	0.00	1.91	10.61	12.52	
2	मेसर्स चटनिया माइंस, चतरा, 308156501, 24.10.19 से 23.10.29	2.83	0.65	0.78	1.92	2.15	1.92	0.19	0.00	1.96	1.96	
3	मेसर्स जय शिव कंस्ट्रक्शन, चतरा, 308336901, 12.2.15 से 11.2.25	1.03	0.86	1.10	4.41	5.82	1.44	0.00	2.97	5.82	8.79	
4	मेसर्स ट्रस्टलाइन माइनिंग एंड मिनरल्स, चाईबासा, 101597101, 18.1.16 से 17.1.26	18.93	4.22	1.09	18.15	4.10	14.30	0.00	3.85	4.10	7.95	
5	मेसर्स राज कुमार खुराना, पलामू, 411354101, 17.8.13 से 16.8.23	4.05	2.23	0.95	13.42	5.80	13.42	0.02	0.00	5.78	5.78	
6	मेसर्स श्याम स्टोन माइंस, पलामू, 411355001, 23.7.15 से 22.7.25	4.856	3.51	3.30	14.27	6.72	10.74	0.00	7.55	10.74	20.52	
7	मेसर्स सोना स्टोन चिप्स, पलामू, 411354301 12.12.13 से 11.12.23	0.96	0.84		2.84	0.61			2.23			
8	मेसर्स बगैया स्टोन माइन, पलामू, 411353903, 08.1.12 से 07.1.22	4.046	3.61	0.33	25.88	0.30	11.94	0.00	13.94	0.30	14.24	
9	मेसर्स न्यू थ्री स्टार माइंस, पाकुड़, 623160603, 20.3.20 से 19.3.30	2.34	1.95	0.87	3.36	1.48	1.52	0.00	1.84	1.48	3.32	
	कुल	39.755	18.58	11.40	86.96	41.00	52.67	0.21	34.29	40.79	75.08	

तालिका-4.2 से स्पष्ट है कि लेखापरीक्षा द्वारा नौ पट्टों में कुल 75.08 लाख घन मीटर अतिरिक्त उत्खनन का अनुमान लगाया गया था। लेखापरीक्षा अवलोकनों की पुष्टि करते हुए, बीआईटी सिंदरी ने 76.54 लाख घन मीटर अतिरिक्त उत्खनन

⁷⁰ क्षेत्र मापने के लिए उपग्रह चित्र (फरवरी 2021 से नवम्बर 2022) पर विचार किया गया।

⁷¹ विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4.1 और 4.2 में दिया गया है।

का अनुमान लगाया। इस प्रकार, चार जिलों के इन पट्टों में अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन में (लेखापरीक्षा और बीआईटी, सिंदरी के बीच) कुल अंतर केवल 1.46 लाख घन मीटर (1.94 प्रतिशत) था।

- नौ पट्टों में पट्टा क्षेत्र के अंदर:** लेखापरीक्षा ने 86.96 लाख घन मीटर पत्थर उत्खनन का अनुमान लगाया, जबकि पट्टाधारकों ने जनवरी 2012 से सितंबर 2023 तक की अवधि के लिए 52.67 लाख घन मीटर पत्थर उत्खनन प्रतिवेदित किया। इस प्रकार, पट्टाधारकों द्वारा 34.29 लाख घन मीटर पत्थर निष्कर्षण कम प्रतिवेदित किया गया, जिसका मूल्य ₹ 107.33 करोड़⁷² था।
- नौ पट्टों में पट्टा क्षेत्र के बाहर:** लेखापरीक्षा ने 41.00 लाख घन मीटर पत्थर उत्खनन का अनुमान लगाया जबकि पट्टाधारकों ने 0.21 लाख घन मीटर प्रतिवेदित किया था⁷³, परिणामस्वरूप जनवरी 2012 से सितंबर 2023 तक की अवधि के लिए पट्टाधारकों द्वारा 40.79 लाख घन मीटर पत्थर कम प्रतिवेदित किया गया, जिसका मूल्य ₹ 127.67 करोड़⁷⁴ था।

केस स्टडी-4.6 में पाँच मामलों को दर्शाया गया है।

केस स्टडी-4.6

1. मेसर्स जय शंकर स्टोन वर्क्स, चतरा

मेसर्स जय शंकर स्टोन वर्क्स, चतरा को चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के मौजा दलकोमा में 0.713 हेक्टेयर भूमि पर 10 वर्ष (14.07.2014 से 13.07.2024) की अवधि के लिए पट्टा प्रदान (जून 2014) किया गया था। संयुक्त भौतिक सत्यापन (23 मई 2023 को) के दौरान, दल ने पाया कि पट्टेधारी ने 39.60 मीटर गहराई तक लंबवत खुदाई करके अनुमेय सीमा को पार कर लिया था, जो खनन योजना में स्वीकृत 15 मीटर अनुमेय सीमा से अधिक था। लेखापरीक्षा ने खनन योजना में सीमा स्तंभों के उपलब्ध भू-निर्देशांकों से गूगल-अर्थ पर पट्टा क्षेत्र की केएमएल फाइल तैयार की और पट्टा क्षेत्र के अंदर 0.71 हेक्टेयर और बाहर 2.98 हेक्टेयर खुदाई पाई। लेखापरीक्षा ने ढलान और ढुलाई सड़क के अंदर अवरोधित आयतन को घटाने के बाद उत्खनन की मात्रा का अनुमान लगाया (फरवरी 2022)। इसके आधार पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष इस प्रकार थे:

- कुल उत्खनन:** 13.32 लाख घन मीटर (2.71 लाख घन मीटर अंदर और 10.61 लाख घन मीटर पट्टा क्षेत्र के बाहर)।
- प्रतिवेदित उत्खनन:** इस अवधि के दौरान 0.80 लाख घन मीटर।

⁷² 34.29 लाख घन मीटर x ₹ 313 प्रति घन मीटर = ₹ 107.33 करोड़।

⁷³ लेखापरीक्षा ने पट्टा क्षेत्र के बाहर उत्पादित मात्रा की गणना पट्टाधारक द्वारा प्रतिवेदित उत्पादन की मात्रा को पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्खनन मात्रा (लेखापरीक्षा द्वारा गणना) के साथ समायोजित करने के बाद की।

⁷⁴ 40.79 लाख घन मीटर x ₹ 313 प्रति घन मीटर = ₹ 127.67 करोड़।

- कम प्रतिवेदन: 12.52 लाख घन मीटर (1.91 लाख घन मीटर अंदर और 10.61 लाख घन मीटर बाहर)।



चित्र-4.18: प्रदर्शित गूगल चित्र (17 फरवरी 2022) जिसमें पट्टा क्षेत्र (केएमएल क्षेत्र 0.713 हेक्टेयर) हरे रंग में रेखांकित है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्थनन क्षेत्र पीले रंग में छायांकित है (0.71 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (2.98 हेक्टेयर)


लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि अधिक उत्थनन का पता लगने से बचने के लिए, पट्टेधारी ने उत्थनित खदानों को भरना शुरू कर दिया, जैसा कि निम्न उपग्रह चित्रों में दर्शाया गया है।



चित्र-4.19: 28.12.2018 का गूगल चित्र, रिक्त भाग (लाल से रेखांकित) दर्शाया गया है


चित्र-4.20: 17.02.2022 का गूगल चित्र (उत्थनित भाग जो भरा हुआ है लाल रेखांकन से दर्शाया गया है)

2. मेसर्स चटनिया माइंस, चतरा




चित्र-4.21: गूगल चित्र (17 फरवरी 2022) जिसमें पट्टा क्षेत्र (केएमएल क्षेत्र 2.83 हेक्टेयर) हरे रंग में रेखांकित है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्थनन क्षेत्र पीले रंग में छायांकित है (0.65 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (0.78 हेक्टेयर), गहराई संयुक्त भौतिक सत्यापन में मापी गई (23 मई 2023): (20 मीटर की अनुमेय गहराई के विरुद्ध 39.90 मीटर)

3. मेसर्स जय शिव कंस्ट्रक्शन, चतरा




चित्र-4.22: गूगल चित्र (30 नवंबर 2022) जिसमें पट्टा क्षेत्र (केएमएल क्षेत्र 1.03 हेक्टेयर) को हरे रंग में रेखांकित किया गया है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्थनन क्षेत्र को पीले रंग में छायांकित किया गया है (0.86 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (1.10 हेक्टेयर), गहराई को संयुक्त भौतिक सत्यापन में मापा गया है (11 मई 2023): (अनुमेय गहराई 18 मीटर के विरुद्ध 64 मीटर)

4. मेसर्स श्याम स्टोन वकर्स, पलामू और मेसर्स सोना, पलामू



चित्र-4.23: गूगल चित्र (07 दिसंबर 2021) जिसमें पट्टा क्षेत्र (मेसर्स श्याम का केएमएल क्षेत्र 4.856 हेक्टेयर और मेसर्स सोना का 0.96 हेक्टेयर) हरे रंग में रेखांकित है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्खनित क्षेत्र पीले रंग में छायांकित है (मेसर्स श्याम का 3.51 हेक्टेयर और मेसर्स सोना का 0.84 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (3.30 हेक्टेयर), गहराई संयुक्त भौतिक सत्यापन में मापी गई (02 दिसंबर 2022): (12.5-24 मीटर की अनुमेय गहराई के विरुद्ध 35-45 मीटर)

5. मेसर्स राज कुमार खुराना, पलामू



चित्र-4.24: गूगल चित्र (25 फरवरी 2021) जिसमें पट्टा क्षेत्र (केएमएल क्षेत्र 4.05 हेक्टेयर) हरे रंग में रेखांकित है, पट्टा क्षेत्र के अंदर उत्खनन क्षेत्र पीले रंग में छायांकित है (2.23 हेक्टेयर) और पट्टा क्षेत्र के बाहर बैंगनी रंग में (0.95 हेक्टेयर), गहराई संयुक्त भौतिक सत्यापन में मापी गई (26 नवंबर 2022): (18 मीटर की अनुमेय गहराई के विरुद्ध 61 मीटर)

ख. चार पट्टों पर अवलोकन, जहाँ आकार और माप खसरा मानचित्र से मेल नहीं खाते थे

चार खनन पट्टों में अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन, जहाँ केएमएल फ़ाइल खसरा मानचित्र से मेल नहीं खाती थी, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई है, तालिका-4.3 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.3: चार खनन पट्टों में अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन दर्शाते हुए (जहाँ केएमएल फ़ाइल खसरा मानचित्र से मेल नहीं खाती), लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई

पट्टे का नाम/जिला/पट्टाधारी कोड/ पट्टा अवधि	पट्टा क्षेत्र (हेक्टेयर)	अनुमानित उत्खनन क्षेत्र ⁷⁵ (हेक्टेयर)	अनुमानित उत्खनन मात्रा (लाख घन मीटर में)	प्रतिवेदित उत्पादन ⁷⁶ (लाख घन मीटर में)	अतिरिक्त उत्पादन (लाख घन मीटर में)
मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स, चतरा, 308013401, 26.06.14 से 25.06.24	4.04	3.30	12.44	3.06	9.38
मेसर्स सीटीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, चाईबासा, 101334703, 23.02.16 से 22.02.26	3.64	1.74	4.15	1.40	2.75
मेसर्स रामाशीष सिंह, पलामू, 411596801 23.03.16 से 22.03.26	4.85	6.00	13.33	9.98	3.35
मेसर्स स्काई स्टोन वर्क्स, साहिबगंज, 620829301, 06.11.17 से 05.11.27	2.86	1.50	3.18	0.21	2.97
कुल	15.39	12.54	33.10	14.65	18.45

तालिका-4.3 से स्पष्ट है कि चार जिलों के चार पट्टों में कुल अतिरिक्त उत्खनन (लेखापरीक्षा के अनुसार) 18.45 लाख घन मीटर (मूल्य ₹ 57.75 करोड़, ₹ 313 प्रति घन मीटर की दर से) थी, जबकि बीआईटी, सिंदरी की गणना के अनुसार यह 18.97 लाख घन मीटर थी। इस प्रकार, अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन में केवल 0.52 लाख घन मीटर (2.82 प्रतिशत) का समग्र अंतर (लेखापरीक्षा और बीआईटी, सिंदरी के बीच) था, जो लेखापरीक्षा अवलोकनों की पुष्टि करता है।

खसरा मानचित्र और केएमएल फ़ाइल के बीच में असमानता होने के कारण, लेखापरीक्षा को पट्टा क्षेत्र के बाहर/अंदर उत्खनन का विश्लेषण करने में रुकावटों का समना करना पड़ा। लेखापरीक्षा ने केवल उत्खनित मात्रा (लेखापरीक्षा द्वारा अनुमानित) की तुलना पट्टेधारी द्वारा प्रतिवेदित उत्पादन से की।

⁷⁵ क्षेत्र मापने के लिए उपग्रह चित्र (फरवरी 2022 से दिसम्बर 2022) पर विचार किया गया।

⁷⁶ विस्तृत विवरण परिशिष्ट-4.3 में दिया गया है।

केस स्टडी-4.7 में दो मामलों को दर्शाया गया है।

केस स्टडी-4.7


1. मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स, चतरा

मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स, चतरा को चतरा के हंटरगंज ब्लॉक के मौजा दलकोमा में 4.04 हेक्टेयर भूमि के लिए 10 वर्ष का पट्टा (26 जून 2014 से 25 जून 2024 तक) प्रदान किया गया था। लेखापरीक्षा ने 23 मई 2023 को जि.ख.प. के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष:


- केएमएल फाइल (2.93 हेक्टेयर) और खसरा मानचित्र (4.04 हेक्टेयर) के बीच असमानता पाई गई।
- पट्टा क्षेत्र केएमएल फाइल के स्थान से 1.95 किमी दूर था।
- उत्खनन क्षेत्र: 3.3 हेक्टेयर (गूगल-अर्थ प्रो का उपयोग करके मापा गया)।
- उत्खनन की गहराई: 42 मीटर (स्वीकृत खनन योजना में अनुमेय 36 मीटर से अधिक)।

लेखापरीक्षा ने उत्खनन क्षेत्र को वास्तविक गहराई से गुणा कर, ढलान और ढुलाई सङ्क में अवरोधित आयतन को घटाने के पश्चात उत्खनन मात्रा की गणना की। अनुमानित उत्खनन मात्रा: (क) कुल: 12.44 लाख घन मीटर (ख) प्रतिवेदित: 3.06 लाख घन मीटर (ग) कम प्रतिवेदित: 9.38 लाख घन मीटर।



चित्र-4.25: गूगल चित्र (17 फरवरी 2022) में गलत पट्टा क्षेत्र (4.04 हेक्टेयर के स्थान पर केएमएल क्षेत्र 2.93 हेक्टेयर) दर्शाया गया है, जिसे हरे रंग से रेखांकित किया गया है, उत्खनन क्षेत्र को बैंगनी रंग से छायांकित किया गया है (3.3 हेक्टेयर)

2. मेसर्स रामाशीष सिंह, पलामू



चित्र-4.26: गूगल चित्र (13 दिसंबर 2022) में गलत पट्टा क्षेत्र (4.85 हेक्टेयर के स्थान पर केएमएल क्षेत्र 5.83 हेक्टेयर) दर्शाया गया है, जिसे हरे रंग से रेखांकित किया गया है, उत्खनन क्षेत्र को बैंगनी रंग से छायांकित किया गया है (6 हेक्टेयर), गहराई को संयुक्त भौतिक सत्यापन में मापा गया है (02 जून 2023): उत्खनन की गहराई (12 मीटर की स्वीकार्य गहराई के विश्वद 24.38 मीटर)


इस प्रकार, संयुक्त भौतिक सत्यापन और गूगल-अर्थ पर उपलब्ध टूल्स पर आधारित लेखापरीक्षा के अनुमान की तुलना में पट्टेधारकों ने 13 पट्टों में 93.53 लाख घन मीटर (75.08 लाख घन मीटर जैसा कि तालिका-4.2 में नौ मामलों के लिए विस्तृत है जहां केएमएल मेल खाता था + 18.45 लाख घन मीटर जैसा कि तालिका-4.3 में चार मामलों के लिए विस्तृत है जहां केएमएल मेल नहीं खाता था) कम पत्थर उत्खनन प्रतिवेदित किया था। यह कम प्रतिवेदन, पट्टा क्षेत्रों के बाहर उत्खनन के साथ मिलकर पर्यावरणीय खतरे पैदा करती है और खनिज भंडार को तेजी से कम करती है, जिससे वैज्ञानिक और सतत खनन उद्देश्य कमजोर होते हैं। इसके अलावा, सरकार को भी उल्लेखनीय राजस्व की हानि होती है। लेखापरीक्षा ने 13 पत्थर पट्टों के लिए खनिज उत्खनन के ऐसे अतिरिक्त उत्खनन के संभावित वित्तीय निहितार्थ का अनुमान ₹ 292.75 करोड़ {93.53 लाख घन मीटर (अतिरिक्त उत्खनन की मात्रा) x ₹ 313.00 प्रति घन मीटर (खनिज का मूल्य)} लगाया।

ये अवलोकन विभाग को जमीनी स्तर की स्थिति से अवगत कराने के लिए अनुमान पर आधारित हैं। खनिज उत्खनन की कम प्रतिवेदन की सही मात्रा का पता लगाने के लिए विभाग द्वारा आगे विस्तृत जाँच की आवश्यकता है।

उपरोक्त अवलोकनों के अलावा लेखापरीक्षा ने पाया

- आवश्यक सीमा स्तंभों और सुरक्षा अवरोधों का अनुपस्थिति: 63 में से 46 मामलों में या तो सीमा स्तंभ पूरी तरह से अनुपस्थित थे (30) या केवल

आंशिक रूप से पाए गए (16)। इसके अलावा, चयनित जिलों में 63 में से 62 पट्टों में, सुरक्षा अवरोध को कम कर दिया गया, जो कि आवश्यक 7.5 मीटर के स्थान पर 0 से 7 मीटर तक था जैसा कि चित्र-4.27 में दर्शाया गया है। परिणामस्वरूप सुरक्षा अवरोधों पर वृक्षारोपण के लिए जगह कम हो गई।



तीन जिलों⁷⁷ में नौ समीपवर्ती पट्टों में दो पट्टों के बीच कोई सीमा दीवार नहीं थी, जो सुरक्षा अवरोधों में अवरुद्ध गैर-खनिज संसाधनों के उत्खनन को दर्शाता है, जैसा कि चित्र-4.28 में दिखाया गया है।



(ii) अधिक उत्खनन को छिपाने के लिए पट्टेधारकों द्वारा अपनाई गई पद्धति: तीन जिलों⁷⁸ के तीन पट्टों के खनन योजना की जाँच से पता चला कि वर्तमान पट्टेधारकों की पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद, 6.55 लाख घन मीटर खनन योग्य पत्थर

⁷⁷ चाईबासा, चतरा और पाकुड़।

⁷⁸ पाकुड़, पलामू और साहिबगंज।

भंडार⁷⁹ शेष थे। इसका मतलब है कि वर्तमान पट्टेधारी ने खनन योजना/पर्यावरणीय स्वीकृति/सीटीओ में अधिदिष्ट अपने हिस्से की सामग्री निकाल ली थी। भंडार के हास (सीमित/ निर्धारित अनुमेय उत्खनन) को ध्यान में रखते हुए शेष भंडार अगले पट्टेधारकों को पुनः आवंटित की जाती। लेखापरीक्षा ने पाया कि पाकुड़ और साहिबगंज के दो पट्टों में, पट्टेधारकों ने अन्य स्थानों से लाए गए स्टोन डस्ट/मिट्टी का उपयोग करके गड्ढे को भरना शुरू कर दिया/भर दिया, जबकि पलामू के एक पट्टे में, पट्टेधारी ने खदान को जलाशय में बदल दिया। पट्टेधारकों की कार्रवाई से संकेत मिलता है कि पट्टेधारियों ने इन खदानों से अनुमेय सीमा से अधिक सामग्री निकाली थी।

उत्खनित भूमि के भरने में यह जोखिम निहित था कि पट्टेधारियों ने अतिरिक्त उत्खनन को छिपाने तथा उत्खनन क्षेत्र की मापी से बचने के उद्देश्य से ऐसा किया, ताकि जि.ख.प. द्वारा माँग निर्धारण से बचा जा सके, जैसा कि चित्र-4.29 और 4.30 में दर्शाया गया है।



(iii) अपेक्षित माप नहीं किया जाना: लेखापरीक्षा ने पाया कि 2017-22 की अवधि के दौरान, खनन एवं भूतत्व विभाग के अधिकारी ने विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कोई आवधिक निरीक्षण नहीं किया। खनन एवं भूतत्व विभाग को उत्खनन की वास्तविक मात्रा को सत्यापित करने के लिए कम से कम 20 प्रतिशत पट्टों का वार्षिक अनुभागीय माप करना आवश्यक था। नमूना जाँचित छह जिलों में विभाग के अधिकारियों ने मौजूदा लघु खनिज पट्टों में से केवल 0.68 से 3.17 प्रतिशत का वार्षिक अनुभागीय माप किया। इस प्रकार, ये उपाय

⁷⁹ मेसर्स लुफ्टुल हक, पाकुड़, पट्टेधारी कोड- 623955701, पट्टा अवधि 15 सितंबर 2017 से 14 सितंबर 2027, शेष खनन योग्य भंडार- 2,03,045.20 घन मीटर, मेसर्स बगेया स्टोन माइंस, पलामू, पट्टेधारी कोड- 411353903, पट्टा अवधि 08 जनवरी 2012 से 07 जनवरी 2022, शेष खनन योग्य भंडार- 60,235 घन मीटर, मेसर्स कृष्णा साह, साहिबगंज पट्टेधारी कोड- 620779003, पट्टा अवधि 02 अप्रैल 2015 से 01 अप्रैल 2025, शेष खनन योग्य भंडार- 3,92,367.40 घन मीटर।

पट्टा क्षेत्र से परे उत्खनन/अतिरिक्त उत्खनन का निर्धारण करने और अधिनियम/नियमावली में दिए गए दंडात्मक प्रावधानों को लागू करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एमसीडीआर), 2017 के नियम 34A के अनुरूप झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 में आधुनिक प्रौद्योगिकी (जैसे ड्रोन सर्वेक्षण) के उपयोग को शामिल करने की आवश्यकता है, ताकि पट्टेधारियों द्वारा अत्यधिक उत्खनन के मामलों का पता लगाया जा सके और तदनुसार अर्थदंड लगाया जा सके।

(iv) **अनधिकृत/अवैध उत्खनन को रोकने के लिए नियमों में विसंगतियाँ:** जमीनी स्थिति के मद्देनजर, लेखापरीक्षा ने पुनः 2017-22 की अवधि के दौरान राज्य में उपभोग योग्य लघु खनिजों⁸⁰ से स्वामिस्व संग्रह का विश्लेषण करने के लिए खान निदेशक द्वारा प्रस्तुत स्वामिस्व संग्रह प्रतिवेदन की जाँच की। यह पाया गया कि 2017-22 के दौरान चार लघु खनिजों (यानी पत्थर, ईंट-मिट्टी, बालू और मोरम) के पट्टेधारकों से ₹ 1,554.81 करोड़ का राजस्व संग्रह किया गया था। इसी अवधि के दौरान, विभिन्न कार्य विभागों द्वारा नियोजित निर्माण संवेदकों से स्वामिस्व और स्वामिस्व के बराबर अर्थदंड के रूप में ₹ 1,550.34 करोड़ संग्रह किए गए, जैसा कि तालिका-4.4 में दर्शाया गया है।

तालिका-4.4: वर्ष 2017-22 के दौरान खनन पट्टों से प्राप्त स्वामिस्व तथा कार्य विभाग से प्राप्त स्वामिस्व एवं स्वामिस्व के बराबर अर्थदंड के योगदान के बीच प्रदर्शित तुलना

लघु खनिज का नाम	राज्य में कुल संग्रहण (लाख ₹ में)					
	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ
पत्थर (पट्टा/परमिट)	22,781.66	26,127.46	26,983.26	36,021.61	38,179.96	1,50,093.95
ईंट-मिट्टी (पट्टा/परमिट)	452.50	530.78	631.84	781.50	830.62	3,227.24
बालू (पट्टा/परमिट)	226.87	140.47	175.67	901.46	192.02	1,636.49
मोरम	385.84	3.35	6.67	120.42	7.48	523.76
साधारण मिट्टी	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00
पट्टा/परमिट से कुल	23,846.87	26,802.06	27,797.44	37,824.99	39,210.08	1,55,481.44
कार्य विभाग (कार्य संवेदकों से प्राप्त स्वामिस्व और स्वामिस्व के बराबर अर्थदंड)	31,559.90	34,214.73	31,282.85	33,422.74	24,553.68	1,55,033.90
निर्माण कार्यों में प्रयुक्त लघु खनिजों से कुल संग्रहण	55,406.77	61,016.79	59,080.29	71,247.73	63,763.76	3,10,515.34
कार्य अनुबंध में प्रयुक्त लघु खनिजों से कुल प्राप्तियों में कार्य संवेदकों से प्राप्तियों की प्रतिशतता	56.96	56.07	52.95	46.91	38.51	49.93

स्रोत: निदेशक, खान से प्राप्त सूचना।

⁸⁰ झारखण्ड सरकार के कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित दर की अनुसूची के अनुसार, पत्थर, बालू, मोरम, ईंट-मिट्टी और साधारण मिट्टी निर्माण/विकास कार्यों के निष्पादन में उपभोग्य लघु खनिज हैं।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि लघु खनिजों (पट्टों और परमिटों) के राजस्व का 95 प्रतिशत से अधिक पत्थर से प्राप्त हुआ, जबकि अन्य लघु खनिजों का कुल योगदान पाँच प्रतिशत से भी कम था। इसके अलावा, विभाग ने 2017-22 के दौरान निर्माण विभागों से ₹ 1,550.34 करोड़ संग्रह किए, जो लघु खनिजों से प्राप्त कुल राजस्व का लगभग 50 प्रतिशत था। इस प्रकार, अधोषित स्रोतों से प्राप्त खनिजों के लिए कार्य संवेदकों से स्वामिस्व की दोगुनी दर से संग्रहण इन लघु खनिजों के घोषित स्रोतों से राजस्व संग्रहण के लगभग बराबर था।

लेखापरीक्षा ने पाया कि झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 54 और 55 के बीच विसंगतियां हैं। नियम 54 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति वैध पट्टे/परमिट के बिना लघु खनिज निकालता/परिवहन करता है तो उसे अवैध उत्खनन में भागीदार माना जाएगा। इसके अलावा, नियम में कानूनी कार्रवाई या/और किराये, स्वामिस्व इत्यादि के अतिरिक्त अवैध रूप से निकाले/परिवहन किए गए खनिजों की कीमत का दोगुना अर्थदंड वसूलने का प्रावधान है। जबकि, उक्त नियमावली का नियम 55 कार्य विभागों के संवेदकों को केवल स्वामिस्व के बराबर अर्थदंड भुगतान करके अधोषित स्रोतों से खनिजों का उपयोग करने में सक्षम बनाकर उन्हें अवैध/अनधिकृत उत्खनन में भागीदार होने से मुक्त करता है, जो नियम 54 के प्रावधान के मूलभाव, यानि अवैध खनन के निवारक के रूप में विरोधाभासी है। अतः, राज्य सरकार के लिए आवश्यक है कि झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 55 को नियम 54 के अनुरूप पुनःसंरेखित किया जाए, ताकि इसके उद्देश्य की पूर्ति हो सके।

4.1.4.2 पर्यावरण प्रबंधन योजना का कार्यान्वयन

पर्यावरण पर खनन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, खनन पट्टों की सुरक्षा अवरोधों पर वृक्षारोपण किया जाना था। तदनुसार, पट्टेधारियों को प्रथम पाँच-वर्षीय योजना अवधि के पहले वर्ष में सुरक्षा अवरोध पर ग्रिड पैटर्न में अनुशंसित मात्रा में पेड़ लगाने और बाद की पट्टा अवधि के दौरान उनकी देखभाल करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि चयनित जिलों में नमूना जाँचित 63 पट्टों में से 61 में, प्रस्तावित 74,676 पौधों के मुकाबले केवल 2,225 पौधे ही लगाए गए, परिणामस्वरूप वृक्षारोपण में 20 से 100 प्रतिशत तक की कमी आई (केस स्टडी-4.8 में दर्शाया गया है)।

सीटीओ के नवीकरण के समय, जेएसपीसीबी वृक्षारोपण, वायु गुणवत्ता मानक को बनाए रखने इत्यादि जैसी शर्तों के अनुपालन की सत्यापित करता है। लेखापरीक्षा ने धनबाद जिले में नमूना जाँचित 10 पत्थर पट्टों के मामले में सीटीओ के नवीकरण के लिए क्षेत्रीय कार्यालय, जेएसपीसीबी, धनबाद द्वारा किए गए निरीक्षणों के आधार पर प्रतिवेदन की प्रतियों के बारे में जानकारी माँगी। 10 निरीक्षण प्रतिवेदनों (02 मई 2020 और 03 सितंबर 2022 के बीच किए गए निरीक्षणों की) की नमूना

जाँच से पता चला कि सीटीओ का नवीकरण वायु, जल और पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लागू अधिनियम/नियमावली की शर्तों के अनुपालन के लिए पट्टेधारी द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर किया गया था। निरीक्षण दल ने सभी 10 मामलों में कुछ वृक्षारोपण की सूचना दी, जिसे प्रतिवेदन में मात्राबद्ध नहीं किया गया था।

सीटीओ के सशर्त नवीकरण को ध्यान में रखते हुए, लेखापरीक्षा ने खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। क्षेत्रीय पदाधिकारी हजारीबाग द्वारा हंटरगंज, चतरा में किए गए निरीक्षण पर एक केस स्टडी-4.8 में दर्शाया गया है।

केस स्टडी-4.8

क्षेत्रीय पदाधिकारी (जेएसपीसीबी क्षेत्रीय कार्यालय, हजारीबाग) ने सीटीओ शर्तों के अनुपालन के लिए अंचल- हंटरगंज, चतरा में दो पट्टों⁸¹ का भौतिक सत्यापन किया (27 जुलाई 2022)। जेएसपीसीबी ने निरीक्षण प्रतिवेदन के आधार पर इन दो पट्टों के लिए सीटीओ जारी किए थे, जिसमें पदाधिकारी ने बताया था कि इन दोनों पट्टों को छह फीट ऊंचे कंक्रीट के खंभों और जाल से घेरा गया था और पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया था।

लेखापरीक्षा ने खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ इन पट्टों की संयुक्त भौतिक सत्यापन⁸² किया और पाया कि पट्टा क्षेत्र को कंक्रीट के खंभों के सहारे जाल से नहीं घेरा गया था। इसके अलावा, पट्टा क्षेत्र में कोई वायु, जल और ध्वनि निगरानी स्टेशन उपलब्ध नहीं थे। हरित पट्टी क्षेत्र (वृक्षारोपण के लिए) की चौड़ाई, खनन गड्ढे क्षेत्र के चारों ओर समान रूप से 7.5 मीटर की बजाय 0.5-2 मीटर और 01-7.5 मीटर थी। हरित क्षेत्र में कोई वृक्षारोपण उपलब्ध नहीं था।

लेखापरीक्षा ने क्षेत्रीय पदाधिकारी, जेएसपीसीबी द्वारा किए गए भौतिक निरीक्षण के 5-10 महीने बाद ही संयुक्त भौतिक सत्यापन किया और इन विरोधाभासी अवलोकनों को देखा। इस प्रकार, क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन पर आधारित प्रतिवेदन अविश्वसनीय और गलत थी, जैसा कि नीचे दिखाए गए चित्र से स्पष्ट है:

⁸¹ (i) मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स (पट्टेधारी कोड- 0308013401), चतरा (पट्टा अवधि 26 जून 2014 से 25 जून 2024, पट्टा क्षेत्र- 4.04 हेक्टेयर, हरित पट्टी- 1.05 हेक्टेयर), (ii) मेसर्स जयशंकर स्टोन इंडस्ट्रीज (पट्टेधारी कोड- 0308027801), चतरा, पट्टा अवधि (24 नवंबर 2015 से 23 नवंबर 2025, पट्टा क्षेत्र 3.645 हेक्टेयर, हरित पट्टी- 0.896 हेक्टेयर)।

⁸² मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स (संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि- 23 मई 2023), मेसर्स जयशंकर स्टोन इंडस्ट्रीज (संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि- 08 दिसंबर 2022)।



चित्र-4.31: हरित क्षेत्र पर सहायक स्तंभों के साथ कोई बाड़ और कोई वृक्षारोपण नहीं (मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ली गई तस्वीर)

जैसा कि कंडिका-4.1.3.7 में चर्चा की गई है, पर्यावरण पर प्रभाव का आकलन करने के लिए, पट्टेधारियों को वास्तविक समय के आंकड़ों की रिकॉर्डिंग की सुविधाओं के साथ वायु, जल और ध्वनि निगरानी स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा ने आगे 63 नमूना जाँचित पट्टों (साहिबगंज के एक पट्टे को छोड़कर) में देखा कि पट्टा क्षेत्र के अंदर वायु, जल और ध्वनि निगरानी स्टेशन स्थापित नहीं किए गए थे।

नमूना जाँचित 51 में से 40 कार्यरत पट्टों से संबंधित खनन योजना में, बारिश के पानी को खनन गड्ढे में प्रवेश करने से रोकने के लिए गड्ढे के चारों ओर मालारूपी नालियों (तलछट टैंक से जुड़ी) का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। हालांकि, 40 में से 38 पट्टों में, इन नालियों का निर्माण संबंधित खनन योजना प्रस्ताव के अनुरूप नहीं किया गया था।

नमूना जाँचित 51 कार्यरत पट्टों में से 15 में बाहर पड़े मिट्टी के ढेर के चारों ओर पैरापेट दीवारें निर्मित की जानी थीं, ताकि सीमांकित क्षेत्र में ओवरबर्डन रखा जा सके। हालांकि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 14 पट्टों में इनका निर्माण नहीं किया गया था और ढेर सीमांकित क्षेत्रों के अलावा अन्य स्थानों पर पड़ा हुआ पाया गया, जैसा कि चित्र-4.32 में दिखाया गया है।



चित्र-4.32: पलामू में पट्टा क्षेत्र (सीमांकित स्थान के अलावा) के बाहर पड़ा ढेर, पट्टाधारी कोड- 411596801 संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि (02 जून 2023)

इस प्रकार, स्वीकृत क्षेत्र से अधिक खनन और पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) का अनुचित कार्यान्वयन प्रगामी खान समापन योजना का उल्लंघन था, जिसमें पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से विभिन्न प्रस्तावों का विवरण दिया गया था। इनका कार्यान्वयन न होने से खदानों में सुरक्षात्मक, पुनरुद्धार और पुनर्वास उपायों के उद्देश्य विफल हो गए।

4.1.5 अंतिम खान समापन योजना का कार्यान्वयन

लघु खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2010 (आईबीएम द्वारा लघु खनिज के लिए तैयार) के नियम 17E(3) के अनुसार, पट्टाधारी को खनन पट्टा विलेख निष्पादित करने से पहले राज्य सरकार द्वारा अधिकृत पदाधिकारी को वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत करना होगा। झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34G के अनुसार, यदि खनन पट्टा/परमिट धारक सुधार और पुनरुद्धार कार्य करने में विफल रहता है, तो इसकी लागत वित्तीय आश्वासन से वसूल की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने अंतिम खान समापन योजना के कार्यान्वयन में निम्नलिखित कमियाँ देखीं:

- लघु खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2010 के अनुसार, खनन और संबद्ध गतिविधियों के लिए उपयोग में लाए गए खनन पट्टा क्षेत्र के लिए वित्तीय आश्वासन की दर ₹ 15,000 प्रति हेक्टेयर थी, जो श्रेणी बी की खदानों के लिए न्यूनतम ₹ 50,000 थी। इसके बाद, राज्य सरकार द्वारा इसे संशोधित नहीं किया गया, जबकि वृहत खनिजों के मामले में, वित्तीय आश्वासन की दर को फरवरी 2017 से नवंबर 2021 की अवधि के दौरान केंद्र सरकार द्वारा दो बार संशोधित किया गया और ₹ 15,000 (अप्रैल 2003 से प्रभावी) से बढ़ाकर ₹ 3.00 लाख प्रति हेक्टेयर (नवंबर 2021 से प्रभावी) कर दिया गया, जो श्रेणी बी की खदानों के मामले में न्यूनतम ₹ 5.00 लाख है। खनन योजनाओं की जाँच से पता चला कि

नमूना जाँचित जिलों के 63 मामलों⁸³ में, वित्तीय आश्वासन की गणना के लिए प्रति हेक्टेयर अलग-अलग दरें (13 मामले: ₹ 15,000, 40 मामले: ₹ 25,000, दो मामले: ₹ 2.00 लाख, छह मामले: खनन योजना में गणना नहीं की गई, दो मामले: खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया) आरक्यूपी द्वारा प्रस्तावित की गई थीं और प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित की गई थीं। भिन्नता का कारण खनन योजना में विभिन्न आरक्यूपी द्वारा 40 मामलों में श्रेणी ए के लिए निर्धारित बहुत खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली की दरों (₹ 25,000) और दो मामलों में श्रेणी बी खानों के लिए दरों (दो मामले: ₹ 2.00 लाख) को अपनाना था। परिणामस्वरूप विभिन्न खनन पट्टों के बीच एक विशेष समय अंतराल के अंदर अंतर जिला/अंतःजिला स्तर पर वित्तीय आश्वासन की दरों में भिन्नता हुई।

- नमूना जाँचित जिलों के 63 पट्टों में से 49 में, पट्टेधारियों द्वारा राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों (25 मामले), बैंक गारंटियों (23 मामले), एलआईसी पॉलिसी (एक मामला) के रूप में ₹ 49.29 लाख का वित्तीय आश्वासन जि.ख.प. को प्रस्तुत किया गया। वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत करने के तीन तरीकों में से, एलआईसी पॉलिसी स्वीकार्य नहीं थी क्योंकि पट्टेधारी की पत्नी इस पॉलिसी में नामित थी। 23 में से 21 कार्यशील पट्टों (अक्टूबर 2023 तक अर्थात लेखापरीक्षा की तिथि तक) में ₹23.56 लाख का बैंक गारंटी समाप्त हो गया था। सभी छह नमूना जाँचित जिलों के 14 मामलों⁸⁴ में, ₹ 7.55 लाख का वित्तीय आश्वासन जि.ख.प. के पास उपलब्ध नहीं था।
- 63 पत्थर पट्टों में से 12 में, जहाँ मई 2019 से जुलाई 2023 के दौरान पट्टे की अवधि समाप्त हो गई थी, जि.ख.प. ने पट्टेधारियों को अंतिम खान समापन योजना प्रस्तुत किए बिना या उनके ₹ 15.00 लाख के वित्तीय आश्वासन के हिस्से⁸⁵ को जब्त किए बिना पट्टा क्षेत्र से निकलने की अनुमति दी। इस अनदेखी ने केस स्टडी-4.9 में दर्शाए गए पुनरुद्धार और पुनर्वास गतिविधियों को लागू करने में बाधा उत्पन्न की।

केस स्टडी-4.9

मेसर्स महादेव स्टोन प्रोडक्ट के मामले में, 4.35 हेक्टेयर क्षेत्र पर पट्टा 18 सितंबर 2023 को समाप्त हो गई थी, और खनन गड्ढे को संकल्पनात्मक योजना के अनुसार जलाशय में परिवर्तित किया जाना था। लेखापरीक्षा ने गूगल इमेज पर

⁸³ चाईबासा (सात कार्यरत + तीन समाप्त), चतरा (नौ कार्यरत + एक समाप्त), धनबाद (नौ कार्यरत + एक समाप्त), पाकुड़ (पाँच कार्यरत + तीन समाप्त), पलामू (दस कार्यरत + दो समाप्त), साहिबगंज (11 कार्यरत + दो समाप्त)।

⁸⁴ चाईबासा (तीन समाप्त), चतरा (एक समाप्त), धनबाद (एक कार्यरत), पाकुड़ (एक कार्यरत + दो समाप्त), पलामू (दो कार्यरत + एक समाप्त), साहिबगंज (एक कार्यरत + दो समाप्त)।

⁸⁵ 10 मामलों में वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत किया गया और दो मामलों में खनन योजना प्रस्तुत नहीं किया गया।

केएमएल फाईल तैयार की और पाया कि 3.72 हेक्टेयर के बजाय, कुल पट्टा क्षेत्र (4.35 हेक्टेयर) की खुदाई की गई थी। आस-पास के पट्टों के साथ सीमा दीवार की अनुपलब्धता के कारण, विभिन्न पट्टों को एक दूसरे के साथ मिला दिया गया, जिससे एक बड़ा खुदाई वाला गड्ढा बन गया।

संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2023) के दौरान, लेखापरीक्षा दल ने पाया कि वहाँ कोई बैंच और वृक्षारोपण उपलब्ध नहीं था। साथ ही, आवश्यक सुरक्षा अवरोध केवल 0.5 मीटर था, जो कि चारदीवारी के एक तरफ था। ओवरबर्डन को पट्टा क्षेत्र के अंदर ढेर किया गया था और चार में से तीन चारदीवारी नहीं पाई गई थी।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि पट्टेधारी अंतिम खान समापन योजना और वित्तीय आश्वासन प्रस्तुत करने में विफल रहा, हालांकि उसे इस उद्देश्य के लिए ₹ 2.00 लाख जमा करने की आवश्यकता थी।

इस प्रकार, प्रगामी खान समापन योजना के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।



चित्र-4.33: महादेव स्टोन प्रोडक्ट का पट्टा (संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि 07 अक्टूबर 2023)



चित्र-4.34: केएमएल फाईल (गूगल चित्र दिनांक 16 जनवरी 2022), 4.40 हेक्टेयर, अन्य समाप्त हो चुके पट्टों से घिरा हुआ पट्टा क्षेत्र

लेखापरीक्षा ने पाया कि खदानों को अवैज्ञानिक तरीके से बंद करने से वे असुरक्षित हो गई (सीमा स्तंभों, बाड़, सुरक्षा अवरोध और बैंचों के अभाव के कारण), पर्यावरण की दृष्टि से प्रतिकूल (वृक्षारोपण के अभाव के कारण) हो गई और अतिदोहित (गैर-खनन योग्य संसाधनों के उत्खनन के कारण) हो गई।

4.1.6 खनन योजना के बिना खनन परिचालन

झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 34(A)(2) में कहा गया है कि खनन गतिविधियां अनुमोदित खनन योजना के अनुसार की जाएगी और यदि पट्टेधारी अनुमोदित खनन योजना के अनुसार खनन गतिविधि नहीं करता है तो उपायुक्त/सक्षम प्राधिकारी खनन गतिविधि को निलंबित कर देगा।

तीन जिलों के 63 नमूना जाँचित खनन पट्टों में से पाँच में, पट्टेधारी ने अनुमोदित खनन योजना के बिना पत्थर की खुदाई और उत्पादन किया। इसका व्यौरा तालिका-4.5 में दिया गया है।

तालिका-4.5: पट्टे की अवधि, प्रथम पाँच वर्ष की योजना की समाप्ति तिथि और द्वितीय पाँच वर्ष योजना की स्थिति प्रदर्शित

पट्टेधारी का नाम	पट्टेधारी कोड	पट्टे की अवधि	प्रथम खनन योजना की समाप्ति तिथि	द्वितीय खनन योजना प्रस्तुत करने की तिथि और वर्तमान स्थिति	अवधि के दौरान उत्पादन (घन मी.) (खनन योजना अनुमोदित नहीं)
मेसर्स राणा उदय प्रताप सिंह, धनबाद	0204300705	30.04.2016 से 29.04.2026	29.04.2021	प्रस्तुत नहीं किया गया	68,118 (मई 2021 से जनवरी 2023)
मेसर्स उमेश कुमार और सुरेश महतो, धनबाद	0204596101	11.04.2016 से 10.04.2026	10.04.2021	प्रस्तुत नहीं किया गया	22,653 (मई 2021 से फरवरी 2023)
मेसर्स अजहर इस्लाम, पाकुड़	0623230302	25.02.2016 से 24.02.2026	24.02.2021	27.09.2022 को प्रस्तुत और अनुमोदित	1,48,839 (मार्च 2021 से अगस्त 2022)
मेसर्स महादेव स्टोन प्रोडक्ट, पाकुड़	0623325710	19.09.2013 से 18.09.2023	28.11.2019	12.09.2022 को प्रस्तुत और 14.09.2022 को अनुमोदित	1,88,334 (दिसंबर 2019 से अगस्त 2022)
मेसर्स मुमताज अहमद खान, पलामू	0411140101	14.11.2017 से 13.11.2027	13.11.2022	16.12.2022 प्रस्तुत लेकिन अनुमोदित नहीं	(संयुक्त भौतिक सत्यापन) के दौरान उत्खनन देखी गई (कोई उत्पादन प्रतिवेदित नहीं)

स्रोत: प्रथम खनन योजना, द्वितीय खनन योजना के लिए जिम्स के माध्यम से जमा आवेदन शुल्क और पट्टा विलेख।

तालिका-4.5 से यह स्पष्ट है कि, पाँच पट्टों में, द्वितीय पाँच वर्षीय योजना⁸⁶ या तो प्रस्तुत नहीं की गई थी या प्रथम पाँच वर्षीय योजना के एक से 33 महीने की समाप्ति के बाद प्रस्तुत की गई थी, लेकिन अनुमोदित नहीं की गई थी।

प्रथम पाँच वर्षीय योजना की समाप्ति और द्वितीय पाँच वर्षीय योजना की अप्रस्तुति या अनुमोदन न करने के बाद भी, पट्टेधारी ने अनधिकृत खुदाई की और 4.28 लाख घन मीटर पत्थर का उत्खनन किया। इसकी पुष्टि संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान की गई थी, जहाँ चल रहे खनन कार्यों को देखा गया था, जैसा कि चित्र-4.35 में दर्शाया गया है।

⁸⁶ मेसर्स महादेव स्टोन प्रोडक्ट, पाकुड़ के मामले में प्रथम खनन योजना अवधि 29.11.2014 से 28.11.2019 थी, द्वितीय खनन योजना 14.09.2022 को अनुमोदित की गई थी अतः 29.11.2019 से 13.09.2022 के दौरान खनन अनुमोदित खनन योजना के बिना थी।



चित्र-4.35: दिनांक 13.11.2022 को प्रथम पाँच वर्षीय योजना समाप्त होने और द्वितीय पाँच वर्षीय योजना प्रस्तुत न करने के बावजूद पट्टाधारी कोड: 0411140101 (पट्टाधारी का नाम- मेसर्स मुमताज अहमद खान) भौतिक सत्यापन की तिथि (26 नवंबर 2022) को पट्टा क्षेत्र में उत्खनन करते दिखाया गया है।

अनुमोदित खनन योजना के बिना उत्खनन अनधिकृत थी, वैज्ञानिक निरीक्षण का अभाव था, और पर्यावरणीय मानदंडों के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपायुक्त/सक्षम प्राधिकारी ने इन मामलों में खनन गतिविधियों को निलंबित नहीं किया था।

4.2 पर्यावरणीय स्वीकृति

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत की पर्यावरणीय और वानिकी नीतियों की देखरेख करता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी पर्यावरण प्रभाव का आकलन अधिसूचना, 2006 में केन्द्र सरकार को श्रेणी 'ए' ($\text{क्षेत्र} \geq 50$ हेक्टेयर) की परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति और सीआ^{४७} को श्रेणी 'बी' ($\text{क्षेत्र} < 50$ हेक्टेयर) की परियोजनाओं को अनुमोदित करने के लिए अधिदेशित किया गया है। खानों के लिए क्लस्टर स्थिति^{४८} सहित बालू और अन्य लघु खनिजों के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए स्थापित प्रक्रियाएँ (14 अगस्त 2018 से प्रभावी) तालिका-4.6 में स्पष्ट की गई हैं।

^{४७} अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रियाओं के अनुसार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा विधिवत गठित एक तीन सदस्यीय समिति (अध्यक्ष, विशेषज्ञ सदस्य और सदस्य सचिव)।

^{४८} एक क्लस्टर का गठन तब किया जाएगा जब एक पट्टे की परिधि के बीच की दूरी समरूप खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे की परिधि से 500 मीटर से कम हो।

तालिका-4.6: खानों की श्रेणी, क्षेत्र और पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुमोदन की स्थिति

पट्टे का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)	परियोजना की श्रेणी	आवश्यकता	जन-सुनवाई की आवश्यकता	पर्यावरणीय स्वीकृति देने का प्राधिकार
0 से 5 हेक्टेयर, व्यक्तिगत खनन पट्टा	बी2	फॉर्म 1एम, डीएसआर, प्रीफिजीबिटी रिपोर्ट (पीएफआर) और अनुमोदित खनन योजना	नहीं	डीआ ⁸⁹
5 हेक्टेयर तक खनन पट्टों का क्लस्टर क्षेत्र				
>5 हेक्टेयर और <25 हेक्टेयर (व्यक्तिगत खनन पट्टा)	बी2	फॉर्म-1, डीएसआर, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना		सीआ ⁹⁰
खनन पट्टों का क्लस्टर क्षेत्र >5 हेक्टेयर और <25 हेक्टेयर के साथ >5 हेक्टेयर से अधिक कोई व्यक्तिगत पट्टा नहीं		फॉर्म-1, डीएसआर, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना और क्लस्टर में सभी पट्टे के लिए एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी)	नहीं	डीआ
>25 हेक्टेयर और <100 हेक्टेयर	बी1	फॉर्म-1, डीएसआर, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना, ईआईए/ ईएमपी		
खनन पट्टों के क्षेत्र का क्लस्टर ≥25 हेक्टेयर के साथ व्यक्तिगत पट्टे के आकार खदान <100 हेक्टेयर		फॉर्म-1, डीएसआर, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना और क्लस्टर में सभी पट्टे के लिए एक ईएमपी	हाँ	सीआ
>50 हेक्टेयर	ए	फॉर्म-1, डीएसआर, पीएफआर और अनुमोदित खनन योजना, ईआईए/ईएमपी		पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
>50 हेक्टेयर के किसी भी व्यक्तिगत पट्टे के साथ किसी भी आकार का क्लस्टर			हाँ	

⁸⁹ श्रेणी बी2 के लघु खनिजों के लिए, जिला पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (डीआ) की स्थापना 15 जनवरी 2016 को की गई थी। डीआ के मामलों को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 12 दिसंबर 2018 को सीआ को सौंपा गया था (एनजीटी के निर्देशानुसार, दिनांक 13 सितंबर 2018)

⁹⁰ राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सीआ) की स्थापना पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य स्तर पर पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक⁹¹ (पीपी) को तालिका-4.6 में निर्दिष्ट आवश्यक दस्तावेजों के साथ, परिवेश पोर्टल⁹² के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए आवेदन करना होगा। पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के बाद, पीपी सीआ/ जेएसपीसीबी और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को निगरानी आंकड़ों के परिणामों सहित निर्धारित पर्यावरणीय स्वीकृति शर्तों के अनुपालन पर छमाही प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा ने पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने में अनियमितताएँ पाईं जो निम्नलिखित कंडिकाओं में विस्तारित हैं।

4.2.1 जाली सन्निहित प्रमाण-पत्र के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के निर्णय (दिनांक 13 सितंबर 2018) के अनुपालन में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक आदेश (12 दिसंबर 2018) जारी किया था कि पाँच और 25 हेक्टेयर (कलस्टर स्थिति सहित) के बीच श्रेणी बी2 के अंतर्गत आने वाले को सीआ द्वारा श्रेणी बी1 के समकक्ष माना जाना था। इस प्रकार, 12 दिसंबर 2018 से, पाँच और 25 हेक्टेयर के बीच के खदान पट्टों के लिए पीपी द्वारा ईआईए, ईएमपी प्रस्तुत करना और उसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक परामर्श के बाद पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनिवार्य शर्त बन गई।

जि.ख.प. द्वारा आवेदकों को कलस्टर स्थितियों के लिए सन्निहित प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे। इस तरह के प्रमाण-पत्र आवेदित पट्टे के 500 मीटर के भीतर पत्थर के खनन पट्टों के कुल क्षेत्र के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। आवेदकों को सीआ से अग्रिम पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए इन प्रमाण-पत्रों को आवेदन (फॉर्म 1) के साथ संलग्न करना था। कलस्टर प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन 'परिवेश पोर्टल' में उपलब्ध थे।

➤ जिला खनन कार्यालय, पाकुड़ के अभिलेखों की नमूना जाँच से पता चला कि आठ मामलों में, जि.ख.प. ने सन्निहित प्रमाण-पत्र (अगस्त 2020 और अगस्त 2021 के बीच) जारी किए, जिसमें कलस्टर के अन्दर खदान पट्टों के क्षेत्र 5.00 से 7.06 हेक्टेयर के बीच थे। हालांकि, परिवेश पोर्टल में, लेखापरीक्षा ने पाया किया कि आवेदकों ने उसी संख्या के हेरफेर किए गए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए थे, जिसमें क्षेत्र को घटा दिया गया था अर्थात् 2.73 और 4.94 हेक्टेयर के बीच बी2 श्रेणी के तहत अर्हता प्राप्त करने के लिए, जैसा कि तालिका-4.7 में विस्तृत रूप से बताया गया है।

⁹¹ "परियोजना प्रस्तावक" का अर्थ है एक व्यक्ति या सार्वजनिक या निजी संस्था या, जिसका परियोजना के मामलों पर पूर्ण नियंत्रण है। सभी मामलों में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की माँग करने वाला आवेदन, परियोजना प्रस्तावक द्वारा किया जाएगा।

⁹² पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए एक एकल खिड़की पोर्टल, परिवेश पोर्टल का प्रारम्भ (अगस्त 2018) किया।

तालिका-4.7: जि.ख.प. द्वारा निर्गत और आवेदकों द्वारा हेरफेर किया गया सन्निहित प्रमाण-पत्र

क्र. सं.	आवेदक का नाम	खनन पट्टे की संख्या और क्लस्टर का क्षेत्र (लागू आवेदित पट्टे सहित) (क्षेत्र हेक्टेयर में)				पर्यावरणीय स्वीकृति संख्या और तिथि
		मूल (जि.ख.प. द्वारा)	जाली (आवेदक द्वारा)			
1	श्री अविनाश कुमार भगत	4	6.41	4	4.65	2322/2021/33 (14.07.2021)
2	मेसर्स सीबी स्टोन वर्क्स	2	5.27	1	2.73	2446/2021/188 (30.10.2021)
3	मो. नजीमुद्दीन	3	5.54	3	4.32	2407/2021/149 (23.09.2021)
4	मेसर्स फोर स्टार स्टोन वर्क्स	2	5.00	2	4.67	2414/2021/136 (23.09.2021)
5	मेसर्स मनोज स्टोन वर्क्स	2	5.36	2	4.94	2323/2021/45 (13.07.2021)
6	मेसर्स राजीव रंजन पांडे	3	6.75	2	4.02	2447/2021/187 (30.10.2021)
7	मेसर्स श्रीगुरु स्टोन वर्क्स	4	7.06	2	3.29	2452/2021/197 (30.10.2021)
8	मेसर्स जिशान स्टोन वर्क्स	3	5.40	2	2.75	2433/2021/132 (23.09.2021)

चित्र-4.36: श्री अविनाश कुमार भगत को निर्गत मूल और जाली सन्निहित प्रमाण-पत्र दर्शाया गया है

6.41 हेक्टेयर क्षेत्र का मूल प्रमाण-पत्र

स्रोतः जि.ख.प., पाकड़ द्वारा संधारित पट्टा
फाइल

4.65 हैक्टेयर क्षेत्र का जाली प्रमाण-पत्र

स्रोतः परिवेश पोर्टल

ऐसे जाली प्रमाण-पत्रों के आधार पर सीआ ने बी2 श्रेणी (0 से 5 हेक्टेयर) के अंतर्गत आठ आवेदकों को अग्रिम पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया (जैसा कि तालिका-4.7 में विस्तृत है) और जि.ख.प., पाकुड़ ने खनन पट्टा प्रदान किया। इन जाली प्रमाण-पत्रों पर पहुंच प्राप्त करने के बाद, पहुंचरियों ने 2022-23 और 2023-24 के बीच अनधिकृत रूप से ₹ 19.88 करोड़ (6.35 लाख घन मीटर x ₹ 313 प्रति घन मीटर) मूल्य के 6.35 लाख घन मीटर के पत्थर (मार्च 2024 तक) की खुदाई की थी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि विभाग ने आवेदक द्वारा परिवेश पोर्टल पर प्रस्तुत दस्तावेजों की तिर्यक-जाँच करने के लिए कोई प्रणाली विकसित नहीं की है, परिणामस्वरूप सीआ द्वारा हेरफेर किए गए दस्तावेजों के आधार पर पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत किया गया था। विभाग मामले की विस्तृत जाँच के लिए दोषी आवेदकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने पर विचार कर सकता है और जि.ख.प. और सीआ के बीच तिर्यक-जाँच प्रणाली स्थापित कर सकता है।

➤ जि.ख.प., साहिबगंज ने 23 नवंबर 2017 को मेसर्स पहाड़िया स्टोन वर्क्स⁹³ को बी2 श्रेणी (0 से 5 हेक्टेयर) के तहत सीआ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने के लिए एक सन्निहित प्रमाण-पत्र जारी किया। सन्निहित प्रमाण-पत्र में कहा गया कि आवंटित पहुंच का क्षेत्र 2.22 हेक्टेयर था और 500 मीटर की परिधि के भीतर मेसर्स पार्वती स्टोन वर्क्स का खनन पट्टा (1.11 हेक्टेयर) था। इस प्रमाण-पत्र के आधार पर, सीआ ने आवेदक को 04 नवंबर 2019 को बी 2 श्रेणी (0 से 5 हेक्टेयर) के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया। साहिबगंज में सन्निहित प्रमाण-पत्र और कार्यरत पट्टों की लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि मेसर्स पार्वती स्टोन वर्क्स के अलावा, मेसर्स एस.एस. ब्लैक स्टोन⁹⁴ का 3.64 हेक्टेयर का एक अन्य खनन पट्टा 500 मीटर की परिधि के भीतर 30 मार्च 2016 से काम कर रहा था। ये दोनों पहुंच (आवेदित पट्टा: मेसर्स पहाड़िया स्टोन वर्क्स और कार्यरत पट्टा: एस.एस. ब्लैक स्टोन) एक ही प्लॉट (प्लॉट सं. 194) पर स्थित थे और एक दूसरे से सटे हुए थे। इस प्रकार, सन्निहित प्रमाण-पत्र में क्लस्टर का क्षेत्र 3.33 हेक्टेयर (1.11 हेक्टेयर + 2.22 हेक्टेयर) के स्थान पर 6.97 हेक्टेयर होना चाहिए था और सीआ को बी2 (0 से 5 हेक्टेयर) श्रेणी के स्थान बी2 (5 से 25 हेक्टेयर) के तहत पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करना चाहिए था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 500 मीटर की परिधि के भीतर कार्यरत पट्टों के उचित सत्यापन के बिना सन्निहित प्रमाण-पत्र जारी किए गए थे, परिणामस्वरूप गलत प्रमाण-पत्र निर्गत किए गए थे।

⁹³ प्लॉट सं. 83, 175, 193 और 194.

⁹⁴ पट्टाधारी कोड- 0620549801, खाता सं. 3, प्लॉट सं. 79 (आं.), खाता सं. 18, प्लॉट सं. 194 (आं.), खाता सं. 11, प्लॉट सं. 198 (आं.), मौजा- बेलभट्टी, अंचल- मंडरो, पट्टा अवधि 30.03.2016 से 29.03.2026 तक।

4.2.2 खनन वाहनों से पहुँच मार्ग को नुकसान

पट्टों के आस-पास के गाँव और बस्तियों पर खनन कार्यों के किसी भी प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने निर्देश दिया (अक्टूबर 2014) कि परियोजना प्रस्तावकों द्वारा सड़कों की वहन क्षमता में उचित रूप से वृद्धि किए बिना मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क से परिवहन की अनुमति नहीं दी जाएगी। पर्यावरण प्रभाव आकलन की शर्तों के अनुसार, भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों के तहत स्थानीय परिवहन अवसंरचना पर खनन परियोजनाओं के प्रभाव (जैसे ट्रक यातायात में अनुमानित वृद्धि, वृद्धिशील भार को संभालने में सड़क नेटवर्क की क्षमता) का आकलन के लिए आवागमन का अध्ययन करना अपेक्षित है।

ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियरों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि खानों के संपर्क मार्ग मूल रूप से ग्रामीण सड़कें थीं, जिनका निर्माण प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) या अन्य योजनाओं के तहत किया गया था। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार, पीएमजीएसवाई सड़कों को यातायात की कम मात्रा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया था, इसलिए, 40 टन तक के वजन वाले वाणिज्यिक वाहन (खनन वाहन) इन सड़कों के लिए उपयुक्त नहीं थे।

चतरा और पलामू जिलों के चार ब्लॉकों⁹⁵ (जहां खदानें और क्रशर केंद्रित थे) में ग्रामीण सड़कों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, 12 पीएमजीएसवाई सड़कें जो दिसंबर 2017 से जुलाई 2022 के दौरान ₹ 39.74 करोड़⁹⁶ के व्यय से बनाई गई थीं, भारी खनन वाहनों के संचालन के कारण निर्माण की तिथि से एक से पाँच वर्ष बाद पूरी तरह से/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पाई गई। अन्य चार जाँचित जिलों⁹⁷ में भी संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि खानों और क्रशरों की पाँच से 10 किमी की परिधि में पहुँच मार्ग क्षतिग्रस्त थी।

⁹⁵ चतरा के टंडवा और हंटरगंज ब्लॉक (₹ 9.64 करोड़ की छह पीएमजीएसवाई सड़कें), पलामू के सतबरवा और छतरपुर ब्लॉक (₹ 30.10 करोड़ की छह पीएमजीएसवाई सड़कें)।

⁹⁶ ग्रामीण कार्य विभाग के अभियेखों के अनुसार।

⁹⁷ चाईबासा, धनबाद, पाकुड़ और साहिबगंज।

चित्र-4.37: चतरा और पलामू ज़िलों में खनन क्षेत्र में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त (भारी खनन वाहनों के चलने के कारण) पीएमजीएसवाई सड़कें	
	
(एनएच 75 से सेहरा तक लिंक रोड), लंबाई-2.9 किमी, सतबरवा पलामू (संयुक्त भौतिक सत्यापन दिनांक 19 मई 2023)	(एनएच 99 को जोड़ने वाली तुलसीपुर से बिशुनपुर तक लिंक रोड) लंबाई-6.10 किमी, हंटरगंज, चतरा (संयुक्त भौतिक सत्यापन दिनांक 17 जून 2023)

4.2.3 खनन गतिविधियों के प्रभाव पर लाभार्थियों की प्रतिक्रिया

नवंबर 2022 और अक्टूबर 2023 के बीच किए गए लाभार्थी सर्वेक्षण के दौरान, लेखापरीक्षा ने खनन गतिविधियों के प्रभाव के बारे में पूछताछ की, और लाभार्थियों (597) से प्राप्त प्रतिक्रियाओं को संक्षेप में निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया है;

- अठारह प्रतिशत (106) ने कहा कि खनन गतिविधियां उनके समुदायिक/ निजी परिसंपत्तियों (जैसे स्कूल, मंदिर, भवन आदि) से 100 से 200 मीटर की दूरी के अंदर की जा रही थी।
- तेंतीस प्रतिशत (194) ने कहा कि उनकी सामुदायिक परिसंपत्तियां (जैसे सड़क, तालाब, खेल का मैदान आदि) खनन गतिविधियों के कारण क्षतिग्रस्त हो गई थीं और शिकायत किया कि नष्ट हुई परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण के लिए कोई परियोजना शुरू नहीं की गई थी।
- जबकि 29 प्रतिशत (171) ने कहा कि खनन गतिविधियों ने उन्हें रोजगार प्रदान किया है, लेकिन 68 प्रतिशत (407) ने शिकायत किया कि पर्यावरण को नुकसान, कृषि क्षेत्र की बर्बादी, जल स्तर कम होने, सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के कारण तथा पुनरुद्धार कार्य न होने के कारण जीवन का स्तर गिर गया था।

4.3 खनिजों का परिवहन

झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण) नियमावली, 2017 (27 जनवरी 2018 को अधिसूचित) के नियम 5(ii) के अनुसार, डीलरों/पट्टेधारियों

(डीम्ड डीलर के रूप में⁹⁸) को डीलर पंजीकरण प्राप्त करने के 60 दिनों के भीतर अपने खनिज ढोने वाले वाहनों (एमसीवी) को अपने आरएफआईडी/जीपीएस या किसी अन्य वाहन ट्रैकिंग विवरण के साथ जिम्स पोर्टल पर पंजीकृत करना आवश्यक था। इसके अलावा, नियमावली के अनुसार, खनिज/अयस्क का परिवहन निम्नलिखित तरीके से किया जाना था।

नियम 9(i, ii) और 10(ii)(a)- पट्टेधारी/डीलर अग्रिम स्वामिस्व के भुगतान के साथ जिम्स के माध्यम से फॉर्म सी/सी1 में एक विशेष स्टैक से विभिन्न माल प्राप्त करने वाले तक खनिज/अयस्क के परिवहन के लिए पारगमन परमिट के लिए आवेदन करेगा।

नियम 9(iii) और 10(ii)(b)- जि.ख.प. आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के अंदर आवेदन किए गए खनिज के स्टैक/ग्रेड का सत्यापन करने के बाद जिम्स के माध्यम से पट्टेधारी/डीलर को विधिवत तैयार किए गए पारगमन परमिट (सी2) स्वीकृत/अस्वीकृत करेगा।

नियम 10(v)(a)- खनिज/अयस्क के परिवहन को सामान्य रूप से चेक गेट/वेब्रिज से गुजरना है ताकि परिवहन की गई मात्रा को सत्यापित किया जा सके। जहाँ भी तौल की सुविधा नहीं थी, वहाँ आयतनात्मक माप के माध्यम से सत्यापन किया जाना था।

किसी विशेष स्टैक के लिए (सी2) में पारगमन परमिट (एक अद्वितीय संख्या) के अनुमोदन के बाद, पट्टेधारी/डीलर को खनिजों/अयस्क के परिवहन के लिए जिम्स के माध्यम से फॉर्म डी (एक अद्वितीय संख्या) में परिवहन चालान उत्पन्न करने के लिए अपेक्षित जानकारी भरनी थी (पारगमन परमिट के विरुद्ध चालान की संख्या किसी विशेष स्टैक को भेजे जाने के लिए पारगमन परमिट में अनुमोदित कुल मात्रा पर निर्भर करती है)

वाहक को परिवहन चालान में निर्दिष्ट स्थान और समय सीमा के संबंध में सूचना का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

स्रोत: झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण) नियमावली, 2017 के नियम 9 और 10

4.3.1 एमसीवी में आरएफआईडी/जीपीएस का प्रावधान न करना

खान एवं भूतत्व विभाग की वेबसाइट में वाहन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, 28 मार्च 2023 तक 72,449 वाहन पंजीकृत थे, लेकिन इनमें से कोई भी वाहन पाँच वर्ष

⁹⁸ यदि कोई व्यक्ति खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम के तहत गठित और समय-समय पर संशोधित खनिज रियायत नियमावली, 1960, 2016 या झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के अंतर्गत वैध खनन पट्टा धारण करता है, तो उसे उसी पट्टे और खनिजों के लिए डीलर के रूप में पंजीकरण करने की छूट दी जाएगी। हालांकि, उसे इन नियमों के उद्देश्य के लिए डीम्ड डीलर माना जाएगा।

बीत जाने के बाद भी आरएफआईडी/जीपीएस या किसी अन्य वाहन ट्रैकिंग प्रणाली से लैस नहीं था।

जाँच के दौरान लेखापरीक्षा ने ऐसे मामलों का अवलोकन किया जहाँ खान एवं भूतत्व विभाग के साथ पंजीकृत एमसीवी, आरएफआईडी/जीपीएस अथवा किसी अन्य वाहन ट्रैकिंग प्रणाली से लैस नहीं थे, जिम्स में परिवहन चालान दर्ज नहीं किए गए थे, अवास्तविक ब्यौरों के साथ कई चालान सृजित किए गए थे इत्यादि। ये मामले, जो खनिजों के परिवहन के लिए एक मजबूत प्रणाली की अनुपस्थिति का संकेत देते हैं, की चर्चा अगले कंडिकाओं में की गई है।

4.3.1.1 खनिजों का अनियमित परिवहन

झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2017 के नियम 10(v)(a) के अनुसार, खनिजों/अयस्कों का समस्त परिवहन सामान्यतः विभाग और/या विभाग के द्वारा अनुमोदित चेक-गेट/वेब्रिज के माध्यम से होगा। परिवहन की गई मात्रा का सत्यापन निर्दिष्ट चेक-गेट/वेब्रिज के माध्यम से किया जाएगा।

- लेखापरीक्षा ने सभी छह नमूना जाँचित जिलों में खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ 29 डीलरों⁹⁹ के परिसरों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया। यह पाया गया कि 29 डीलर परिसरों¹⁰⁰ में से 20 में, वेब्रिज स्थापित किए गए थे, हालांकि, केवल सात डीलरों ने अगस्त 2022 से जुलाई 2023 की अवधि के लिए वेब्रिज प्रतिवेदन¹⁰¹ प्रदान की। शेष 13 मामलों में लेखापरीक्षा, इन प्रतिवेदनों के अभाव में खनिजों के अवैध परिवहन का पता लगाने के लिए परिवहन चालानों की तुलना वेब्रिज प्रतिवेदनों से नहीं कर सकी।
- लेखापरीक्षा ने दो जिलों (पलामू और साहिबगंज) के सात डीलरों के मामले में संबंधित वाहनों के लिए जिम्स में उपलब्ध तिथिवार चालान के साथ वेब्रिज प्रतिवेदन (जैसे वाहन संख्या, तौल की तिथि, खनिज का वजन) में उपलब्ध जानकारी की तुलना की। इन दोनों सूचनाओं की तुलना तालिका-4.8 में विस्तृत है:

⁹⁹ झारखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन और भंडारण निवारण) नियमावली, 2017 के अनुसार, एक डीलर को राज्य के भीतर वाणिज्यिक लाभ के लिए खनिजों की खरीद, भंडारण, विक्रय, परिवहन या प्रसंस्करण में लगे किसी भी व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है।

¹⁰⁰ जिला (डीलर/स्थापित वेब्रिज) चाईबासा: 4/2, चतरा: 5/1, धनबाद: 5/5, पलामू: 8/6, पाकुड़: 2/1 और साहिबगंज: 5/5।

¹⁰¹ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए खनिजों को ले जाने वाले वाहनों के वजन परिणामों वाली प्रतिवेदन।

तालिका-4.8: वेब्रिज प्रतिवेदन और जिम्स में उपलब्ध परिवहन चालान के अनुसार वाहन के वजन की तुलना

वेब्रिज प्रतिवेदन बनाम जिम्स चालान	वाहनों के प्रकार	वाहनों की कुल संख्या	ट्रिप्स की कुल संख्या	परिवहन किए गए खनिज का कुल वजन
जिम्स के साथ मेल खाती हुई वाहन संख्या (परिवहन चालान उपलब्ध) (1)	ट्रक, हाइवा, डम्पर	280	720	18,318.85
जिम्स के साथ मेल नहीं खाती हुई वाहन संख्या (परिवहन चालान उपलब्ध नहीं) (2)		234	1,614	22,442.04
वेब्रिज प्रतिवेदन में वाहन संख्या का उल्लेख नहीं था (परिवहन चालान उपलब्ध नहीं है) (3)	ट्रैक्टर	उपलब्ध नहीं	2,615	11,524.42
कुल (2+3)			4,229	33,966.46
कुल योग (1+2+3)		514	4,949	52,285.31

स्रोत: दो जिलों के सात डीलरों का डेटा (पलामू: अवधि अगस्त 2022 और दिसंबर 2022 और साहिकगंज: जुलाई 2023)।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि 52,285.31 मीट्रिक टन स्टोन-चिप्स/बोल्डर ले जाने वाले वाहनों द्वारा किए गए कुल 4,949 ट्रिप्स में से केवल 720 ट्रिप (14.51 प्रतिशत) में 18,318.85 मीट्रिक टन (35 प्रतिशत) भार के साथ 280 पंजीकृत वाहनों के लिए जिम्स के माध्यम से चालान जारी किए गए थे।

लेखापरीक्षा जाँच से पता चला कि 4,949 ट्रिप्स में से 4,229 ट्रिप्स के लिए जहां जिम्स चालान अनुपलब्ध थे, वाहनों ने 33,966.46 मीट्रिक टन स्टोन-चिप्स/बोल्डर/डस्ट ढोया, जिसमें से 11,524.42 मीट्रिक टन अन्य वाहनों पर ले जाया गया, जिसके लिए वेब्रिज प्रतिवेदन में पंजीकरण संख्या का उल्लेख नहीं किया गया था (जैसे चित्र-4.38 में दिखाए गए ट्रैक्टर), जो खनिजों के परिवहन में अनधिकृत वाहनों के उपयोग को दर्शाता है।



चित्र-4.38: दमदमी, पलामू में पट्टेधारी/डीलर (पट्टेधारी कोड- 0411722401) के बाहर खड़ा बिना पंजीकरण संख्या वाला ट्रैक्टर

वैध चालान के बिना खनिजों का परिवहन और खनिजों के परिवहन के लिए अपंजीकृत वाहनों का उपयोग इसलिए हुआ क्योंकि वाहनों द्वारा की गई सभी ट्रिप्स को वेब्रिज पर तौला नहीं गया था और जिम्स में दर्ज नहीं किया गया था। नतीजतन, इससे यह जोखिम बढ़ गया था कि डीलर बिना उचित चालान के अवैध रूप से पत्थर के चिप्स और डस्ट भेज रहे थे, और इन खनिजों पर स्वामिस्व भुगतान का अपवंचन कर रहे थे।

➤ खान एवं भूतत्व विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, दल ने चार जिलों में पट्टा/डीलरशिप क्षेत्रों के अंदर पत्थर से लदे 28 ट्रकों को देखा। लेखापरीक्षा ने जिम्स पर इन वाहनों के परिवहन चालान रिकॉर्ड को सत्यापित किया और देखा कि जिम्स में 28 वाहनों में से 17 (61 प्रतिशत) के चालान उपलब्ध नहीं थे। वैध चालान के बिना वाहनों द्वारा खनिजों की अनधिकृत आवाजाही अवैध परिवहन का संकेत देती है और सरकारी खजाने के राजस्व के नुकसान को उजागर करती है।

चित्र-4.39 : चालान के बिना पट्टा क्षेत्र के अंदर बोल्डर लदा हुआ ट्रक



मेसर्स श्री गुरु स्टोन वर्क्स, साहिबगंज के पट्टा क्षेत्र के अंदर लदा हुआ ट्रक (JH09S3915)

एमसीसी महादेव कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, पलामू के पट्टा क्षेत्र के भीतर लदा हुआ ट्रक (JH03T1494)

➤ जिम्स के माध्यम से सूजित परिवहन चालानों में खनिजों के विक्रेता और क्रेता का पता, परिवहन किए गए खनिज का प्रकार और मात्रा, सुपुर्दगी का स्थान, वाहन संख्या और उसका मार्ग, सुपुर्दगी की दूरी, चालानों की वैधता की अवधि आदि जैसी महत्वपूर्ण सूचनाएं निहित होती हैं। तथापि, जिम्स में यह सुनिश्चित करने की कोई प्रणाली नहीं थी कि चालानों की वैधता अवधि के अंदर निर्धारित स्थान पर खनिजों की सुपुर्दगी पूरी हो गई है या नहीं।

चार नमूना जाँचित जिलों¹⁰² में सितम्बर 2021 और मार्च 2023 के बीच जारी जिम्स पर उपलब्ध 102 याद्विक चयनित परिवहन चालान के परीक्षण से पता चलता है कि

102 चतरा, धनबाद, पाकुड़ और पलामू।

- 28 वाहनों के मामले में, 35 प्रारंभिक चालान के पश्चात 50 अतिरिक्त चालान जारी किए गए थे जो पिछले चालान की समाप्ति से पूर्व ही जारी किए गए थे। ये बाद के चालान उन्हीं वाहनों के लिए 20 किमी की दूरी पर सुपुर्दगी के लिए 11 मिनट 34 सेकंड से लेकर 250 किमी की दूरी के लिए 1 घंटा 41 मिनट 41 सेकंड के समय अंतराल के साथ जारी किए गए थे, जो अवास्तविक प्रतीत होता है।
- पाँच मामलों में, यह देखा गया कि ये वाहन एक ही तारीख को दो या तीन अलग-अलग मार्गों पर परिचालन में थे, जिनमें 19 मिनट 27 सेकंड से लेकर 2 घंटे 6 मिनट 50 सेकंड तक का समय अंतराल था। पहले और बाद के मार्गों के लिए प्रेषण के स्थानों के बीच 105 किमी से 299 किमी की दूरी के बावजूद, इन वाहनों के परिचालन में होने को दर्ज किया गया था।

दोनों ही मामलों में चालान के दुरुपयोग की संभावना थी। इन अनियमितताओं से संकेत मिलता है कि जिम्स में वैध चालान उत्पन्न करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों का अभाव था। इसके अलावा, वैध चालान के साथ या उसके बिना वाहनों की आवाजाही को अलग करने के लिए अपर्याप्त निगरानी तंत्र ने जिम्स से उत्पन्न चालान के माध्यम से परिवहन प्रणाली को अप्रभावी बना दिया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि केवल खान एवं भूतत्व विभाग के साथ वाहनों को पंजीकृत करना और जिम्स के माध्यम से परिवहन चालान जारी करना अवैध परिवहन का पता लगाने के लिए अपर्याप्त था। वाहन ट्रैकिंग प्रणाली, सीसीटीवी कैमरों से लैस चेक गेट, पट्टा/डीलर क्षेत्रों के अंदर वेब्रिज (सीसीटीवी कैमरों के साथ) की स्थापना और तौल के दौरान जिम्स के माध्यम से वास्तविक समय में चालान उत्पन्न करने के लिए एक अधिक मजबूत प्रणाली की आवश्यकता थी।

4.3.1.2 खनिजों का अवैध परिवहन

लेखापरीक्षा ने (i) पट्टे क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र से अवैध रूप से निकाले गए पत्थर के परिवहन के लिए चालान परिवहन का दुरुपयोग, (ii) पारगमन परमिट/चालान के बिना समाप्त हो चुके पट्टों के खदान स्थल पर पड़े पत्थर के अंतिम स्टॉक का परिवहन, जैसे मामले देखे। ऐसा परिवहन झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 54(6) के तहत खनिजों के दोगुने मूल्य की वसूली जैसी दंडात्मक कार्रवाई को आकृष्ट करता है।

- जिम्स के आंकड़ों के अनुसार, धनबाद में एक पट्टेधारी ने 2016-18 के दौरान 1,98,950 घन फीट पत्थर के बोल्डर के प्रेषण के लिए परिवहन चालान प्राप्त किए और उसके बाद लगातार पत्थर के उत्पादन/प्रेषण के बिना 1,63,625 घन फीट का समापन शेष बनाए रखा। लेखापरीक्षा ने संयुक्त भौतिक सत्यापन (जून 2023) किया और देखा कि भूमि अखंड थी और पट्टे क्षेत्र में कभी भी कोई खनन गतिविधि नहीं की गई थी। इस प्रकार, पट्टेधारी ने अवैध रूप से कहीं और

से निकाले गए पत्थर के बोल्डर का परिवहन के लिए 1,98,950 घन फीट (5,633 घन मीटर) परिवहन चालान का दुरुपयोग किया। इस प्रकार, पट्टेधारी झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 के नियम 54 के अंतर्गत 5,633 घन मीटर पत्थर के बोल्डर के अवैध परिवहन के लिए ₹ 35.26 लाख¹⁰³ अर्थदण्ड के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था।

- आगे, पाकुड़ जिले में दो पट्टे 31 दिसंबर 2019 और 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गए थे, जिनमें 32,57,500 घन फीट का अंतिम भंडार था। (एक मामला: स्टोन मेटल 11,46,580 घन फीट और पत्थर बोल्डर: 13,76,770 घन फीट और अन्य मामला: पत्थर बोल्डर: 7,34,150 घन फीट)। पहले मामले में जि.ख.प. द्वारा पट्टे पर कब्जा नहीं लिया गया था, जबकि दूसरे मामले में, पट्टेधारी द्वारा इसे जि.ख.प. को सौंप दिया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया (13 अक्टूबर 2023 को संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान) कि पहले मामले में केवल 2,11,890 घन फीट स्टोन मेटल और 2,00,000 घन फीट पत्थर बोल्डर पट्टा क्षेत्र के भीतर पड़े थे, जबकि दूसरे मामले में, कोई भी स्टोन मेटल/बोल्डर (07 अक्टूबर 2023 को संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान) खदान स्थल पर नहीं पड़ा था। पहले मामले में पट्टेधारी ने, अवैध रूप से पट्टा क्षेत्र से 21,11,460 घन फीट/ 59,789 घन मीटर (9,34,690 घन फीट स्टोन मेटल और 11,76,770 घन फीट पत्थर बोल्डर) का परिवहन किया था, एवं उपरोक्त नियमावली के नियम 54 के प्रावधानों के तहत ₹ 3.74 करोड़ का अर्थदण्ड देने के लिए उत्तरदायी था, लेकिन जि.ख.प. द्वारा इसे अधिरोपित नहीं किया गया था। इसके अलावा, सौंपे गये खनन पट्टा स्थल से ₹ 65.07 लाख मूल्य का 7,34,150 घन फीट या 20,789 घन मीटर पत्थर बोल्डर को हटाने से रोकने में भी जि.ख.प. विफल रहे।

4.4 अनुशंसाएँ

सरकार:

- लघु खनिजों के खनन योजनाओं के मूल्यांकन हेतु भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) द्वारा जारी खनन योजना मूल्यांकन मैनुअल 2014 की तर्ज पर एक मैनुअल तैयार कर सकती है, जिससे खनन योजनाओं के प्रसंस्करण, परीक्षण एवं जाँच के लिए एक मानकीकृत पद्धति स्थापित की जा सके;
- खनन योजनाओं के साथ डिफरेंशियल ग्लोबल पॉजिशनिंग प्रणाली (डीजीपीएस) सर्वेक्षण द्वारा तैयार पट्टे क्षेत्र के केएमएल फाईल की प्रस्तुति सुनिश्चित कर सकती है, इन फाईलों को सीआ को प्रस्तुत कर उपग्रह चित्रों के माध्यम से केएमएल फाईलों के संग्रहण को अद्ययन कर सकती है और खनन योजनाओं में प्रस्तावित प्रगामी खान समापन योजना को लागू कर सकती है। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर सकती है कि अंतिम खान समापन योजना पट्टाधारियों द्वारा

¹⁰³ ₹ 626 प्रति घन मीटर की दर से।

प्रस्तुत की जाए और इसके क्रियान्वयन के लिए जि.ख.प. द्वारा अनुमोदित किया जाए;

- विस्तृत जाँच कर यह सुनिश्चित कर सकती है कि कम प्रतिवेदित खनिजों के उत्खनन की वास्तविक मात्रा का आकलन किया जाए तथा झा.ल.ख.स. नियमावली, 2004 में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एमसीडीआर), 2017 के नियम 34A की तर्ज पर पूरे राज्य में लघु खनिज पट्टों का ड्रॉन सर्वेक्षण करने का प्रावधान कर सकती है ताकि पट्टाधारियों द्वारा अधिक उत्खनन की जाँच की जा सके और उसके अनुरूप अर्थदण्ड लगाया जा सके;
- खान एवं भूतत्व विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (सीआ), केंद्रीय भूजल बोर्ड और झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बीच समन्वय स्थापित कर सकती है, ताकि खनन योजनाओं एवं पर्यावरणीय स्वीकृतियों की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके;
- खनन गतिविधियों के कारण क्षातिग्रस्त परिसंपत्तियों की पहचान और पुनर्निर्माण/पुनरुद्धार के लिए आवधिक सर्वेक्षण की प्रणाली को लागू कर सकती है;
- खनिजों के परिवहन से संबंधित सभी पहलुओं (तौल, ट्रैकिंग, अनुश्रवण इत्यादि) को एकीकृत करने वाली एक समग्र प्रणाली लागू कर सकती है जिससे खनिजों के अवैध परिवहन की प्रभावी अनुश्रवण एवं रोकथाम की जा सके; और
- डीलरों/पट्टा के क्षेत्रों में वेब्रिज की स्थापना सुनिश्चित कर सकती है, जिनमें प्रमाणिक रूप से तौल डेटा को वास्तविक समय में परिवहन चालान संप्रेषित करने की सुविधा उपलब्ध हो।

अध्याय 5

निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या वैज्ञानिक खनिज अन्वेषण और खनिज संसाधनों के आकलन की सुविधा के लिए उपयुक्त प्रणाली अपनाई जा रही थी; लागू प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टे/अनुजप्ति स्वीकृत, नवीकृत, समर्पित या निरस्त किए गए थे; राज्य में खानों और खनिजों का प्रबंधन पर्याप्त और प्रभावी था इत्यादि। निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए छह ज़िला खनन कार्यालयों के अतिरिक्त झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (जेएसएमडीसी) को विस्तृत जाँच के लिए चुना गया था।

लेखापरीक्षा के समापन के बाद, 22 जुलाई 2024 को सचिव, खान और भूत्त्व विभाग, झारखण्ड सरकार के साथ एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सरकार के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा अवलोकनों पर चर्चा की गई। विभाग ने सूचित किया कि अवलोकनों/सुझावों से संबंधित डेटा का सत्यापन किया जा रहा है और विस्तृत उत्तर जाँच के बाद प्रस्तुत किए जाएंगे। हालांकि, कई स्मारपत्रों के बावजूद कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जुलाई 2025)।

विभाग ने लघु अंतराल अवधि (मार्च 2017, फरवरी 2018, मार्च 2019 और सितंबर 2020) में खनन पट्टों के प्रदान/नवीकरण/विस्तार के प्रावधानों में बार-बार संशोधन किया, जिससे संशोधित प्रावधानों की व्याख्या में अस्पष्टता पैदा हुई। विभाग यह सुनिश्चित करने हेतु कोई नियन्त्रण और संतुलन प्रणाली स्थापित नहीं कर सका जिससे उपायुक्त उनकी योग्यता से परे पट्टे प्रदान न कर सकें। विभाग के पास नए पट्टों की स्वीकृति के दौरान चूककर्ताओं की पहचान करने और भूमि उपयोग की प्रकृति का पता लगाने के लिए कोई प्रणाली नहीं थी, परिणामस्वरूप वन भूमि पर खनन पट्टे प्रदान किए गए थे। परिणामस्वरूप, ये मामले अंततः राज्य में खनन पट्टों के अनियमित स्वीकृति/नवीकरण/विस्तार का कारण बने।

नीलामी की प्रगति 2018-23 के दौरान बहुत धीमी थी जिसमें केवल 3.77 प्रतिशत (292 ब्लॉकों में से 11) खनिज ब्लॉकों की नीलामी पूर्ण हुई। संभावित संसाधनों वाले लघु खनिज ब्लॉक निष्क्रिय रहे, परिणामस्वरूप राजस्व अवरोधित हुआ।

जटिल खनन प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित खनिज प्रशासन प्रणाली, झारखण्ड एकीकृत खान और खनिज प्रबंधन प्रणाली (जिम्स) की शुरूआत की गयी। तथापि महत्वपूर्ण अभिलेखों/सूचना/डेटा की अनुपलब्धता के कारण अभिलेखों का स्वचालन अपूर्ण पाया गया।

डीएमएफटी अंशदान सहित ₹ 7.53 करोड़ के स्वामिस्व का अल्पारोपण, ₹ 2.23 करोड़ के नियत लगान का गैर/कम उद्ग्रहण इत्यादि के कारण राजस्व का रिसाव हुआ। पुनः अधिनियम, नियमावलियों और विभागीय निर्देशों के प्रावधानों के गैर-अनुपालन के कारण पट्टेधारियों से ₹ 205.21 करोड़ के अर्थदण्ड की वसूली नहीं की गयी।

बालू घाटों का प्रबंधन

झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम को 2017-22 के दौरान राज्य के अंदर 608 वाणिज्यिक बालू घाटों को परिचालित करने का शासनादेश था। जेएसएमडीसी ने 389 बालू घाटों को परिचालन करने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन यह केवल 21 घाटों (यानि घाटों का 3.45 प्रतिशत) का परिचालन कर सका। इसके कारणों में, खनन योजनाओं को ससमय तैयारी सुनिश्चित नहीं करना और पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान करने के लिए राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (सीआ) को प्रस्तावों को प्रस्तुत करने में विलंब सम्मिलित था। गैर-परिचालित 368 घाटों के कारण, राज्य सरकार को इन घाटों (जिनका क्षेत्रफल 9,782.55 एकड़ था) से ₹ 70.92 करोड़ की संभावित हानि हुई। परिचालन दक्षता में कमी के कारण वांछित उत्पादन का केवल 28.53 से 31.50 प्रतिशत तक उत्पादन के कारण जेएसएमडीसी को 2018-22 के दौरान ₹ 32.30 लाख की वित्तीय हानि हुई थी।

खनन योजनाओं का अनुमोदन और कार्यान्वयन

अनुमोदित खनन योजनाओं में अविश्वसनीय सूचनाएं निहित थी जैसे कि त्रुटिपूर्ण सतह योजनाएँ, सीमा स्तंभों के त्रुटिपूर्ण भू-निर्देशांक, अतिच्छादित पट्टा क्षेत्र, खनन योग्य और गैर-खनन योग्य भंडार का त्रुटिपूर्ण अनुमान, भूजल स्तर का त्रुटिपूर्ण अनुमान शामिल था। अन्य जिलों में तैनात अधिकारियों द्वारा 54 प्रतिशत खनन योजनाओं को अनुमोदित किया गया था, जो नामित अधिकारी नहीं थे, जबकि नौ खनन योजनाओं को उसी दिन या प्रस्तुतीकरण के अगले दिन अनुमोदित किया गया था, जो यथोचित उद्यम की कमी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि पट्टे के गैर-खनन योग्य क्षेत्र में खनन एक सामान्य और व्यापक रूप से प्रचलन में था। अनुमेय सीमा की तुलना में अनुमानित अतिरिक्त उत्खनन किया गया था, जिस पर 13 पत्थर के पट्टों में अनुमानित 93.53 लाख घन मीटर पत्थर की खुदाई की गई थी, जो प्रतिवेदित नहीं की गई। इन 13 पट्टों में खनिज के अधिक उत्खनन का संभावित वित्तीय प्रभाव ₹ 292.75 करोड़ (93.53 लाख घन मीटर) अनुमानित था।

प्रस्तावित खनन योजनाओं के गतिविधियों से विचलन, खदानों में बैंचों का गैर-अस्तित्व तथा तीक्ष्ण पार्श्व दीवारें, कम वृक्षारोपण सहित सुरक्षा अवरोधों में कमी एवं गैर-खनन योग्य संसाधनों के उत्खनन के मामले सामने आए थे।

नमूना जाँचित जिलों में 2017-22 के दौरान खान एवं भूतत्व विभाग मौजूदा लघु खनिज पट्टों का केवल 0.68 से 3.17 प्रतिशत प्रशाखीय मापी कर सका और उनके पास उत्खनन के अनुश्रवण के लिए यूएवी जैसे आधुनिक उपकरणों की कमी थी जिसके कारण प्रगामी खान समापन योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित नहीं कर सका। नमूना जाँचित मामलों में अंतिम खान समापन योजनाएं प्रस्तुत नहीं की गई।

पट्टा क्षेत्रों में प्रटूषण के स्तर के अनुश्रवण के लिए वायु, जल, ध्वनि अनुश्रवण केंद्र स्थापित नहीं पाए गए। वित्तीय आश्वासन में गैर-संशोधन, वित्तीय आश्वासन के गैर-प्रस्तुतीकरण, व्यपगत बैंक गारंटियों और वित्तीय आश्वासन की गैर-जब्ती के कारण सुधार, और पुनरुद्धार के लिए पट्टेधारियों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन अपर्याप्त था।

पर्यावरणीय स्वीकृति

राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (सीआ), झारखण्ड पर्यावरणीय स्वीकृति निर्गत करने हेतु मुख्य रूप से खनन योजना पर निर्भर था। सीआ पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों को लागू करने में असमर्थ था और उपग्रह चित्रों तथा संयुक्त भौतिक सत्यापन जैसी पद्धतियों के माध्यम से अनुश्रवण नहीं किया था।

विभागों के मध्य समुचित समन्वय के अभाव के कारण आवेदकों को आठ मामलों में जाली सन्निहित प्रमाण-पत्र पर पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने में सक्षम होने का अवसर मिला।

खनन गतिविधियों के कारण सामुदायिक परिसम्पत्तियां (जैसे सड़कें, तालाब, खेल के मैदान आदि) क्षतिग्रस्त हो गई थीं और नष्ट हुई परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण/जीर्णोद्धार कार्य नहीं किया गया था। सड़क नेटवर्क पर खनन गतिविधियों के प्रभाव के विश्लेषण के अभाव में भारी खनन वाहनों के संचालन के कारण ₹ 39.74 करोड़ की 12 पीएमजीएसवाई सड़कें पूर्णतः/आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थीं।

खनिजों का परिवहन

खान एवं भूतत्व विभाग ने 28 मार्च 2023 तक 72,449 वाहनों को पंजीकृत किया, लेकिन पाँच वर्ष के व्यतीत होने के बाद भी इनमें से कोई भी वाहन रेडियो फ्रीकर्वेसी आइडेंटिफिकेशन/ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (आरएफआईडी/जीपीएस) या किसी अन्य वाहन ट्रैकिंग प्रणाली से लैस नहीं था। विभाग वाहनों की अनधिकृत आवाजाही, अधिक भार का वहन, अपंजीकृत वाहनों पर परिवहन आदि का पता लगाने के लिए व्यापक प्रणालियों के अभाव में परमिट और चालान प्रणाली पर निर्भर रहा।

खनिजों के परिवहन हेतु विद्यमान प्रणाली खनिजों के अवैध परिवहन को रोकने का आश्वासन प्रदान करने में असफल रही। लेखापरीक्षा ने स्टोन चिप्स के सात डीलरों के वेब्रिज प्रतिवेदनों के नमूना जाँच में पाया कि 85 प्रतिशत मामलों में जिम्स चालान उपलब्ध नहीं थे। 28 वाहनों के मामले में, 35 प्रारंभिक चालानों की

वैधता समाप्ति से पूर्व ही 50 अतिरिक्त चालान निर्गत किये गये। समाप्त हो चुके पट्टा क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों के अंतिम भंडार के अवैध परिवहन के अनुश्रवण/पता करने का कोई तंत्र विद्यमान नहीं था।

१-३ अगस्त २०२५

राँची

(इंदु अग्रवाल)

दिनांक: 27 सितम्बर 2025

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

२०२५

नई दिल्ली

(के. संजय मूर्ति)

दिनांक: 08 अक्टूबर 2025

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-2.1

(कंडिका 2.1.3 में संदर्भित)

अपर्याप्त दस्तावेजों के आधार पर पट्टा प्रदान किया गया

क्र. सं.	जिला	आवेदक का नाम	आवेदन की अंतिम तिथि	मौजा/रकवा	संलग्न दस्तावेज	संलग्न दस्तावेजों में कमियां
1	चाईबासा	मेसर्स सी.टी.एस इन्डस्ट्रीज	26.09.2015	पूर्तीदीघीया/ 11.75 एकड़	दो शपथ पत्र एवं अद्यतन आर.सी.सी	शपथ पत्र में नियम 9 (1)(ज)(6 & 7) का आंशिक अन्तर्वर्स्तु था।
2			26.09.2015	पदापहाड़/ 5.00 एकड़		
3			26.09.2015	पदापहाड़/ 10.00 एकड़		
4		मेसर्स इजहार करीम	11.06.2015	पदापहाड़/ 2.50 एकड़	केवल एक शपथ-पत्र	शपथ पत्र में नियम 9(1)(ज)(7) का आंशिक अन्तर्वर्स्तु था। आर.सी.सी. संलग्न नहीं था।
5	चतरा	मेसर्स चटनिया माईस	17.05.2019	चटनिया/ 7.00 एकड़	केवल एक शपथ-पत्र	शपथ पत्र में नियम 9(1)(ज)(7) का आंशिक अन्तर्वर्स्तु था। आर.सी.सी. संलग्न नहीं था। सहभागी फर्म से संबंधित पैन या आयकर घोषणा संलग्न नहीं किया गया था।
6		मेसर्स जयशंकर स्टोन वर्क्स	22.04.2014	दलकोमा/ 1.76 एकड़	एक शपथ-पत्र एवं आर. सी. सी.	शपथ पत्र में नियम 9 (1)(ज)(7) का आंशिक अन्तर्वर्स्तु था।
7			01.06.2015	अकटा/ 9.00 एकड़		
8		मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स	05.04.2014	दलकोमा/ 10.00 एकड़	केवल एक शपथ-पत्र	शपथ पत्र में नियम 9 (1)(ज)(7) का आंशिक अन्तर्वर्स्तु था। आर.सी.सी. संलग्न नहीं था। आवेदक प्रा.लि.क. का निदेशक था लेकिन न तो पैन न ही कम्पनी के द्वारा आयकर भुगतान से संबंधित घोषणा प्रस्तुत किया गया था।

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिला	आवेदक का नाम	आवेदन की अंतिम तिथि	मौजा/रकवा	संलग्न दस्तावेज़	संलग्न दस्तावेजों में कमियां
9	धनबाद	रामेश्वर महतो	19.12.2020	दूधिया/ 7.00 एकड़	एकल शपथ-पत्र संलग्न	घोषणा किया कि उनके नाम से बोकारो में पट्टा था लेकिन चालू वर्ष 2019-20 के लिए आर.सी.सी. संलग्न नहीं किया गया था उसके स्थान पर 2016 में जिला खनन पदाधिकारी बोकारो द्वारा निर्गत आर.सी.सी संलग्न किया गया था।
10		मनमोहन गोवर एवं अंकुश गोवर	17.03.2021	सलपतरा/ 7.32 एकड़	प्रत्येक सहभागी का एकल शपथ-पत्र संलग्न	अंकुश गोवर के नाम से पहले से 9.00 एकड़ क्षेत्रफल पर एक खनन पट्टा था लेकिन आवेदन में उसने इस तथ्य को छुपा लिया और साथ ही अपने शपथ पत्र में उस कॉलम को खाली छोड़ दिया। अतः उनका शपथ-पत्र गलत था।
11		असित कु मंडल एवं आजाद अंसारी	02.03.2016	गरगा/ 3.90 एकड़	प्रत्येक सहभागी का एकल शपथ-पत्र संलग्न	आजाद अंसारी ने दिनांक 02.03.2016 के शपथ-पत्र में घोषित किया कि उनके नाम से जामताड़ा में खनन पट्टा है लेकिन आर.सी.सी संलग्न नहीं किया।
12			20.02.2016	गरगा/ 7.00 एकड़		आजाद अंसारी ने घोषित किया कि उसके नाम से खनन पट्टा नहीं है और न खनन बकाया लेकिन दिनांक 02.03.2016 के आवेदन (पट्टा क्र. सं. 11) में उसने घोषित किया था कि उसके नाम से जामताड़ा में खनन पट्टा है। जिम्स डाटाबेस में एक खनन पट्टा उसके नाम से जामताड़ा में था। शपथ पत्र गलत था।
13			26.02.2016	गरगा/ 7.85 एकड़		
14		मेसर्स मॉ अम्बे स्टोन	29.03.2016	दोलाबरा/ 1.05 एकड़	एकल शपथ-पत्र संलग्न	शपथ पत्र में केवल नियम 9 (1)(ज)(7) का आंशिक अन्तर्वस्तु था। घोषणा किया कि कोई खनन पट्टा नहीं है लेकिन आर.सी.सी. समर्पित नहीं किया।
15	पाकुड़	मेसर्स बजरंग स्टोन वर्क्स	05.02.2016	सुरैयाडीह/ 6.43 एकड़	एक सहभागी का केवल एक शपथ-पत्र	शपथ पत्र में केवल नियम 9(1)(ज)(7) का आंशिक अन्तर्वस्तु था। आवेदित भूमि का सतही अधिकार संयुक्त रूप से दिलीप कुमार भगत और सोमराय भगत के नाम था लेकिन अन्य सहभागी का शपथ पत्र संलग्न नहीं किया गया था। आर.सी.सी. संलग्न नहीं था। फर्म का परिचय पत्र संलग्न नहीं था।

क्र. सं.	जिला	आवेदक का नाम	आवेदन की अंतिम तिथि	मौजा/रकवा	संलग्न दस्तावेज	संलग्न दस्तावेजों में कमियां
16	पाकुड़	मेसर्स ब्लैक डायमंड स्टोन	29.12.2016	बेलपहाड़ी/ 10.36 एकड़	फर्म/कम्पनी का शपथ-पत्र संलग्न नहीं	शपथ पत्र में केवल नियम 9(1)(ज)(7) का आंशिक अन्तर्वर्स्तु था। फर्म का परिचय पत्र संलग्न नहीं था।
17		मेसर्स सिग्नेट स्टोन वर्क्स	21.09.2016	जियाजोरी/ 05.83 एकड़	केवल एक सहभागी का एक शपथ-पत्र	शपथ पत्र में केवल नियम 9(1)(ज)(7) का आंशिक अन्तर्वर्स्तु था। अन्य सहभागी का शपथ पत्र संलग्न नहीं था। कोई आर.सी.सी. संलग्न नहीं। फर्म का परिचय पत्र संलग्न नहीं था।
18		मेसर्स साहिल स्टोन वर्क्स	07.01.2020	बलियापतरा/ 4.63 एकड़	वैयक्तिक पैन संलग्न	फर्म का पैन संलग्न नहीं था।
19	पलामू	मेसर्स मॉ स्टोन वर्क्स	31.01.2020	दमदमी/ 12.00 एकड़	एकल शपथ-पत्र	शपथ पत्र में केवल नियम 9(1)(ज)(7) का आंशिक अन्तर्वर्स्तु था। कोई आर.सी.सी. संलग्न नहीं था।
20	साहिबगंज	मेसर्स ओ.पी. स्टोन वर्क्स	09.09.2017	सुदारे/ 7.00 एकड़	एकल शपथ-पत्र	शपथ पत्र में केवल नियम 9 (1)(ज)(7) का आंशिक अन्तर्वर्स्तु था। कोई आर.सी.सी. संलग्न नहीं था।
21		मेसर्स मॉ रक्षी स्टोन वर्क्स	3.01.2020	भुतहा/ 3.15 एकड़	एकल शपथ-पत्र एवं आर.सी.सी	शपथ पत्र में केवल नियम 9 (1)(ज)(6) का आंशिक अन्तर्वर्स्तु था।
22		मेसर्स एस.बी. स्टोन वर्क्स	16.07.2018	पिपरजोरी/ 12.10 एकड़		
23		मेसर्स मीनाक्षी स्टोन वर्क्स	26.07.2017	डेम्बा/ 10.00 एकड़	एकल शपथ-पत्र	शपथ पत्र में केवल नियम 9(1)(ज)(6) का आंशिक अन्तर्वर्स्तु था। कोई आर.सी.सी. संलग्न नहीं था।
24		मेसर्स महारानी स्टोन वर्क्स	28.08.2017	डेम्बा/ 08.10 एकड़		
25		मेसर्स मीरा पहाड़ स्टोन वर्क्स	31.12.2016	मीरापहाड़/ 9.00 एकड़	एकल शपथ-पत्र एवं आर.सी.सी	शपथ पत्र में केवल नियम 9(1)(ज)(6) का आंशिक अन्तर्वर्स्तु था।

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	जिला	आवेदक का नाम	आवेदन की अंतिम तिथि	मौजा/रकवा	संलग्न दस्तावेज	संलग्न दस्तावेजों में कमियां
26	साहिबगंज	मेसर्स अभि स्टोन वर्क्स	31.08.2017	रोहरे/ 12.00 एकड़	एकल शपथ-पत्र	शपथ पत्र में केवल नियम 9 (1)(ज)(6) का आंशिक अन्तर्वस्तु था। कोई आर.सी.सी. संलग्न नहीं था।
27		मेसर्स महाकाल स्टोन वर्क्स	04.01.2021	गिलमारी/ 6.25 एकड़		
28		मेसर्स आर.बी स्टोन वर्क्स	28.08.2017	मयूरकोला/ 11.25 एकड़		
29		मेसर्स काशी बिल्डर्स & सर्विस प्रा. लि.	02.03.2019	जोकमारी/ 7.00 एकड़		
30		मेसर्स श्री गुरु स्टोन वर्क्स	16.06.2017	धृत्तापाड़ा/ 10.57 एकड़	एकल शपथ-पत्र एवं आर.सी.सी.	शपथ पत्र में केवल नियम 9 (1)(ज)(6) का आंशिक अन्तर्वस्तु था।

परिशिष्ट-2.2

(कंडिका 2.2.3 में संदर्भित)

खनन पट्टा अवधि का अनियमित विस्तारीकरण

क्र. सं	ज़िला	पट्टा की विवरणी	भूमि का प्रकार	मूल पट्टा की अवधि	विस्तारीकरण के लिए आवेदन की तिथि	विस्तारीकरण की स्वीकृति की तिथि	तक विस्तारित	संक्षिप्त अवलोकन
1	चाईबासा	श्री अजय कुमार मौजा - गुनिंदजोरा क्षेत्रफल - 4.00 एकड़	सरकारी भूमि	20.12.2009 से 19.12.2019	12.10.2019 एवं 04.11.2020	26.12.2019 एवं 18.12.2020	31.03.2020 एवं 31.03.2022	
2	धनबाद	तेज नारायण सिंह मौजा - केशका, खात सं - 42, प्लॉट नं. 21(आं), क्षेत्रफल - 3.00 एकड़	सरकारी भूमि	22.03.2009 से 21.03.2019	12.12.2018 (प्रथम विस्तारीकरण) और 21.10.2020 (दूसरा विस्तारीकरण)	23.01.2019 एवं 08.12.2020	31.03.2020 एवं 31.03.2022	
3		तेज नारायण सिंह मौजा - केशका, खात सं - 42, प्लॉट नं. 21(आं), क्षेत्रफल - 2.80 एकड़	सरकारी भूमि	17.09.2010 से 16.09.2020	31.08.2020 (नवीकरण)	08.04.2021	31.03.2022	नवीकरण आवेदन 02 मार्च 2017 या 19 फरवरी 2018 से पहले लंबित नहीं था, इसलिए विस्तार स्वीकार्य नहीं था।
4		गयासुद्धीन अंसारी मौजा - मर्हा, खाता सं 20, प्लॉट सं. 386(आं), क्षेत्रफल - 3.5 एकड़	सरकारी भूमि	06.11.2008 से 05.11.2018	25.06.2018 (नवीकरण) एवं 23.12.2020	17.11.2018 एवं 28.12.2020	31.03.2020 एवं 31.03.2022	

ज्ञारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं	ज़िला	पट्टा की विवरणी	भूमि का प्रकार	मूल पट्टा की अवधि	विस्तारीकरण के लिए आवेदन की तिथि	विस्तारीकरण की स्वीकृति की तिथि	तक विस्तारित	संक्षिप्त अवलोकन
5	धनबाद	मेसर्स महालक्ष्मी इन्डस्ट्रीज मौजा- मर्हा, खाता सं 20, प्लॉट सं-386(आं.), क्षेत्रफल - 5.00 एकड़	सरकारी भूमि	13.06.2010 से 12.06.2020	11.02.2021 (विस्तारीकरण)	08.04.2021	31.03.2022	नवीकरण आवेदन 02 मार्च 2017 या 19 फरवरी 2018 से पहले लंबित नहीं था, इसलिए विस्तार स्वीकार्य नहीं था।
6		मेसर्स महालक्ष्मी इन्डस्ट्रीज मौजा- मर्हा, खाता सं 20, प्लॉट सं-386(आं.), क्षेत्रफल - 3.00 एकड़	सरकारी भूमि	12.12.2008 से 11.12.2018	11.08.2018 (नवीकरण) एवं 22.10.2020 (विस्तारीकरण)	20.11.2018 एवं 26.11.2020	31.03.2020 एवं 31.03.2022	
7	धनबाद	अमित कुमार मंडल मौजा - मर्हा, खाता सं. 20, प्लॉट सं-386(आं.), क्षेत्रफल - 6.00 एकड़	सरकारी भूमि	03.01.2009 से 02.01.2019	08.10.2018 (नवीकरण) एवं 20.10.2020 (विस्तारीकरण)	06.12.2018 एवं 04.11.2020	31.03.2020 एवं 31.03.2022	नवीकरण आवेदन 02 मार्च 2017 या 19 फरवरी 2018 उससे पहले से लंबित नहीं था, इसलिए विस्तार स्वीकार्य नहीं था।
8		मेसर्स शिवाय इन्टरप्राइजेज मौजा- सलपतरा, खाता सं 78, प्लॉट सं- 423, 425(आं.), क्षेत्रफल-2.44 एकड़	सरकारी भूमि	05.12.2011 से 04.12.2021	29.06.2021	12.01.2022	31.03.2022	
9		कमलाकर मंडल एवं तारापद मंडल, मौजा-निपनिया, खाता सं 54, प्लॉट सं 01(आं.), क्षेत्रफल- 2.00 एकड़	सरकारी भूमि	27.10.2008 से 26.10.2018	04.06.2018 (नवीकरण) और 05.01.2021 (विस्तारीकरण)	16.10.2018 एवं 27.01.2021	31.03.2020 एवं 31.03.2022	

क्र. सं	ज़िला	पट्टा की विवरणी	भूमि का प्रकार	मूल पट्टा की अवधि	विस्तारीकरण के लिए आवेदन की तिथि	विस्तारीकरण की स्वीकृति की तिथि	तक विस्तारित	संक्षिप्त अवलोकन
10	धनबाद	प्रदीप कुमार सिंह, मौजा - केशका, खाता सं. 42, प्लॉट सं. 21(आं.), क्षेत्रफल - 3.50 एकड़,	सरकारी भूमि	28.12.2008 से 27.12.2018	11.07.2018 (नवीकरण) और 21.10.2020 (विस्तारीकरण)	04.01.2019 एवं 08.12.2020	31.03.2020 एवं 31.03.2022	नवीकरण आवेदन 02 मार्च 2017 या 19 फरवरी 2018 उससे पहले से लंबित नहीं था, इसलिए विस्तार स्वीकार्य नहीं था।
11		असित कुमार मंडल एवं जगदीश सिंह मौजा - मर्हा, खाता सं 20, प्लॉट सं - 386(आं.), क्षेत्रफल - 3.50 एकड़	सरकारी भूमि	05.11.2008 से 04.11.2018	29.06.2018 (नवीकरण) और 20.10.2020 (विस्तारीकरण)	17.11.2018 एवं 04.11.2020	31.03.2020 एवं 31.03.2022	
12	पाकुड़	आरती मध्यान मौजा - खपराजोला, क्षेत्रफल - 3.14 हेक्टेयर	निजी/रेयती भूमि	24.05.2010 से 23.05.2020	30.12.2020	29.01.2021	31.03.2022	
13	पाकुड़	आरती मध्यान मौजा - पीपलजोरी, क्षेत्रफल - 3.215 हेक्टेयर	निजी/रेयती भूमि	19.02.2011 से 18.02.2021	30.12.2020	08.03.2021	31.03.2022	नवीकरण आवेदन 02 मार्च 2017 या 19 फरवरी 2018 से पहले लंबित नहीं था, इसलिए विस्तार स्वीकार्य नहीं था।

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं	ज़िला	पट्टा की विवरणी	भूमि का प्रकार	मूल पट्टा की अवधि	विस्तारीकरण के लिए आवेदन की तिथि	विस्तारीकरण की स्वीकृति की तिथि	तक विस्तारित	संक्षिप्त अवलोकन
14	पाकुड़	मेसर्स जियाल दास एवं कम्पनी मौजा - मालपहाड़ी, क्षेत्रफल - 1.06 हेक्टेयर	निजी/रेयती भूमि	25.08.2004 से 24.08.2014	11.01.2021	07.11.2017 एवं 16.09.2021	31.03.2020 एवं 31.03.2022	नियम 23(2)(च) के प्रावधान के तहत नवीकरण आवेदन को 24.11.2014 को पहले ही अस्वीकृत माना जा चुका है। इसलिए, इस मामले में नवीकरण आवेदन 02.03.2017 को लंबित नहीं था। इसलिए, विस्तार स्वीकार्य नहीं था।
15		मेसर्स लखमनी स्टोन प्रोडक्ट्स मौजा - पीपलजोरी क्षेत्रफल - 4.767 हेक्टेयर	निजी/रेयती भूमि	20.08.2010 से 19.08.2020	07.10.2020	02.12.2020	31.03.2022	
16		मेसर्स रोहित राजदेव एवं अन्य मौजा - बहीरग्राम, क्षेत्रफल - 0.437 हेक्टेयर	निजी/रेयती भूमि	12.06.2011 से 11.06.2021	11.05.2021	14.06.2021	31.03.2022	नवीकरण आवेदन 02 मार्च 2017 या 19 फरवरी 2018 से पहले लंबित नहीं था, इसलिए विस्तार स्वीकार्य नहीं था।
17		मेसर्स माँ तारा स्टोन वर्क्स, मौजा - सुराईडीह, क्षेत्रफल- 1.133 हेक्टेयर	निजी/रेयती भूमि	07.06.2010 से 06.06.2020	09.11.2020	09.12.2020	31.03.2022	

क्र. सं	ज़िला	पट्टा की विवरणी	भूमि का प्रकार	मूल पट्टा की अवधि	विस्तारीकरण के लिए आवेदन की तिथि	विस्तारीकरण की स्वीकृति की तिथि	तक विस्तारित	संक्षिप्त अवलोकन
18	पाकुड़	मेसर्स एस. के. दत्ता & कम्पनी मौजा - मालपहाड़ी क्षेत्रफल - 0.809 हेक्टेयर	निजी/रेयती भूमि	01.03.2001 से 28.02.2011	11.11.2020	26.09.2018 एवं 27.11.2020	31.03.2020 एवं 31.03.2022	नियम 23(2)(च) के प्रावधान के तहत नवीकरण आवेदन को 28.05.2011 को पहले ही अस्वीकृत माना जा चुका है। इसलिए, इस मामले में नवीकरण आवेदन 02.03.2017 को लंबित नहीं था। इसलिए, विस्तार स्वीकार्य नहीं था।
19		मेसर्स सौरा कंस्ट्रक्शन, मौजा - विशनपुर क्षेत्रफल - 1.299 हेक्टेयर	निजी/रेयती भूमि	01.04.2010 से 31.03.2020	11.11.2020	02.12.2020	31.03.2022	नवीकरण आवेदन 02 मार्च 2017 या 19 फरवरी 2018 से पहले लंबित नहीं था, इसलिए विस्तार स्वीकार्य नहीं था।
20		हीरा लाल भक्त, मौजा - कान्हपुर, क्षेत्रफल - 2.764 हेक्टेयर	निजी/रेयती भूमि	31.08.2010 से 30.08.2020	10.11.2020	12.01.2021	31.03.2022	
21		मेसर्स छाबरिया इंजीनियरिंग कम्पनी मौजा - पीपलजोरी क्षेत्रफल - 2.29 हेक्टेयर	निजी/रेयती भूमि	01.07.2010 से 30.06.2020	06.02.2021	10.03.2021	31.03.2022	

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं	ज़िला	पट्टा की विवरणी	भूमि का प्रकार	मूल पट्टा की अवधि	विस्तारीकरण के लिए आवेदन की तिथि	विस्तारीकरण की स्वीकृति की तिथि	तक विस्तारित	संक्षिप्त अवलोकन
22	पत्तामू	अमित कुमार सिन्हा, मौजा - बोहिता खाता सं 237, प्लॉट सं. 317(आं.), क्षेत्रफल - 9.00 एकड़	सरकारी भूमि	25.02.2009 से 24.02.2019	29.10.2018 (नवीकरण) एवं 03.11.2020, 23.11.2020 एवं 10.12.2020 (विस्तारीकरण)	07.03.2019 एवं 04.01.2021	31.03.2020 एवं 31.03.2022	नवीकरण आवेदन 02 मार्च 2017 या 19 फरवरी 2018 से पहले लंबित नहीं था, इसलिए विस्तार स्वीकार्य नहीं था।
23		फजले करीम मौजा - बकोरिया, खाता सं 555, प्लॉट सं. 4348 एवं 4381(आं.), क्षेत्रफल - 2.10 एकड़	सरकारी भूमि	17.07.2009 से 16.07.2019	25.03.2021	14.05.2021	31.03.2022	
24		मेसर्से जय माँ काली इन्टरप्राइज मौजा - बोहिता, खाता सं. 237, प्लॉट सं-317(आं.), क्षेत्रफल - 3.78 एकड़	सरकारी भूमि	24.07.2011 से 23.07.2021	24.05.2021	26.06.2021	31.03.2022	
25		उदय कुमार सिंह मौजा - छप्परवार, खाता सं 91, प्लॉट सं-128(आं.), क्षेत्रफल - 6.00 एकड़	सरकारी भूमि	14.07.2011 से 13.07.2021	12.04.2021	07.06.2021	31.03.2022	

क्र. सं	ज़िला	पट्टा की विवरणी	भूमि का प्रकार	मूल पट्टा की अवधि	विस्तारीकरण के लिए आवेदन की तिथि	विस्तारीकरण की स्वीकृति की तिथि	तक विस्तारित	संक्षिप्त अवलोकन
26	पतामू	मेसर्स ब्रौडवे लिंक्स प्रा. लि. मौजा - छप्परवार, खाता सं 91, प्लॉट सं 128(आं.), क्षेत्रफल - 5.00 एकड़	सरकारी भूमि	10.08.2011 से 09.08.2021	17.05.2021	07.06.2021	31.03.2022	
27	साहिबगंज	मेसर्स घोष स्टोन वर्क्स, मौजा - गंगोपारा वेडों, खेसरा सं. 25 (आं.) एवं 44(आं.), क्षेत्रफल 9.30 एकड़	निजी/रेयती भूमि	11.10.2015 से 10.10.2020	13.07.2020.	25.11.2020	31.03.2022	नवीकरण आवेदन 02 मार्च 2017 या 19 फरवरी 2018 से पहले लंबित नहीं था, इसलिए विस्तार स्वीकार्य नहीं था।
28		तारकेश्वर जयसवाल, मौजा - दमारा दामिनभिट्ठा, खेसरा सं 9(आं.), 10(आं.), 15(आं.) एवं 37(आं.), क्षेत्रफल - 9.60 एकड़	निजी/रेयती भूमि	04.01.2012 से 03.01.2019	25.09.2018 (प्रथम नवीकरण) एवं 02.12.2020 (द्वितीय नवीकरण)	03.01.2019 एवं 13.03.2021	31.03.2020 एवं 31.03.2022	
29		श्रीमती नाजनीन बीबी मौजा - मारगारो, खेसरा सं 106(आं.), क्षेत्रफल - 5.00 एकड़	निजी/रेयती भूमि	21.08.2008 से 20.08.2018	24.05.2018 (प्रथम नवीकरण एवं 18.11.2020 (द्वितीय नवीकरण)	25.02.2019 एवं 27.01.2021	31.03.2020 एवं 31.03.2022	

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन


क्र. सं	ज़िला	पट्टा की विवरणी	भूमि का प्रकार	मूल पट्टा की अवधि	विस्तारीकरण के लिए आवेदन की तिथि	विस्तारीकरण की स्वीकृति की तिथि	तक विस्तारित	संक्षिप्त अवलोकन
30	साहिबगंज	मो.फरसाद मौजा - देश पहाड़िया, खेसरा सं. 73(आं.), 77(आं.), 79(आं.), 83(आं.) एवं 100, क्षेत्रफल - 3.34 एकड़	निजी/रेयती भूमि	08.07.2011 से 07.07.2018	05.03.2018 (प्रथम नवीकरण) एवं 06.01.2020 (द्वितीय नवीकरण)	21.09.2018 एवं 29.07.2021	31.03.2020 एवं 31.03.2022	नवीकरण आवेदन 02 मार्च 2017 या 19 फरवरी 2018 से पहले लंबित नहीं था, इसलिए विस्तार स्वीकार्य नहीं था।
31		मेसर्स हीरालाल अजय एवं कम्पनी मौजा - गुदाईतुंगी, खेसरा सं 89, 90, 91 & 92, क्षेत्रफल - 5.48 एकड़	निजी/रेयती भूमि	23.06.2015 से 22.06.2020	09.11.2020	28.11.2020	31.03.2022	
32		मेसर्स जय माता दी स्टोन वर्क्स मौजा - वनचप्पा, खेसरा सं 299(आं.), 300(आं.), 301(आं.), 302 एवं 303(आं.), क्षेत्रफल - 5.64 एकड़ नवीकरण खेसरा सं 299 (आं.) एवं 300(आं.) के लिए आवेदित क्षेत्रफल - 0.55 एकड़	निजी/रेयती भूमि	21.12.2011 से 20.12.2018	16.07.2018 (प्रथम नवीकरण) एवं 12.11.2020 (द्वितीय नवीकरण)	29.12.2018 एवं 08.12.2020	31.03.2020 एवं 31.03.2022	

क्र. सं	ज़िला	पट्टा की विवरणी	भूमि का प्रकार	मूल पट्टा की अवधि	विस्तारीकरण के लिए आवेदन की तिथि	विस्तारीकरण की स्वीकृति की तिथि	तक विस्तारित	संक्षिप्त अवलोकन
33	साहिबगंज	मेसर्स कलिका स्टोन वर्क्स मौजा - अम्बडे, खेसरा सं 17(आं.), 18(आं.), 22, 31(आं.), 32(आं.) एवं 35(आं.), क्षेत्रफल- 11 एकड़	निजी/रेयती भूमि	04.01.2012 से 03.01.2019	10.09.2018 (प्रथम नवीकरण) एवं 03.01.2020 (द्वितीय नवीकरण)	25.02.2019 एवं 24.12.2020	31.03.2020 एवं 31.03.2022	नवीकरण आवेदन 02 मार्च 2017 या 19 फरवरी 2018 से पहले लंबित नहीं था, इसलिए विस्तार स्वीकार्य नहीं था।

परिशिष्ट-4.1


(कंडिका 4.1.4.1 में संदर्भित)

पट्टेधारी द्वारा पत्थर का आधिक्य उत्खनन (पट्टा क्षेत्र के अंदर: पट्टा क्षेत्र के साथ मेल खाता केएमएल)

पट्टेधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथियां (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
जय शंकर स्टोन वर्कर्स, चतरा, पट्टा कोड- 308336601, पट्टा की अवधि -14.07.2014 से 13.07.2024	पट्टा क्षेत्रफल - 0.713 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल) - 0.71 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 39.60 मी.	गूगल छवि 17.02.2022	कुल खनिज संसाधन - 276886 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.44 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.71 हेक्टेयर	ढाल- 80°	संयुक्त भौतिक सत्यापन- 23.05.2023	ढलान और ढुलाई मार्ग मे फंसा भंडार - 6240 घ.मी.	<p>खनन गड्ढा (17.02.2022)</p> <p>उत्खनित आयतन -270646 घ.मी.</p> <p>प्रतिवेदित उत्पादन -79650 घ.मी.</p> <p>आधिक्य उत्खनन 190997 घ.मी.</p>	<p>अनुत्खनित सतह (21.01.2011)</p>
	सुरक्षा घेरा -0.22 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 393 मी.	ऊंचाई- 39 मी आधार- 6.87 मी	उत्पादन की अवधि - जुलाई 2014 - मई 2023			

पट्टाधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथियां (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
चटनिया माईस, चतरा, पट्टाधारी कोड - 308156501, पट्टा की अवधि -24.10.2019 से 23.10.2029	पट्टा क्षेत्रफल - 2.83 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल) - 2.83 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराइ - 39.90 मी	गूगल छवि - 17.02.2022	कुल खनिज संसाधन -243709 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 1.8 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.65 हेक्टेयर	ढाल - 70°	संयुक्त भौतिक सत्यापन-23-05-2023	ढलान और ढुलाई मार्ग मे फंसा भंडार - 52052 घ.मी.		
	सुरक्षा धेरा- 0.93 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 168.30 मी	ऊंचाई - 37.49 मी आधार- 13.65 मी	उत्पादन की अवधि - अक्टूबर 2019-सितम्बर 2023	उत्खनित आयतन -191657 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन 191657 घ.मी.		
					आधिक्य उत्खनन -0 घ.मी.		

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पट्टाधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथियां (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स जय शिव कन्स्ट्रक्शन, चतरा, पट्टाधारी कोड - 308336901, पट्टा की अवधि 12.02.2015 से 11.02.2025	पट्टा क्षेत्रफल - 1.03 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल) - 1.03 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई 64 मी	गूगल छवि - 30.11.2022	कुल खनिज संसाधन -542034 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.64 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.86 हेक्टेयर	ढाल - 80°	संयुक्त भौतिक सत्यापन- 11.05.2023	ढलान और दुलाई मार्ग मे फंसा भंडार -101328 घ.मी.		
	सुरक्षा घेरा -0.35 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 275 मी	ऊंचाई - 63.03 मी आधार- 11.11 मी	उत्पादन की अवधि - फरवरी 2015- मई 2023	उत्खनित आयतन - 440706 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन -144132 घ.मी. आधिक्य उत्खनन -296574 घ.मी.	खनन गड्ढा (30.11.2022)	अनुत्खनित सतह (16.04.2013)

पट्टाधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथियां (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स ट्रस्टलाईन माइनिंग एवं मिनरल्स, चार्डब्रासा पट्टाधारी कोड - 101597101, पट्टा की अवधि - 18.01.2016 से 17.01.2026	पट्टा क्षेत्रफल - 18.93 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल) -- 19.00 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 50 मी	गूगल छवि - 29.05.2022	कुल खनिज संसाधन - 2038049 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 16.52 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 4.22 हेक्टेयर	ढाल - 75°	संयुक्त भौतिक सत्यापन- 18.08.2023	ढलान और दुलाई मार्ग मे फंसा भंडार -222993 घ.मी.		
	सुरक्षा घेरा -2.33 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 590 मी	ऊंचाई - 48.30 मी आधार- 12.94 मी	उत्पादन की अवधि - जनवरी 2016- अगस्त 2023	उत्खनित आयतन -1815057 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन -1429890 घ.मी. आधिक्य उत्खनन -385166 घ.मी.	खनन गड्ढा (29.05.2022)	अनुत्खनित सतह (26.04.2014)

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पट्टाधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथियां (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स राज कुमार खुराना, पलामू पट्टाधारी कोड 411354101, पट्टा की अवधि - 17.08.2013 से 16.08.2023	पट्टा क्षेत्रफल - 4.05 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल) - 4.05 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 61 मी	गूगल छवि - 25.02.2021	कुल खनिज संसाधन - 1360300 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 3.10 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 2.23 हेक्टेयर	ढाल - 90°	संयुक्त भौतिक सत्यापन- 26.11.2022	ढलान और दुलाई मार्ग में फंसा भंडार -18300 घ.मी.		
	सुरक्षा घेरा -0.91 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 586.74 मी	ऊंचाई - 61 मी आधार- 0 मी	उत्पादन की अवधि - अगस्त 2013 - नवम्बर 2022	उत्खनित आयतन 1342000 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन -1342000 घ.मी. आधिक्य उत्खनन -0 घ.मी.	खनन गड्ढा (25.02.2021)	अनुत्खनित सतह (16.04.2013)

पट्टाधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथियां (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स बैग्या स्टोन माइन्स पलामू पट्टाधारी कोड - 411353903, पट्टा की अवधि - 08.01.2012 से 07.01.2022	पट्टा क्षेत्रफल - 4.046 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल)-4.046 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 94.00 मी	गूगल छवि - 07.12.2021	कुल खनिज संसाधन - 3277685 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 3.22 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 3.61 हेक्टेयर	ढाल - 75°	संयुक्त भौतिक सत्यापन- 10.11.2022	ढलान और ढुलाई मार्ग मे फंसा भंडार -689906 घ.मी.	खनन गड्ढा (07.12.2021)	उपलब्ध छवि (पट्टा का दूसरा वर्ष 16.11.2013)
	सुरक्षा घेरा -0.60 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 526.04 मी	ऊंचाई - 90.79 मी आधार- 24.33 मी	उत्पादन की अवधि - जनवरी 2012- जनवरी 2022	उत्खनित आयतन -2587778 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन -1194282 घ.मी. आधिक्य उत्खनन 1393496 घ.मी.		

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पट्टाधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथियां (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स श्याम स्टोन वर्क्स, पलामू पट्टाधारी कोड- 411355001, पट्टा की अवधि 23.07.2015 से 22.07.2025	पट्टा क्षेत्रफल - 4.856 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल) - 4.856 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 45.00 मी	गूगल छवि - 07.12.2021	कुल खनिज संसाधन - 1555492 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 2.86 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 3.51 हेक्टेयर	ढाल - 80°	संयुक्त भौतिक सत्यापन- 02.12.2022	ढलान और ढुलाई मार्ग में फंसा भंडार 128222 घ.मी.	खनन गड्ढा (07.12.2021)	
	सुरक्षा घेरा -2.27 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 637.16 मी	ऊंचाई - 44.32 मी आधार- 7.81 मी	उत्पादन की अवधि - जुलाई 2015- नबम्बर 2022	उत्खनित आयतन -1427270 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन 671478 घ.मी. आधिक्य उत्खनन -755792 घ.मी.		

पट्टाधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथियां (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स सोना स्टोन चिप्स, पलामू, पट्टाधारी कोड 411354301, पट्टा की अवधि - 12.12.2013 से 11.12.2023	पट्टा क्षेत्रफल - 0.96 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल) -- 0.96 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 35 मी	गूगल छवि - 07.12.2021	कुल खनिज संसाधन - 294000 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल 0.64 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.84 हेक्टेयर	ढाल - 90°	संयुक्त भौतिक सत्यापन- 02.12.2022	ढलान और दुलाइ मार्ग मे फंसा भंडार 9415 घ.मी.		खनन गड्ढा (07.12.2021)
	सुरक्षा घेरा -0.28 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 95.8	ऊंचाई - 35 मी आधार- 0 मी	उत्पादन की अवधि - दिसम्बर 2013- नवंबर 2022	उत्खनित आयतन 284585 घ.मी प्रतिवेदित उत्पादन 61212 घ.मी. आधिक्य उत्खनन 223373 घ.मी.		अनुत्खनित सतह (16.11.2013)

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पट्टाधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथियां (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स न्यु थ्री स्टार माइंस पाकड़, पट्टाधारी कोड 623160603, पट्टा की अवधि - 20.03.2020 से 19.03.2030	पट्टा क्षेत्रफल - 2.34 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल) - 2.34 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 17.65 मी	गूगल छवि - 16.01.2022	कुल खनिज संसाधन -342864 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.90 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 1.95 हेक्टेयर	ढाल - 85°	संयुक्त भौतिक सत्यापन- 07.10.2023	ढलान और ढुलाई मार्ग मे फंसा भंडार -6553 घ.मी.		
	सुरक्षा घेरा -0.82 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 354.6 मी	ऊंचाई - 17.58 मी आधार- 1.54 मी	उत्पादन की अवधि मई 1990- सितम्बर 2023 (पूर्व के पट्टा अवधि मे किए गए उत्खनन सहित)	उत्खनित आयतन -336310 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन 152116 घ.मी. आधिक्य उत्खनन -184194 घ.मी.		

टिप्पणी 1 - (खनन योजना के अनुसार क्षेत्र) - खनन योजना में उपलब्ध

टिप्पणी 2 - (गूगल चित्र के अनुसार आयाम का विवरण) - पट्टा क्षेत्र, खनन गड्ढे क्षेत्र, परिधि की गणना गूगल अर्थ एप्लीकेशन में उपलब्ध माप उपकरण द्वारा की गयी

टिप्पणी 3 - (संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी) - 1. कर्ण के अनुदिश गहराई - भार के उद्देश्य से पत्थर से बंधी रस्सी द्वारा मापी गई 2. ढलान - संयुक्त भौतिक सत्यापन दल के द्वारा आंखों से अनुमान 3. ऊँचाई और आधार - कोण का sin और cos मान * कर्ण के अनुदिश गहराई

टिप्पणी 4 - (तिथियाँ), गूगल चित्र - चित्र में उल्लिखित गूगल चित्र की तिथि 2. संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि 3. उत्पादन की अवधि - फाईल और जिम्स में उपलब्ध उत्पादन के आंकड़े - (पट्टा अवधि के प्रारंभ से संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि तक)

टिप्पणी 5 - (मात्रा का व्योरा) 1. कुल खनिज भंडार - खनन गड्ढा क्षेत्र हेक्टेयर में (गूगल चित्र)* 10000 * ऊँचाई 2. ढलान में अवरोधित भंडार - $\frac{1}{2}$ * ऊँचाई * आधार * परिधि (बाउंड्री वाल के साथ) - उत्खनित मात्रा - कुल खनिज भंडार - ढलान में अवरोधित भंडार 4. प्रतिवेदित उत्पादन - उत्पादन अवधि के दौरान प्रतिवेदित उत्पादन 5. अतिरिक्त उत्खनन - निकाली गई मात्रा - प्रतिवेदित उत्पादन

टिप्पणी 6 - गूगल छवि जिसके आधार पर लेखापरीक्षा के द्वारा आयतन की गणना की गई, हरी रेखा में क्षेत्र - पट्टा बाउंड्री (केएमएल फाईल), पीली रेखा में क्षेत्र - उत्खनित क्षेत्र

टिप्पणी 7 - पट्टे की शुरुआत से पहले समतल सतह (अर्थात् को निकासी नहीं) को दर्शाने वाला गूगल चित्र

परिशिष्ट-4.2

(कंडिका 4.1.4.1 में संदर्भित)

पत्थर का आधिक्य उत्खनन (पट्टा क्षेत्र के बाहर: पट्टा क्षेत्र के साथ मेल खाता केएमएल)

पट्टेधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार रकवा (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरण (टिप्पणी 3)	तिथि (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
जय शंकर स्टोन वर्क्स चतरा पट्टेधारी कोड - 308336601, पट्टा की अवधि -14.07.2014 से 13.07.2024	पट्टा क्षेत्रफल - 0.713 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल)- 0.71 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई 39.60 मी	गूगल छवि 17-02-2022	कुल खनिज संसाधन - 1162143 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.44 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 2.98 हेक्टेयर	ढाल - 80°	संयुक्त भौतिक सत्यापन 23-05-2023	ढलान में फंसा भंडार - 101608 घ.मी.		
	सुरक्षा अवरोध-0.22 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 758 मी	ऊचौँई- 39 मी आधार- 6.87 मी	उत्पादन की अवधि - जुलाई 2014 -मई 2023	उत्खनित आयतन 1060535 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन 0 घ.मी. आधिक्य उत्खनन -1060535 घ.मी.	खनन गड्ढा (17.02.2022)	अनुत्खनित सतह (21.01.2011)



पट्टेधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार रकवा (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरण (टिप्पणी 3)	तिथि (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
चटनियाँ माईन्स, चतरा, पट्टेधारी कोड - 308156501, पट्टा की अवधि -24.10.2019 से 23.10.2029	पट्टा क्षेत्रफल - 2.83 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल)-2.83 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई 39.90 मी	गूगल छवि - 17-02-2022	कुल खनिज संसाधन -292450 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 1.8 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.78 हेक्टेयर	ढाल - 70°	संयुक्त भौतिक सत्यापन	ढलान में फंसा भंडार - 77179 घ.मी.	23-05-2023	खनन गड्ढा (17.02.2022)
	सुरक्षा धेरा - 0.93 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 301.70 मी	ठंचाई- 37.49 मी आधार- 13.65 मी	उत्पादन की अवधि- अक्टूबर 2019- सितम्बर 2023	उत्खनित आयतन -215271 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन 19728.58 घ.मी. आधिक्य उत्खनन - 195542.27 घ.मी.		अनुत्खनित सतह (28.12.2018)

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पड़ेधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार रकवा (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरण (टिप्पणी 3)	तिथि (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (पह्ला स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स जय शिव कन्स्ट्रक्शन, चतरा, पट्टाधारी कोड - 308336901, पट्टा की अवधि 12.02.2015 से 11.02.2025	पट्टा क्षेत्रफल - 1.03 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल)-1.03 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 64 मी	गूगल छवि - 30-11-2022	कुल खनिज संसाधन -693299 घ.मी.	 खनन गड्ढा (30.11.2022)	 अनुत्खनित सतह (16.04.2013)
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.64 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 1.10 हेक्टेयर	ढाल - 80°	संयुक्त भौतिक सत्यापन-11-05-2023	ढलान और सड़क पर फंसा भंडार - 111692 घ.मी.		
	सुरक्षा घेरा - 0.35 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 319 मी	ऊंचाई- 63.03 मी आधार- 11.11 मी	उत्पादन की अवधि - फरवरी 2015 - मई 2023	उत्खनित आयतन -581608 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन -0 घ.मी. आधिक्य उत्खनन -581608 घ.मी.		

पटेधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार रकवा (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरण (टिप्पणी 3)	तिथि (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स ट्रस्टलाईन माइनिंग एवं मिनरल्स, चार्झबासा पटाधारी कोड - 101597101, पट्टा की अवधि - 18.01.2016 से 17.01.2026	पट्टा क्षेत्रफल - 18.93 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (कैएमएल फाईल)- 19.00 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 50 मी	गूगल छवि - 29.05.2022	कुल खनिज संसाधन - 526415.50 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 16.52 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 1.09 हेक्टेयर	ढाल - 75°	संयुक्त भौतिक सत्यापन- 18.08.2023	ढलान में फंसा भंडार 116238.34 घ.मी.		
	सुरक्षा धेरा- 2.33 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 372 मी	ऊंचाई- 48.30 मी आधार- 12.94 मी	उत्पादन की अवधि - जनवरी 2016- अगस्त 2023	उत्खनित आयतन -410177.16 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन -0 घ.मी. आधिक्य उत्खनन -410177.16 घ.मी.	खनन गड्ढा (29.05.2022)	अनुत्खनित सतह (26.04.2014)

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पटेधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार रकवा (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरण (टिप्पणी 3)	तिथि (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स राज कुमार खुराना, पलामू पट्टेधारी कोड 411354101, पट्टा की अवधि - 17.08.2013 से 16.08.2023	पट्टा क्षेत्रफल - 4.05 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल)-4.05 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 61 मी	गूगल छवि - 25-02-2021	कुल खनिज संसाधन -579500 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 3.10 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.95 हेक्टेयर	ढाल - 90°	संयुक्त भौतिक सत्यापन- 26-11-2022	ढलान में फंसा भंडार -0 घ.मी.		
	सुरक्षा घेरा- 0.91 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 222.26 मी	ऊंचाई- 61 मी आधार- 0 मी	उत्पादन की अवधि - अगस्त 2013-नवंबर 2022	उत्खनित आयतन -579500 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन -2238 घ.मी. आधिक्य उत्खनन -577263 घ.मी.		

पट्टेधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार रकवा (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरण (टिप्पणी 3)	तिथि (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स श्याम स्टोन वर्क्स, पलामू पट्टाधारी कोड- 411355001, पट्टा की अवधि 23.07.2015 से 22.07.2025 मेसर्स सोना स्टोन चिप्स, पलामू पट्टाधारी कोड 411354301 पट्टा की अवधि 12.12.2013 से 11.12.2023	पट्टा क्षेत्रफल - 4.856 हेक्टेयर, 0.96 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (कैएमएल फाईल)- 4.856 हेक्टेयर, 0.96 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 35 मी	गूगल छवि - 07.12.2021	कुल खनिज संसाधन - 1137444 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 2.86 हेक्टेयर 0.64 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 3.30 हेक्टेयर	ढाल - 80°	संयुक्त भौतिक सत्यापन 02.12.2022	ढलान में फंसे रिजर्व -63897.40 घ.मी.	खनन गड्ढा (07.12.2021)	अनुत्खनित सतह (16.11.2013)
	सुरक्षा घेरा 2.27 हेक्टेयर, 0.28 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 610.21 मी	ऊंचाई- 34.47 मी आधार- 6.08 मी	उत्पादन की अवधि - दिसम्बर 2013 - नवम्बर 2022,	उत्खनित आयतन -1073546.60 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन 0 घ.मी. आधिक्य उत्खनन -1073546.60 घ.मी.		

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पद्धतियारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार रकवा (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरण (टिप्पणी 3)	तिथि (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (पहली स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स बगेचा स्टोन माईन्स पलामू, पट्टाधारी कोड - 411353903, पट्टा की अवधि - 08.01.2012 से 07.01.2022	पट्टा क्षेत्रफल - 4.046 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (के.एम.एल. फाईल) - 4.046 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 94.00 मी	गूगल छवि 07-12-2021	कुल खनिज संसाधन - 299622.18 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 3.22 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.33 हेक्टेयर	ढाल - 75°	संयुक्त भौतिक सत्यापन	ढलान में फंसा भंडार 269426.79 घ.मी.	खनन गड्ढा (07.12.2021)	अनुत्खनित सतह (16.11.2013)
	सुरक्षा घेरा - 0.60 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 243.96 मी	ऊंचाई- 90.79 मी आधार- 24.33 मी	उत्पादन की अवधि - जनवरी 2012- जनवरी 2022	उत्खनित आयतन -30195.39 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन -0 घ.मी. आधिक्य उत्खनन 30195.39 घ.मी.		

पटेधारी की विवरणी	खनन योजना के अनुसार रकवा (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम का विवरण (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन का विवरण (टिप्पणी 3)	तिथि (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (उत्खनन की तिथि की गणना) (टिप्पणी 6)	खनन गड्ढे क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स न्यू थी स्टार माईन्स पाकड़, पट्टाधारी कोड 623160603, पट्टा की अवधि - 20.03.2020 से 19.03.2030	पट्टा क्षेत्रफल 2.34 हेक्टेयर	पट्टा क्षेत्रफल (केएमएल फाईल) -- 2.34 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 17.65 मी	गूगल छवि - 16.01.2022	कुल खनिज संसाधन - 152970 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.90 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 0.87 हेक्टेयर	ढाल - 85°	सं.भौ.स 07-10-2023	ढलान में फंसा भंडार - 4969 घ.मी.	खनन गड्ढा (16.01.2022)	उपतब्ध छवि (09.03.2019) पट्टा आरंभ होने से पूर्व
	सुरक्षा धेरा - 0.82 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 367.40 मी	ऊंचाई - 17.58 मी आधार - 1.54 मी	उत्पादन की अवधि- मार्च 2020- सितम्बर 2023	उत्खनित आयतन -148001 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन 0 घ.मी. आधिक्य उत्खनन -148001 घ.मी.		

परिशिष्ट 4.2 से संबंधित टिप्पणी

- टिप्पणी 1 - (खनन योजना के अनुसार क्षेत्र) - खनन योजना में उपलब्ध
- टिप्पणी 2 - (गूगल चित्र के अनुसार आयाम का विवरण) - पट्टा क्षेत्र, खनन गड्ढे क्षेत्र, परिधि की गणना गूगल अर्थ एप्लीकेशन में उपलब्ध माप उपकरण द्वारा की गयी
- टिप्पणी 3 - (संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी) - 1. कर्ण के अनुदिश गहराई - भार के उद्देश्य से पत्थर से बंधी रस्सी द्वारा मापी गई 2. ढलान - संयुक्त भौतिक सत्यापन दल के द्वारा आंखों से अनुमान 3. ऊँचाई और आधार - कोण का sin और cos मान * कर्ण के अनुदिश गहराई
- टिप्पणी 4 - (तिथियाँ), गूगल चित्र - चित्र में उल्लिखित गूगल चित्र की तिथि 2. संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि 3. उत्पादन की अवधि - फाईल और जिम्स में उपलब्ध उत्पादन के आंकड़े - (पट्टा अवधि के प्रारंभ से संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि तक)
- टिप्पणी 5 - (मात्रा का व्योरा) 1. कुल खनिज भंडार - खनन गड्ढा क्षेत्र हेक्टेयर में (गूगल चित्र)* 10000 * ऊँचाई 2. ढलान में अवरोधित भंडार - $\frac{1}{2} * \text{ऊँचाई} * \text{आधार} * \text{परिधि}$ (बाउंड्री वाल के साथ) - उत्खनित मात्रा - कुल खनिज भंडार - ढलान में अवरोधित भंडार 4. प्रतिवेदित उत्पादन - उत्पादन अवधि के दौरान प्रतिवेदित उत्पादन 5. अतिरिक्त उत्खनन - निकाली गई मात्रा - प्रतिवेदित उत्पादन
- टिप्पणी 6 - गूगल छवि जिसके आधार पर लेखापरीक्षा के द्वारा आयतन की गणना की गई, हरी रेखा में क्षेत्र - पट्टा बाउंड्री (केएमएल फाईल), पीली रेखा में क्षेत्र - उत्खनित क्षेत्र
- टिप्पणी 7 - पट्टे की शुरुआत से पहले समतल सतह (अर्थात् को निकासी नहीं) को दर्शाने वाला गूगल चित्र

परिशिष्ट-4.3

(कंडिका 4.1.4.1 में संदर्भित)

पट्टेधारी द्वारा पत्थर का आधिक्य उत्खनन (पट्टा क्षेत्र से मेल नहीं खाता केएमएल)

पट्टा की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथि (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे वाले क्षेत्र की गूगल छवि (छवि तिथि जिस पर निष्कर्षण की गणना की गई है) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स आशुतोष स्टोन वर्क्स, चतरा, लीज कोड - 308013401 पट्टा की अवधि - 26.06.2014 से 25.06.2024	खनन क्षेत्रफल - 4.04 हेक्टेयर	खनन क्षेत्रफल (केएमएल फाईल)-2.93 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई- 42 मी	गूगल छवि 17-02-2022	कुल खनिज संसाधन - 1364933 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 3.3 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 3.3 हेक्टेयर	ढाल - 80°	सं.भौ.स - 23-05-2023	ढलान और सङ्क पर फंसा भंडार -120760 घ.मी.		
	सुरक्षा घेरा -1.05 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि- 746 मी	ऊंचाई - 41.36 मी आधार- 7.29 मी	उत्पादन की अवधि - जून 2014- मई 2023	उत्खनित आयतन - 1244173 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन - 305748 घ.मी. आधिक्य उत्खनन - 938425 घ.मी.		

ज्ञारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पट्टा की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथि (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे वाले क्षेत्र की गूगल छवि (छवि तिथि जिस पर निष्कर्षण की गणना की गई है) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स सी.टी.एस. इंस्ट्रीज लि., चाईबासा लीज कोड 101334703, पट्टा की अवधि 23.02.2016 से 22.02.2026	खनन क्षेत्रफल - 3.64 हेक्टेयर	पट्टा का क्षेत्रफल (केएमएल फाईल)- 6.7 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई- 26.52 मी	गूगल छवि 29-05-2022	कुल खनिज संसाधन -454434 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 3.10 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 1.74 हेक्टेयर	ढाल - 80°	संयुक्त भौतिक सत्यापन- 18-08-2023	ढलान और सड़क पर फंसा भंडार -39551 घ.मी.		
	सुरक्षा धेरा -0.54 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि - 571 मी	ऊंचाई - 26.12 मी आधार - 4.60 मी	उत्पादन की अवधि - फरवरी 2016 - अगस्त 2023	उत्खनित आयतन - 414882 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन - 140537 घ.मी. आधिक्य उत्खनन - 274346 घ.मी.		

पट्टा की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथि (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे वाले क्षेत्र की गूगल छवि (छवि तिथि जिस पर निष्कर्षण की गणना की गई है) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स रामाशीष सिंह, पलामू लीज कोड - 411596801, पट्टा की अवधि - 23.03.2016 से 22.03.2026	खनन क्षेत्रफल 4.85 हेक्टेयर	पट्टा का क्षेत्रफल (केएमएल फाईल)- 5.83 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 24.38 मी.	गूगल छवि - 13-12-2022	कुल खनिज संसाधन -1440565 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 4.19 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 6.0 हेक्टेयर	ढाल- 80°	संयुक्त भौतिक सत्यापन- 02-06-2023	ढलान और सड़क पर फंसा भंडार -107872 घ.मी.	खनन गड्ढा (छवि तिथि 13.12.2022)	समतल सतह (छवि तिथि 02.06.2013)
	सुरक्षा घेरा -0.66 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि - 989 मी	ऊंचाई - 24.01 मी आधार- 4.23 मी	उत्पादन की अवधि - मार्च 2016- जून 2023	उत्खनित आयतन - 1332693 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन - 998297 घ.मी. आधिक्य उत्खनन - 334396 घ.मी.		

झारखण्ड में लघु खनिजों के प्रबंधन पर निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

पट्टा की विवरणी	खनन योजना के अनुसार क्षेत्रफल (टिप्पणी 1)	गूगल छवि के अनुसार आयाम (टिप्पणी 2)	संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी (टिप्पणी 3)	तिथि (टिप्पणी 4)	आयतन की विवरणी (टिप्पणी 5)	खनन गड्ढे वाले क्षेत्र की गूगल छवि (छवि तिथि जिस पर निष्कर्षण की गणना की गई है) (टिप्पणी 6)	खनन क्षेत्र की गूगल छवि (पट्टा स्वीकृति से पहले) (टिप्पणी 7)
मेसर्स स्कार्ड स्टोन वर्क्स, साहिबगंज लीज कोड - 620829301, पट्टा की अवधि - 06.11.2017 से 05.11.2027	खनन क्षेत्रफल - 2.86 हेक्टेयर	पट्टा का क्षेत्रफल (केएमएल फाईल)- 3.54 हेक्टेयर	कर्ण के अनुदिश गहराई - 24.38 मी	गूगल छवि - 07.03.2022	कुल खनिज संसाधन - 360141 घ.मी.		
	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 1.66 हेक्टेयर	खनन गड्ढे का क्षेत्रफल - 1.5 हेक्टेयर	ढाल - 80°	संयुक्त भौतिक सत्यापन	ढलान और सड़क पर फंसा भंडार - 41296 घ.मी.	खनन गड्ढा (07.03.2022)	समतल सतह (23.02.2016)
	सुरक्षा घेरा - 0.53 हेक्टेयर	खनन गड्ढे की परिधि - 482 मी	ऊंचाई - 24.0 मी आधार- 4.23 मी	उत्खनन की अवधि - नवम्बर 2017- सितम्बर 2023	उत्खनित आयतन - 318845 घ.मी. प्रतिवेदित उत्पादन- 20813 घ.मी. आधिक्य उत्खनन - 298032 घ.मी.		

परिशिष्ट 4.3 से संबंधित टिप्पणी

- टिप्पणी 1 - (खनन योजना के अनुसार क्षेत्र) - खनन योजना में उपलब्ध
- टिप्पणी 2 - (गूगल चित्र के अनुसार आयाम का विवरण) - पट्टा क्षेत्र, खनन गड्ढे क्षेत्र, परिधि की गणना गूगल अर्थ एप्लीकेशन में उपलब्ध माप उपकरण द्वारा की गयी
- टिप्पणी 3 - (संयुक्त भौतिक सत्यापन की विवरणी) - 1. कर्ण के अनुदिश गहराई - भार के उद्देश्य से पत्थर से बंधी रस्सी द्वारा मापी गई 2. ढलान - संयुक्त भौतिक सत्यापन दल के द्वारा आंखों से अनुमान 3. ऊँचाई और आधार - कोण का sin और cos मान * कर्ण के अनुदिश गहराई
- टिप्पणी 4 - (तिथियाँ), गूगल चित्र - चित्र में उल्लिखित गूगल चित्र की तिथि 2. संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि 3. उत्पादन की अवधि - फाइल और जिम्स में उपलब्ध उत्पादन के आंकड़े - (पट्टा अवधि के प्रारंभ से संयुक्त भौतिक सत्यापन की तिथि तक)
- टिप्पणी 5 - (मात्रा का व्योरा) 1. कुल खनिज भंडार - खनन गड्ढा क्षेत्र हेक्टेयर में (गूगल चित्र)* 10000 * ऊँचाई 2. ढलान में अवरोधित भंडार - $\frac{1}{2} * \text{ऊँचाई} * \text{आधार} * \text{परिधि}$ (बाउंड्री वाल के साथ) - उत्खनित मात्रा - कुल खनिज भंडार - ढलान में अवरोधित भंडार 4. प्रतिवेदित उत्पादन - उत्पादन अवधि के दौरान प्रतिवेदित उत्पादन 5. अतिरिक्त उत्खनन - निकाली गई मात्रा - प्रतिवेदित उत्पादन
- टिप्पणी 6 - गूगल छवि जिसके आधार पर लेखापरीक्षा के द्वारा आयतन की गणना की गई, हरी रेखा में क्षेत्र - खनन गड्ढा क्षेत्र
- टिप्पणी 7 - पट्टे की शुरूआत से पहले समतल सतह (अर्थात् को निकासी नहीं) को दर्शाने वाला गूगल चित्र

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag/jharkhand/hi>

